

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष

(राजस्व प्राप्तियाँ)

मध्यप्रदेश सरकार

http://cagindia.org/states/madhyapradesh/2003

विषय सूची

कंडिका		पृष्ठ
	प्रस्तावना	V
	विहंगावलोकन	Vii
	अध्याय – 1 : सामान्य	
1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1
1.1.1	कर एवं कर भिन्न राजस्व	1
1.1.2	कर राजस्व का विवरण	2
1.1.3	प्रमुख कर भिन्न राजस्व का विवरण	3
1.1.4	बजट अनुमानों तथा वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में भिन्नतायें	4
1.1.5	संग्रहण की लागत	5
1.1.6	प्रति निर्धारिती विक्रय कर का संग्रहण	6
1.1.7	बकाया राजस्व का विश्लेषण	6
1.1.8	कर अपवंचन	7
1.1.9	धन वापसी	7
1.1.10	लेखा परीक्षा के परिणाम	8
1.1.11	लेखा परीक्षा के प्रति शासन की अनुक्रियाशीलता का अभाव	8
1.1.12	विभागीय लेखा परीक्षा समिति की बैठकें	9
1.1.13	प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के प्रत्युत्तर	9
1.1.14	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुवर्तन	10
	अध्याय – 2 : वाणिज्यिक कर	
2.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	11
2.2	मध्य प्रदेश बकाया राशि सरल समाधान योजना	12
2.3	कर योग्य विक्रय राशि का गलत निर्धारण	15
2.4	मूल्य संवर्धन : कर का अनारोपण/कम आरोपण	16
2.5	अधिभार का अनारोपण/कम आरोपण	17

2.6	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	17
2.7	क्रय कर का अनारोपण	18
2.8	गलत ढंग से कर मुक्त मानी गई विक्रियों पर कर का अनारोपण	19
2.9	प्रवेश कर/निकाय कर का अनारोपण/कम आरोपण	21
2.10	कर की गलत दर का लागू किया जाना	21
2.11	बन्द इकाई से कर की वसूली न होना	22
2.12	नये उद्योगों को कर के भुगतान से छूट की अनियमित स्वीकृति	23
2.13	कर भुगतान से आस्थगन की अनियमित स्वीकृति	23
2.14	निर्यात विक्रय के लिए गलत छूट	24
अध्याय – 3 : राज्य उत्पाद शुल्क		
3.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	25
3.2	समीक्षा : असंग्रहीत उत्पाद शुल्क राजस्व	26
3.3	निविदा स्वीकार न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	35
3.4	शीरे से भिन्न मूलों से अल्कोहल का कम उत्पादन	36
3.5	सील बंद बोतलों में देशी मदिरा की विक्रय दरों का गलत निर्धारण	36
3.6	शीरे की हानि की अनियमित छूट	37
3.7	पुनर्आसवन में स्प्रिट की गलत छूट	37
3.8	शास्ति का अनारोपण	38
3.9	आसवनी में स्प्रिट के न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किया जाना	38
अध्याय – 4 : वाहनों पर कर		
4.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	41
4.2	समीक्षा : पारस्परिक परिवहन करार का क्रियान्वयन	42
4.3	वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/वसूली न होना	47
4.4	बिना अनुज्ञा पत्र या अनुज्ञा पत्र की शर्तों के विरूद्ध संचालित वाहनों पर कर की वसूली न होना	50
4.5	वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि	50
4.6	वाहनों पर कर एवं शास्ति की कम वसूली	51

	अध्याय – 5 : भू–राजस्व	
5.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	53
5.2	व्यपवर्तन लगान, प्रव्याजि तथा अर्धदण्ड की मांग सृजित न करना	54
5.3	कुर्क सम्पत्ति का निर्वर्तन न किये जाने के कारण हानि	55
5.4	व्यपवर्तन लगान पर पंचायत उपकर का अनिर्धारण	55
	अध्याय – 6 : अन्य कर प्राप्तियाँ	
	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	
6.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	57
6.2	मुद्रांक शुल्क के उद्ग्रहण के उद्देश्य से सम्पत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण	58
6.3	गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण	61
6.4	सहकारी गृह निर्माण समितियों के पक्ष में/निष्पादित विलेखों द्वारा राजस्व की हानि	63
6.5	मुद्रांक शुल्क की गलत छूट	64
6.6	निर्मुक्ति विलेखों पर मुद्रांक शुल्क का अवनिर्धारण	64
6.7	पट्टा विलेखों का पंजीयन न होना	65
	मनोरंजन शुल्क	
6.8	केबल संचालकों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना	66
6.9	विज्ञापन कर का अनारोपण/वसूली न होना	66
6.10	मनोरंजन शुल्क का अनारोपण	67
	विद्युत शुल्क	
6.11	विकास उपकर की कम वसूली	68
6.12	विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण न किये जाने के कारण हानि	68
	अध्याय – 7 : वन प्राप्तियाँ	
7.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	71
7.2	मध्य प्रदेश में वन अपराधों पर समीक्षा	72
7.3	इमारती लकड़ी के अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन में अत्यधिक अन्तर के कारण राजस्व हानि	83

7.4	औद्योगिक बांस के निर्वर्तन में राजस्व हानि	84
7.5	बांस कूपों में पातन कार्य न किये जाने के कारण राजस्व हानि	85
7.6	बांस के कम उत्पादन के कारण राजस्व हानि	86
	अध्याय – 8 : खनन प्राप्तियाँ	
8.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	87
8.2	अनिवार्य किराये का अनारोपण	88
8.3	अवैध उत्खनन के प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होने से शासकीय राजस्व का निरूद्ध होना	89
8.4	परिवर्तन गुणांक पर आधारित राज्यांश की कम वसूली	89
8.5	राज्यांश की कम वसूली	90
8.6	राज्यांश के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	91
	अध्याय – 9 : अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ	
	लोक निर्माण विभाग	
9.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	93
9.2	पट्टा धन राशि की वसूली न करना	94
9.3	निजी व्यक्तियों/संस्थानों को किराये पर दिये गये शासकीय भवनों की लायसेंस फीस का अनारोपण/कम आरोपण	95
9.4	शैक्षणिक संस्थाओं को आवंटित सार्वजनिक भवनों की लायसेंस फीस का अनारोपण/कम आरोपण	95
9.5	पत्रकारों एवं समाचार पत्रों को कार्यालय उपयोग हेतु आवंटित सार्वजनिक भवनों पर लायसेंस फीस का कम आरोपण	96
9.6	उच्चतम बोली स्वीकार न किये जाने से राजस्व हानि	96
	जल संसाधन विभाग	
9.7	समुन्नति अंशदान का अनारोपण	97
9.8	विलम्बित भुगतानों पर शास्ति का कम आरोपण/वसूली	98
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	
9.9	गोदाम की कीमत वसूल न होना	98

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा की जाती है । इस प्रतिवेदन में वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां, खनन प्राप्तियॉ तथा राज्य की अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों पर राजस्व के लेखा परीक्षा परिणाम प्रस्तुत किये गये हैं ।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से हैं जो वर्ष 2002–03 की अवधि के मध्य नमूना लेखा परीक्षा के समय दृष्टिगत हुए अथवा पूर्व वर्षों में दृष्टिगत हुए परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे ।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति आदि के अनारोपण/कम आरोपण से सम्बंधित 295.70 करोड़ रूपये से अन्तर्निहित 3 समीक्षाओं सहित 58 कंडिकायें सम्मिलित है । कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

(1) सामान्य

(i) वर्ष 2002–2003 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा 7800.03 करोड़ रूपये का सकल राजस्व वसूल किया गया, जिसमें 6164.55 करोड़ रूपये का कर–राजस्व और 1635.48 करोड़ रूपये का कर–भिन्न राजस्व सम्मिलित है । शासन ने भारत सरकार से 5590.37 करोड़ रूपये विभाज्य संघीय करों की शुद्ध प्राप्तियों के अंश (3728.73 करोड़ रूपये) तथा सहायक अनुदान (1861.64 करोड़ रूपये) के रूप में प्राप्त किए । इस प्रकार वर्ष के दौरान 13,390.40 करोड़ रूपये की कुल प्राप्तियाँ हुई । विक्रय कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर (2906.20 करोड़ रूपये) कर राजस्व का मुख्य भाग (47 प्रतिशत) है । अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग से प्राप्तियाँ (590.69 करोड़ रूपये) कर–भिन्न राजस्व की 36 प्रतिशत लेखांकित हुई ।

(कंडिका 1.1.1 से 1.1.3)

(ii) वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, भू–राजस्व मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की वर्ष 2002–2003 के दौरान की गई नमूना जांच में 2,09,950 प्रकरणों में 928.13 करोड़ रूपये के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानियाँ आदि पाई गई । वर्ष के दौरान 2002–2003 तथा पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए 80,673 प्रकरणों में 413.83 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण आदि विभागों द्वारा स्वीकार किया गया तथा 24.55 करोड़ रूपये की वसूली हुई ।

(कंडिका 1.1.10)

(2) वाणिज्यिक कर

1. आस्थगन योजना के अन्तर्गत किस्तों में भुगतान की सुविधा का लाभ उठा रहे व्यवसाइयों को 1.03 करोड़ रूपये की अनियमित छूट प्रदान की गई ।

(कंडिका 2.2.5)

2. निर्धारित समयावधि में समाधान राशि जमा न करने के बाद भी चूककर्ताओं को 64.75 लाख रूपये का अनियमित लाभ देने के परिणामस्वरूप उक्त राशि के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 2.2.7)

3. कर के विलंबित भुगतान पर 33.52 लाख रूपये का ब्याज आरोपित नहीं किया गया ।

(कंडिका 2.6)

4. कर की गलत दर लागू किए जाने के परिणामस्वरूप 82.01 लाख रूपये के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 2.10)

5. बंद इकाई से आस्थगित कर के रूप में 15.98 करोड़ रूपये की राशि वसूल नहीं की गई ।

(कंडिका 2.11)

6. 97.62 लाख रूपये के कर भुगतान के आस्थगन की गलत अनुमति प्रदान की गई ।

(कंडिका 2.13)

(3) राज्य उत्पाद शुल्क

1. "असंग्रहीत उत्पाद शुल्क/आबकारी राजस्व" पर समीक्षा में पाया गया कि :

- 14 प्रकरणों में, जिनमें 3.12 करोड़ रूपये का शासकीय राजस्व अन्तर्निहित था, चूककर्ताओं की सम्पत्ति के विवरणों के अभाव में वसूली नहीं की जा सकी ।

(कंडिका 3.2.6)

- चूककर्ताओं के पते जाली पाये जाने के कारण राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्रकरणों में, जिनमें 11.29 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित थी, मांग नोटिस तामील नहीं किए जा सके ।

(कंडिका 3.2.7)

- 38 प्रकरणों में, जिनमें 3.60 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित थी, मांग नोटिस जारी न किए जाने के परिणामस्वरूप शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 3.2.8)

- मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम से सेवा प्रभार के रूप में वसूली योग्य 1.36 करोड़ रूपये की राशि की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 3.2.11)

2. निविदाओं को स्वीकृति हेतु शासन को अग्रेषित करने में विभाग की विफलता के कारण 3.98 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 3.3)

3. 10.71 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल की कमी होने के फलस्वरूप 2.57 करोड़ रूपये के उत्पाद शुल्क की संभाव्य हानि हुई ।

(कंडिका 3.4)

(4) वाहनों पर कर

1. "पारस्परिक परिवहन करारों की कार्यप्रणाली" से सम्बंधित समीक्षा में पाया गया कि :

- अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित किए जा रहे अन्य राज्यों के लोक सेवा वाहनों पर 68.98 लाख रूपये के वाहन कर एवं शास्ति की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 4,2.4)

- मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व में अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित किए जा रहे लोक सेवा वाहनों पर 11.51 करोड़ रूपये के वाहन कर तथा 23.02 करोड़ रूपये की शास्ति की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 4,2.5)

- प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञा पत्रों पर मध्य प्रदेश में संचालित किए जा रहे अन्य राज्यों के माल वाहनों पर 44.04 लाख रूपये के वाहन कर एवं 88.07 लाख रूपये की शास्ति की वसूली न होने के परिणामस्वरूप उक्त राशि के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 4.2.6)

- अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित किए जा रहे लोक सेवा वाहनों पर 18.04 लाख रूपये के वाहन कर का कम आरोपण तथा 36.07 लाख रूपये की शास्ति का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 4.2.7)

2. लोक सेवा वाहनों/माल वाहनों पर 3.23 करोड़ रूपये का वाहन कर तथा 6.46 करोड़ रूपये की शास्ति आरोपित नहीं की गई ।

(कंडिका 4.3.1)

3. अखिल भारतीय पर्यटन अनुज्ञा पत्रों पर संचालित किए जा रहे लोक सेवा वाहनों के स्वामियों द्वारा 57.54 लाख रूपये शास्ति सहित वाहन कर का भुगतान नहीं किया गया ।

(कंडिका 4.3.2)

(5) भू–राजस्व

1. तहसीलदारों द्वारा 161 गाँवों के सम्बंध में 87.97 लाख रूपये के व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि तथा अर्थदण्ड की मांग सृजित नहीं की गई ।

(कंडिका 5.2.1)

2. कुर्क सम्पत्ति का निवर्तन न किए जाने के कारण 14.20 लाख रूपये की शासकीय बकाया राशि की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 5.3)

3. व्यपवर्तन लगान पर पंचायत उपकर का निर्धारण न किए जाने के परिणामस्वरूप 15.67 लाख रूपये की हानि हुई ।

(कंडिका 5.4)

(6) अन्य कर प्राप्तियाँ

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

1. बाजार मूल्य के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 1.47 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 6.2.2)

2. कलेक्टर द्वारा सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण न किए जाने के परिणामस्वरूप 12.20 करोड़ रूपये की राजस्व राशि अवरूद्ध हुई ।

(कंडिका 6.2.4)

3. सहकारी गृह निर्माण समितियों के पक्ष में निष्पादित किए गए विलेखों में गलत छूट दिए जाने के परिणामस्वरूप 1.09 करोंड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 6.4)

(7) वन प्राप्तियाँ

1. "मध्य प्रदेश में वन अपराध" पर समीक्षा में पाया गया कि :

- वास्तविक प्राप्तियाँ, जो 1998–99 में 507.60 करोड़ रूपये थी, 2001–02 में घटकर 306.45 करोड़ रूपये रह जाने के परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई ।

(कंडिका 7.2.4)

- वनों को पहुँचाई गई क्षति के मूल्य की वसूली हेतु सामयिक कार्रवाई न किए जाने के परिणामस्वरूप शास्ति सहित 13.15 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 7.2.7)

- वन अपराधों की सूचना देने, जाँच को अंतिम रूप देने तथा अभियोजन में 1 माह से 17 वर्ष तक का विलम्ब हुआ ।

(कंडिका 7.2.8)

- विभाग द्वारा प्रारंभिक तथा सामयिक कार्रवाई न किए जाने के कारण कालातीत हो चुके 86,358 अपराध प्रकरणों से सम्बंधित 3.06 करोड़ रूपये के राजस्व से शासन वंचित रहा ।

(कंडिका 7.2.10)

- जब्त की गई इमारती लकड़ी के अनिवर्तित पड़े रहने से उसकी गुणवत्ता में ह्रास होने के परिणामस्वरूप उसके मूल्य में 4.27 करोड़ रूपये की कमी हुई ।

(कंडिका 7.2.12)

(8) खनन प्राप्तियाँ

1. 9 जिलों में 71 पट्टेदारों से अनिवार्य किराए तथा ब्याज की वसूली न करने/कम वसूली करने के परिणामस्वरूप 51.53 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 8.2.1)

2. 7 प्रकरणों में खनिजों के अवैध निष्कासन पर शास्ति अनारोपण के कारण 116.26 करोड़ रूपये का शासकीय राजस्व अवरूद्ध हुआ ।

(कंडिका 8.3)

3. परिवर्तन गुणांक के आधार पर 3.81 करोड़ रूपये के राज्यांश की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 8.4)

4. रीवा जिले के एक पट्टेदार द्वारा किए गए विलंबित भुगतानों पर न तो 14.20 लाख रूपये का ब्याज आरोपित किया गया और न ही उससे ब्याज की वसूली की गई ।

(कंडिका 8.6)

(9) अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ

जल संसाधन विभाग

1980–81 तथा 1997–98 के मध्य पूर्ण हुई 47 सिंचाई योजनाओं पर 3.37 करोड़ रूपये का समुन्नति अंशदान आरोपित/वसूल नहीं किया गया ।

(कंडिका 9.7)

अध्याय – 1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2002–03 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं विभाज्य संघीय करों का राज्य अंशदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप ऑकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रूपयों में)

		1998–1999	*1999–2000*	*2000–2001*	*2001–2002*	*2002–2003*
I	राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व					
(क)	कर राजस्व	5108.48	5795.21	5639.58	4678.98	6164.55
(ख)	कर–भिन्न राजस्व	1781.99	2468.97	1724.33	1601.68	1635.48
	योग	***6890.47***	***8264.18***	***7363.91***	***6280.66***	***7800.03***
II	भारत सरकार से प्राप्तियॉ					
(क)	विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	2932.12	3261.64	3955.51	3439.30	3728.73[1]
(ख)	सहायता अनुदान	1523.25	1677.85	1519.88	1491.12	1861.64
	योग	***4455.38***	***4939.49***	***5475.39***	***4930.42***	***5590.37***
III	राज्य की कुल प्राप्तियॉ	11345.85	13203.67	12839.30	11211.08	13390.40
IV	***III से I का प्रतिशत***	***61***	***63***	***57***	***56***	***58***

विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के 2002–2003 के वित्त लेखे के विवरण पत्रक क्रमांक 11 "राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षो से" का अवलोकन करें । शीर्ष "0021 आय पर निगम कर से भिन्न कर राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश" के ऑकड़े, जो वित्त लेखे में कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित है, को राज्य द्वारा वसूल की गई प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में शामिल किया गया है ।

1.1.2 पूर्ववर्ती चार वर्षों के आँकड़ों सहित वर्ष 2002–2003 के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रूपयों में)

	राजस्व शीर्ष	*1998–99*	*1999–00*	*2000–01*	*2001–02*	*2002–03*	*2001–02 की तुलना में 2002–03 में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत*
1	(क) विक्रय कर (ख) केन्द्रीय विक्रय कर	2297.48	2555.08	2766.57	2360.74	2906.20	(+) 23.11
2	राज्य उत्पाद शुल्क	965.40	1073.38	974.94	704.68	890.32	(+) 26.34
3	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	400.21	470.12	477.08	444.96	535.05	(+) 20.25
4	विद्युत पर कर एवं शुल्क	488.81	611.48	447.91	268.19	801.26	(+) 198.77
5	वाहनों पर कर	382.25	402.01	405.90	393.33	428.64	(+) 8.98
6	माल एवं यात्रियों पर कर	413.01	428.36	333.85	262.40	351.20	(+) 33.84
7	आय एवं व्यय पर अन्य कर, वृत्ति, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर	104.74	179.58	167.50	173.05	187.44	(+) 8.31
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	24.80	26.94	22.95	19.99	20.08	(+) 0.45
9	भू–राजस्व	26.97	43.26	38.47	48.21	40.44	(–) 16.12
10	होटल प्राप्तियाँ	4.81	5.00	4.41	3.43	3.92	(+) 14.57
	योग	*5108.48*	*5795.21*	*5639.58*	*4678.98*	*6164.55*	*31.75*

सम्बंधित विभागों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2001–02 की तुलना में वर्ष 2002–03 के दौरान प्राप्तियों में भिन्नता के कारणों का नीचे उल्लेख किया गया है ।

विक्रय कर/केन्द्रीय विक्रय कर : ब्रांडेड ब्रीड, 100 रूपये मूल्य तक के पी.वी.सी. जूतों तथा चप्पलों पर कर का आरोपण, खाद्यान्नों तथा दालों पर कर की निम्नतर दर को वापस लेने तथा कुछ जिन्सों/व्यापारिक वस्तुओं आदि पर कर मुक्त सुविधा की वापसी के कारण वृद्धि (23.11 प्रतिशत) हुई ।

राज्य उत्पाद शुल्क : देशी शराब के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति तथ राजस्व में सामान्य वृद्धि के कारण वृद्धि (26.34 प्रतिशत) हुई ।

मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस : राजस्व में सामान्य वृद्धि होने के कारण वृद्धि (20.25 प्रतिशत) हुई ।

विद्युत पर कर एवं शुल्क : विद्युत के उपभोग तथा विक्रय पर कर के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति तथा राजस्व में सामान्य वृद्धि के कारण वृद्धि (198.77 प्रतिशत) हुई ।

माल एवं यात्रियों पर कर : लुगदी, औद्योगिक बांस तथा साफ्टवुड के आयात पर प्रवेश कर के आरोपण के कारण वृद्धि (33.84 प्रतिशत) हुई ।

"होटल प्राप्तियों" तथा *"भू–राजस्व"* के सम्बंध में भिन्नता के कारण सम्बंधित विभाग से प्राप्त नहीं हुए हैं (जून 2004) ।

1.1.3 विगत चार वर्षों के आंकड़ों सहित वर्ष 2002–03 के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर–भिन्न राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपयों में)

	राजस्व शीर्ष	*1998–99*	*1999–00*	*2000–01*	*2001–02*	*2002–03*	*2001–02 की तुलना में 2002–03 में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत*
1	ब्याज प्राप्तियॉं	147.48	257.07	184.56	246.59	32.05	(–) 87.00
2	डेयरी विकास	11.22	7.87	0.04	——	——	——
3	अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ	161.49	254.78	208.14	237.68	249.32	(+) 4.89
4	वानिकी एवं वन्य जीवन	507.60	315.28	372.56	306.45	497.30	(+) 62.28
5	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	806.43	867.84	721.04	528.39	590.69	(+) 11.79
6	विविध सामान्य सेवाऐं (लाटरी प्राप्तियाँ सहित)	4.76	101.02	75.17	141.03	120.94	(–) 14.25
7	शक्ति (विद्युत)	0.01	478.87	0.28	0.05	0.24	(+) 380.00
8	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	42.63	66.85	47.17	39.15	24.64	(–) 37.06
9	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	10.57	15.45	8.76	16.14	20.36	(+) 26.15
10	सहकारिता	17.64	18.39	16.79	13.23	14.45	(+) 9.22
11	लोक निर्माण		13.03	21.84	6.75	8.57	(+) 26.96
12	पुलिस	37.00	33.96	32.95	42.49	39.23	(–) 7.67
13	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	35.16	38.56	35.03	23.73	37.69	(+) 58.83
	योग	*1781.99*	*2468.97*	*1724.33*	*1601.68*	*1635.48*	*(+) 2.11*

सम्बंधित विभागों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2001–02 की तुलना में वर्ष 2002–03 के दौरान प्राप्तियों में भिन्नता के कारण नीचे दिये गये हैं :

वानिकी एवं वन्य जीवन : इमारती लकड़ी के राजकीय व्यापार शीर्ष के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों, इमारती लकड़ी एवं अन्य वनोपजों के विक्रय तथा राजस्व में सामान्य वृद्धि के कारण वृद्धि (62.28 प्रतिशत) हुई ।

अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग : राजस्व में सामान्य वृद्धि के कारण वृद्धि (11.79 प्रतिशत) हुई ।

शक्ति (विद्युत) : अनुदान शीर्ष में विद्युत बोर्ड के व्यय में कमी होने के कारण वृद्धि (380 प्रतिशत) हुई ।

ब्याज प्राप्तियाँ, विविध सामान्य सेवाऐं, वृहद एवं मध्यम सिंचाई, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, लोक निर्माण तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं के सम्बंध में भिन्नताओं के कारण सम्बंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए हैं (जून 2004) ।

1.1.4 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताएं

कर एवं कर–भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षों में वर्ष 2002–03 के बजट अनुमानों तथा वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में भिन्नताएं नीचे दर्शाये अनुसार हैं :

(करोड़ रूपयों में)

	राजस्व शीर्ष	*बजट अनुमान*	*वास्तविक प्राप्तियाँ*	*भिन्नताएं वृद्धि (+)/कमी (–)*	*भिन्नता का प्रतिशत*
क	कर राजस्व				
1	विक्रय कर	2904.00	2923.62	(+) 19.62	(+) 0.68
2	राज्य उत्पाद शुल्क	911.00	916.33	(+) 5.33	(+) 0.58
3	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	510.00	536.94	(+) 26.94	(+) 5.28
4	विद्युत पर कर एवं शुल्क	584.00	822.38	(+) 238.38	(+) 41.00
ख	कर–भिन्न राजस्व				
1	वानिकी एवं वन्य जीवन	410.52	433.10	(+) 22.58	(+) 5.5
2	भू–राजस्व	7.78	1.46	(–) 6.32	(–) 81
3	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	572.23	592.66	(+) 20.43	(+) 3.57
4	सहकारिता	11.00	11.14	(+) 00.14	(+) 0.14

एक विभाग द्वारा प्रतिवेदित बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता के सारभूत कारण निम्नानुसार थे :

विद्युत पर कर एवं शुल्क : बकाया राशि एवं उस पर ब्याज की वसूली के कारण वृद्धि (41 प्रतिशत) हुई ।

अन्य विभागों से बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में सारभूत भिन्नता के कारण यद्यपि मंगाये गए थे, पर प्राप्त नहीं हुए हैं (जून 2004) ।

1.1.5 संग्रहण की लागत

वर्ष 2000–01, 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर ऐसे किए गए व्यय का प्रतिशत, वर्ष 2001–02 में सकल संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाये अनुसार था :

(करोड़ रूपयों में)

	राजस्व शीर्ष	*वर्ष*	*संग्रहण*	*राजस्व संग्रहण पर व्यय*	*संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत*	*वर्ष 2001–02 में राष्ट्रीय औसत प्रतिशत*
1	विक्रय कर	2000–01	2766.57	46.38	1.68	1.26
		2001–02	2360.74	37.42	1.59	
		2002–03	2906.21	41.14	1.42	
2	वाहनों पर कर तथा माल एवं यात्रियों पर कर	2000–01	408.74	11.69	2.88	2.99
		2001–02	655.73	10.94	1.67	
		2002–03	779.84	14.71	1.89	
3	राज्य उत्पाद शुल्क	2000–01	974.94	97.47	10.10	3.21
		2001–02	704.68	87.64	12.44	
		2002–03	890.32	106.28	11.94	
4	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	2000–01	477.08	56.04	11.75	3.51
		2001–02	444.96	59.87	13.46	
		2002–03	535.05	56.48	10.56	

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य उत्पाद शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की संग्रहण लागत राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा काफी अधिक थी । इन करों एवं फीस के संग्रहण व्यय को कम रखने हेतु कार्रवाई वांछित है ।

विभाग द्वारा संचालित नवगठित संभागीय विदेशी मदिरा भंडारों से विक्रय की गई विदेशी मदिरा के भुगतान के कारण राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रहण की लागत अधिक थी ।

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीय फीस के सम्बंध में संग्रहण की अधिक लागत के कारण विभाग से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

1.1.6 प्रति निर्धारिती बिक्रय कर का संग्रहण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	*निर्धारितियों की संख्या*	*विक्रय कर राजस्व*	*राजस्व/निर्धारिती*
1998–1999	1,74,975	2,335.05	0.013
1999–2000	1,83,166	2,583.37	0.014
2000–2001	1,53,735	2,272.42	0.015
2001–2002	2,10,104	2,393.44	0.011
2002–2003	2,24,298	2,923.62	0.013

1.1.7 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2003 को राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षो में बकाया राजस्व की राशि 839.26 करोड़ रूपये थी जिसमें से 119.05 करोड़ रूपये की राशि निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार 5 वर्षो से अधिक समय में बकाया थीं :

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या	*राजस्व शीर्ष*	*31 मार्च को बकाया राशि*	*31 मार्च 03 को 5 वर्षो से अधिक समय से बकाया राशि*	*टिप्पणी*
1	वन	24.91	19.63	6.48 करोड़ रूपये की वसूली न्यायाधीन/ निर्णयाधीन है, राज्य सरकार द्वारा 7.92 करोड़ रूपये की राशि को अपलेखित करने का निर्णय लिया गया । 10.51 करोड़ रूपये की शेष बकाया राशि की स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया गया था ।
2	वाहनों पर कर	18.34	18.34	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई ।
3	उत्पाद शुल्क	52.47	34.42	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई ।
4	राजस्व	1.45	1.59	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई ।
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	36.97	7.00	4.47 करोड़ रूपये की राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु सूचित की गई, 23.12 करोड़ रूपये की वसूलियां न्यायिक प्राधिकारियों/शासन द्वारा स्थगित की गईं तथा 4.66 करोड़ रूपये की वसूली बीमार कपड़ा मिलों के विरूद्ध लंबित । 4.72 करोड़ रूपये की शेष बकाया राशि की स्थिति सूचित नहीं की गई ।
6	विक्रय कर	653.27	उपलब्ध नहीं	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई ।
7	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	51.85	38.07	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई ।
	योग	*839.26*	*119.05*	

1.1.8 कर अपवंचन

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार विक्रय कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क विभागों द्वारा पकड़े गए कर–अपवंचन के प्रकरणों, निराकृत प्रकरणों तथा अतिरिक्त कर हेतु सृजित मांग से सम्बंधित विवरण निम्नानुसार हैं :

क्रम संख्या	*कर/शुल्क का नाम*	*31 मार्च 2002 को लंबित प्रकरण*	*2002–2003 के दौरान पकड़े गए प्रकरण*	*योग*	*उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पड़ताल पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई*		*31 मार्च 2003 को निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या*
					प्रकरणों की संख्या	*मांग की राशि (लाख रूपयों में)*	
1	विक्रय कर	248	326	574	334	2,003.91	240
2	राज्य उत्पाद शुल्क	153	1,603	1,756	539	5.00	1217

1.1.9 धन वापसी

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2002–03 के प्रारंभ में लंबित धन वापसी प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान प्रतिदायों तथा वर्ष 2002–03 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रूपयों में)

	विद्युत पर कर एवं शुल्क		*राज्य उत्पाद शुल्क*		*निर्माण संविदा*	
	प्रकरणों की संख्या	*राशि*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे	निरंक	निरंक	358	3.63	निरंक	निरंक
वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	निरंक	निरंक	31	0.36	निरंक	निरंक
वर्ष के दौरान धन वापसियाँ	निरंक	निरंक	213	2.56	निरंक	निरंक
वर्ष के अंत में बकाया शेष	निरंक	निरंक	176	1.43	निरंक	निरंक

1.1.10 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–03 में विक्रय कर, भू–राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 2,09,950 प्रकरणों में 928.13 करोड़ रूपये की राजस्व राशि का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि प्रकट हुई । वर्ष के दौरान विभागों द्वारा 2002–03 तथा पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए 80,673 प्रकरणों में 413.83 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण स्वीकार किया तथा 24.55 करोड़ रूपये की वसूली की गई । शेष प्रकरणों के सम्बंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

इस प्रतिवेदन में 295.70 करोड़ रूपये के करों, शुल्कों, ब्याज तथा शास्तियों आदि के अनारोपण/कम आरोपण से सम्बंधित 3 समीक्षाओं सहित 58 कंडिकायें समाविष्ट हैं । विभागों/शासन ने 240.98 करोड़ की लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है ।

1.1.11 लेखा परीक्षा के प्रति शासन की अनुक्रियाशीलता का अभाव

मध्य प्रदेश शासन के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर, भू–राजस्व, पंजीयन तथा अन्य विभागों के विभिन्न कार्यालयों से सम्बंधित दिसम्बर 2002 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चला कि 1980–81 से दिसम्बर 2002 के अंत तक 2,989 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित 1,2561 कंडिकायें लंबित रहीं ।

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कंडिकाओं की विभागवार स्थिति निम्नानुसार थी :

क्रम संख्या	*विभाग*	*निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या*	*कंडिकाओं की संख्या*	*राशि (करोड़ रूपयों में)*
1	वाणिज्यिक कर	944	6,159	448.13
2	भू–राजस्व	1,347	3,542	874.51
3	राज्य उत्पाद	312	1,160	446.86
4	मनोरंजन	148	204	3.76
5	खनन	185	561	323.35
6	मोटर वाहन कर	214	1,429	239.79
7	विद्युत	74	248	170.66
8	पंजीयन तथा मुद्रांक शुल्क	802	1,702	50.37
9	डी.आर.ए.पी. (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)	1,019	3,494	307.92
10	वन	566	1,544	686.66
	योग	***5,611***	***20,043***	***3552.01***

उत्तरों के प्राप्त न होने के कारण वाणिज्यिक कर, भू–राजस्व तथा पंजीयन विभाग से सम्बंधित लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में पता चला कि कार्यालय प्रमुखों (जिनके अभिलेखों की जाँच महालेखाकार द्वारा की गई) तथा विभागाध्यक्षों ने बहुत से निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का कोई उत्तर नहीं दिया जो निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित किए गए दोषों/त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं के सम्बंध में कार्रवाई प्रारंभ करने में उनकी विफलता को इंगित करता है । विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों, जिन्हें अर्धवार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से स्थिति के बारे में अवगत कराया गया था, द्वारा भी विभाग के सम्बंधित कार्यालयों द्वारा त्वरित एवं समयोचित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया ।

गंभीर वित्तीय अनियमितताओं तथा शासकीय हानि को लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने के बावजूद चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई न किए जाने से इनकी निरन्तरता को बढ़ावा मिला । यह संस्तुति की जाती है कि शासन, उन अधिकारियों के विरूद्ध, जो निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर प्रेषित करने में विफल रहे, कार्रवाई हेतु प्रक्रिया की पुनः जाँच करे, एक समयबद्ध प्रक्रिया से हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली हेतु कार्रवाई करे तथा विभाग में लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में सुधार करे ।

1.1.12 विभागीय लेखा परीक्षा समिति की बैठकें

उच्चाधिकार समिति, जिसमें शासन के प्रतिनिधि, विभागाध्यक्ष तथा वरिष्ठ उप महालेखाकार शामिल थे, की बैठक जून 2003 तथा अक्टूबर 2003 में हुई जिनमें वन विभाग से सम्बंधित 378 आपत्तियों का निराकरण किया गया ।

1.1.13 प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के प्रत्युत्तर

लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेश करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं को सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए छः सप्ताह के अन्दर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिए निवेदन करते हुए अग्रेषित किया गया । विभागों से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति को लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट प्रत्येक कंडिका के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है ।

इस प्रतिवेदन में समाविष्ट प्रारूप कंडिकाओं को सम्बंधित विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके नाम से (मई तथा अगस्त 2003 के मध्य) भेजा गया था । विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों ने प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर प्रेषित नहीं किए । वित्त विभाग की टिप्पणी के साथ–साथ विभाग के शीघ्र उत्तर को सुनिश्चित करने हेतु इस स्थिति को नवम्बर 2003 में अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया । इन कंडिकाओं को विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है ।

1.1.14 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुवर्तन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 27 फरवरी 2004 को विधानसभा के पटल पर रखा गया था । वर्ष 1988–89 तक के प्रतिवेदनों पर चर्चा की जा चुकी है ।

वर्ष 1989–90 से 1994–95 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर आंशिक रूप से चर्चा की जा चुकी है तथा लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) की अनुशंसायें प्राप्त हो चुकी हैं । लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वर्ष 1985–86 तक के अनुवर्तन पालन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं । वर्ष 1986–87 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर आठ विभागों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य शासन के प्रत्युत्तर की समीक्षा हेतु नियुक्त उच्चाधिकार समिति की अनुशंसा (मार्च 1993) के अनुसरण में लोक लेखा समिति ने दिनांक 12 जुलाई, 1994 की अपनी बैठक में निर्णय लिया कि प्रतिवेदनों की विभिन्न कंडिकाओं पर शासन की स्पष्टीकरण सम्बंधी टीपें विधानसभा में इन्हें पटल पर रखे जाने के तीन माह के अन्दर शासन द्वारा प्रस्तुत की जाना चाहिए । तथापि शासन द्वारा अनुपालनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है और प्रतिवेदनों पर स्पष्टीकरण सम्बंधी टीपों में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है । वर्ष 1991–92 तथा 2000–01 के प्रतिवेदनों में शामिल 734 कंडिकाओं (समीक्षाओं सहित) में से 143 कंडिकाओं के सम्बंध में शासन से स्पष्टीकरण सम्बंधी टीपें प्रतीक्षित हैं (जून 2004) ।

अध्याय – 2

वाणिज्यिक कर

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–2003 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित कर निर्धारण प्रकरणों एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में 1,474 प्रकरणों में सन्निहित 87.30 करोड़ रूपये की राशि के अवनिर्धारण, शास्ति तथा कर का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत दर लागू किये जाने आदि से सम्बंधित प्रकरण प्रकाश में आए, जिनको मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1	मध्य प्रदेश बकाया राशि सरल समाधान योजना	1	2.70
2	कर का अनारोपण/ कम आरोपण	255	7.89
3	कर की गलत दर का लागू किया जाना	279	13.63
4	कर योग्य विक्रय राशि का गलत निर्धारण	128	3.06
5	कटौती/छूट की गलत स्वीकृति	363	29.00
6	अन्य	448	31.02
	योग	***1,474***	***87.30***

महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण, जिनमें 23.39 करोड़ रूपये का राजस्व सन्निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं :

2.2 मध्य प्रदेश बकाया राशि सरल समाधान योजना 2001

2.2.1 31 मार्च 1997 तक की कर निर्धारण अवधि से सम्बंधित तथा 1 अप्रैल 2001 को लंबित करों, ब्याज तथा शास्तियों की बकाया राशि का निराकरण करने के उद्देश्य से, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनवरी 2002 में मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 तथा मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश बकाया राशि सरल समाधान योजना 2001[1] (योजना) तथा मध्य प्रदेश बकाया राशि सरल समाधान योजना नियम[2] 2001 लागू किया गया । 50,000 रूपये तक तथा 50,000 रूपये से अधिक बकाया राशि के प्रकरणों का निराकरण उन राशियों का क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत भुगतान द्वारा किया जाना था । इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक बकायादार द्वारा 31 जनवरी 2002 तक दो प्रतियों में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना था तथा नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर स्वीकृत समाधान राशि जमा की जानी थी ।

बकाया राशि की तुलना में वसूल की गई/माफ की गई राशि के लक्ष्य एवं प्राप्तियां

2.2.2 1 अप्रैल 2001 को, मार्च 1997 को समाप्त निर्धारण अवधि से सम्बंधित वाणिज्यिक कर विभाग के विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत करों, ब्याज तथा शास्तियों की वास्तविक बकाया राशि का विवरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के पास उपलब्ध नहीं था । लेकिन आयुक्त, वाणिज्यिक कर के अभिलेखों के अनुसार, 1 अप्रैल 2001 को कुल विक्रय कर की बकाया राशि के रूप में 225.79 करोड़ रूपये की राशि वसूली हेतु लंबित थीं । विभाग ने योजना के अन्तर्गत वसूली के लिए 12.49 करोड़ रूपये के लक्ष्य के सम्बंध में शासन को सूचित किया था । लक्ष्यों के निर्धारण का आधार उपलब्ध नहीं था। आयुक्त द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को बकाया राशि की वसूली हेतु समनुदेशित किए गए 25 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 23.70 करोड़ रूपये की वसूली की गई । लेखा परीक्षा में लक्ष्यों के निर्धारण से सम्बंधित मूल कारण (मूलभूत आधार) सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

1 अधिसूचना सं. ए 7–15/2002/5 वी–98 दिनांक 5.01.2002

2 अधिसूचना सं. ए 7–15/2003/5 वी–99 दिनांक 5.01.2002

योजना के अंतर्गत राहत की अनियमित स्वीकृति

2.2.3 योजना के प्रावधानों के अनुसार, बकायादारों द्वारा प्रारंभ किए गए अपील/संशोधन तथा न्यायालयीन प्रक्रिया के प्रकरणों का निराकरण उनके द्वारा ऐसे प्रकरणों को वापस लेकर किया जा सकता था ।

उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि तीन व्यापारियों के प्रकरणों में, 1996–97 तक 13.16 लाख रूपये की बकाया राशि का निराकरण/निपटारा, 7.90 लाख रूपये की राहत प्रदान के उपरांत व्यापारियों द्वारा 5.26 लाख रूपये के कर का भुगतान किए जाने पर किया गया था । लेकिन यह देखा गया कि इन प्रकरणों में विभाग द्वारा न्यायालयों में व्यापारियों के विरूद्ध चालानों की राशि में हेरफेर करने सम्बंधी प्रकरण दाखिल किए गये थे । चूंकि न्यायालयीन कार्रवाहई विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी, अतः इन प्रकरणों में किया गया निराकरण/निपटारा अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप 7.90 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा समाधान प्राधिकारी ने नवम्बर 2002 में बताया कि योजना में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि चालानों में हेराफेरी से सम्बंधित न्यायालयीन प्रकरणों विभाग द्वारा संस्थापित किए गए थे, न कि व्यापारियों द्वारा। अतः ऐसे प्रकरणों में राहत प्रदान नहीं की जानी चाहिए थी ।

योजना के अंतर्गत न आने वाले प्रकरणों का निराकरण

2.2.4 योजना के अनुसार, 31 मार्च 1997 को समाप्त निर्धारण अवधि से सम्बंधित तथा 1 अप्रैल 2001 को लंबित बकाया राशि के लिए ही बकाया राशि के निराकरण/निपटारे की सुविधा उपलब्ध थी ।

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, ग्वालियर[3] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि एक व्यापारी को, उसके द्वारा 23.31 लाख रूपये की कुल बकाया राशि में से 9.32 लाख रूपये के भुगतान के उपरांत निर्धारण अवधि 1997–98 से सम्बंधित बकाया राशि के निराकरण के लिए योजना का लाभ दिया गया । इसके परिणामस्वरूप बकाया राशि के अनियमित निराकरण के कारण 13.99 लाख रूपये की हानि हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, ग्वालियर ने बताया कि निराकरण सही ढंग से किया गया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारण वर्ष 1997–98 से सम्बंधित प्रकरण योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं थे, अतः निराकरण अनियमित था ।

[3] आयुक्त का पत्र सं. वा.क./17/वसूली/2001/549 दिनांक 28.01.2002

2.2.5 योजना का उद्देश्य मार्च 1997 को समाप्त निर्धारण अवधि से सम्बंधित तथा 1 अप्रैल 2001 को लंबित करों, ब्याज तथा शस्तियों की बकाया राशि का परिशोधन करना था । योजना उन प्रकरणों में लागू नहीं थी जिनमें कर की राशि 1 अप्रैल 2001 के उपरांत भुगतान के लिए देय हुई थी ।

अपर आयुक्त/उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल, ग्वालियर तथा इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि योजना का लाभ 19 व्यापारियों को दिया गया था जो अस्थगन योजनाओं के अन्तर्गत किस्तों में कर भुगतान की सुविधा का लाभ ले रहे थे तथा अप्रैल 2001 के उपरांत कर की राशि भुगतान के लिए देय थी । व्यापारियों द्वारा 68.50 लाख रूपये के भुगतान पर 1.71 करोड़ रूपये की बकाया राशि का निराकरण किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 1.03 करोड़ रूपये की राशि की हानि हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने सितम्बर 2003 में 18 प्रकरणों में अन्तर्निहित 1.02 करोड़ रूपये राशि के लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि परिशोधन के लिए कार्रवाई की जा रही है । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

2.2.6 आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2002 को जारी परिपत्र द्वारा[4] यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे व्यापारी जो किस्तों में कर भुगतान की सुविधा का लाभ ले रहे थे, योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के पात्र नहीं थे, शासन ने आस्थगन योजना का लाभ ले रहे व्यापारियों को आस्थगन नियम, 1986 तथा 1994 द्वारा किस्तों में कर का पुनर्भुगतान करने की अनुमति प्रदान की थी । इस प्रकार ऐसे व्यापारियों का योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता था ।

उपायुक्त, कटनी तथा अपर आयुक्त, इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 21 व्यापारियों को, जिन्होंने आस्थगन योजना का लाभ लिया था, योजना के अन्तर्गत लाभ लेने की अनुमति दी गई थी तथा 1.42 करोड़ रूपये की कुल बकाया राशि में से 61.02 लाख रूपये के भुगतान पर प्रकरणों का निराकरण किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 80.49 लाख रूपये की हानि हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने सितम्बर 2003 में 11 प्रकरणों में अन्तर्निहित 55.86 लाख रूपये के अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि परिशोधन के लिए कार्रवाई की जा रही है । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

[4] आ.वा.क./17/नियम/192/2002/1018 दिनांक 8.02.2002

समाधान राशि के भुगतान में विलम्ब

2.2.7 मध्य प्रदेश बकाया राशि सरल समाधान योजना नियम, 2001 के प्रावधानों के अनुसार, समाधान राशि की गणना के पश्चात, समाधान प्राधिकारी बकायादार को उक्त राशि नोटिस प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर जमा करने के लिए सूचित करेगा । कथित शर्त की पूर्ति किए जाने के पश्चात् ही योजना का लाभ दिया जाएगा ।

सहायक आयुक्त, इन्दौर तथा उपायुक्त, ग्वालियर तथा कटनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 25 प्रकरणों में समधान प्राधिकारी द्वारा निर्धारित 64.75 लाख रूपये की राहत प्रदान करने के पश्चात् बकायादारों द्वारा समाधान राशि के रूप में 42.77 लाख रूपये की राशि कोषालय में 15 दिन की अवधि के बाद जमा की गई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा विभाग ने 8 प्रकरणों में अन्तर्निहित 15.88 लाख रूपये के लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि परिशोधन के लिए कार्रवाई की जा रही है । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

प्रकरण जून 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004)

2.3 कर योग्य विक्रय राशि का गलत निर्धारण

2.3.1 मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (अधिनियम 1994) के अन्तर्गत विवरणी दाखित करने वाला प्रत्येक व्यापारी विवरणी के अनुसार देय कर की पूरी राशि अदा करेगा । निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत व्यापारी द्वारा देय कर राशि का निर्धारण अलग से किया जाएगा एवं तदनुसार मांग सृजित की जाएगी । अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विलंबित भुगतान पर ब्याज भी आरोपणीय है ।

क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अवधि 1997–98 से सम्बंधित एक व्यापारी की कर योग्य विक्रय राशि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अप्रैल 2001 में 1.25 करोड़ रूपये निर्धारित की गई । लेकिन कर केवल 53.19 लाख पर आरोपित किया गया । 71.81 लाख रूपये की विक्रय राशि पर कर आरोपित न किए जाने के परिणामस्वरूप 4.76 लाख रूपये के ब्याज सहित 11.37 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा निर्धारण प्राधिकारी ने दिसम्बर 2002 में बताया कि इकाई बंद हो चुकी थी तथा कर योग्य विक्रय राशि का निर्धारण व्यापारी द्वारा दाखिल किए गए विवरणियों के आधार पर किया गया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 1.25 करोड़ रूपये की कर योग्य विक्रय राशि का निर्धारण स्वयं निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई विवरणियों में उल्लिखित विक्रय राशि के आधार पर किया गया था तथा कर तदनुसार आरोपित किया जाना चाहिए था ।

2.3.2 अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत संवेष्ठन सामग्री का क्रय या विक्रय उसी वस्तु के क्रय या विक्रय के साथ हुआ माना जाएगा तथा वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर लगने वाले कर की दर ही आरोपणीय होगी । इसके अतिरिक्त, उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण द्वारा वसूल की गई प्राप्ति की राशि पर भी कर आरोपणीय है ।

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल तथा दो वृत कार्यालयों[5] में यह देखा गया कि मार्च 1999 तथा फरवरी 2000 के मध्य निर्धारण प्राधिकारियों ने तीन व्यापारियों के चार प्रकरणों में उनके निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर योग्य विक्रय राशि में, बेची गई वस्तुओं की संवेष्ठन सामग्री की लागत तथा पट्टा किराए की 1.06 करोड़ रूपये की राशि को शामिल नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप 5.18 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा निर्धारण प्राधिकारी, मण्डला ने एक प्रकरण में लेखा परीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया । लेकिन राशि की वसूली के लिए आगामी कार्रवाई के सम्बंध में सूचित नहीं किया गया । अन्य प्रकरणों में अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रकरण फरवरी 2001 तथा मार्च 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

2.4 मूल्य संवर्धन कर का अनारोपण/कम आरोपण

अधिनियम (संशोधन), 1997, की धारा 9(ख) के अन्तर्गत, अधिनियम की अनुसूची II में आने वाले वितेलीयकृत केक, भवन निर्माण सामग्री, विद्युत उपंकरण तथा दवाओं की पुनर्विक्री के संवर्धन मूल्य पर मूल्य संवर्धन कर (वेट) आरोपणीय है । विमुक्त इकाइयों से क्रय की गई वस्तुओं पर भी वेट (मूल्य संवर्धन कर) आरोपणीय है ।

चार कार्यालयों[6] में अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अक्टूबर 2000 तथा नवम्बर 2001 के मध्य चार व्यापारियों का अवधि 1997–98 से 1999–2000 तक से सम्बंधित कर निर्धारण करते समय, निर्धारण प्राधिकारी ने 5.79 करोड़ रूपये मूल्य के वितेलीयकृत केक, भवन निर्माण सामग्री, विद्युत उपकरण तथा दवाओं की पुनर्विक्री के संवर्धन मूल्य पर 27.63 लाख रूपये का मूल्य संवर्धन कर आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 27.63 लाख के मूल्य संवर्धन कर (वेट) अनारोपण हुआ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा निर्धारण प्राधिकारी, इन्दौर ने बताया कि विमुक्त की गई इकाई से वस्तुओं के क्रय किए जाने के कारण मूल्य संवर्धन कर (वेट) आरोपित नहीं किया गया । निर्धारण प्राधिकारी, सतना ने बताया कि क्रयकर्ताओं को देयकों में दी गई छूट विक्रय राशि में से घटा

5 भोपाल तथा मण्डला

6 वृत कार्यालय – भोपाल (2) तथा इन्दौर एवं सतना (क्षेत्रीय कार्यालय)

दी गई थी । अतः मूल्य–संवर्धन कर (वेट) आरोपित नहीं किया गया । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि अधिनियम में विनिर्दिष्ट की गई वस्तुओं की पुनर्विक्री पर मूल्य–संवर्धन कर आरोपणीय है तथा अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्त वस्तुओं के संवर्धन मूल्य पर कोई छूट नहीं दी जानी है । इसके अतिरिक्त, एक अन्य प्रकरण में निर्धारण प्राधिकारी, सतना द्वारा निर्धारित किए गए एक व्यापारी के लाभ तथा हानि लेखे में छूट के रूप में कोई कटौती नहीं दर्शाई गई थी । राशि अस्वीकृत कर तदनुसार कर आरोपित किया जाना चाहिए था । अन्य दो कार्यालयों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था ।

प्रकरण जुलाई 2001 तथा दिसम्बर 2002 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

2.5 अधिभार का अनारोपण/कम आरोपण

अधिनियम, 1994 की धारा 10(क) के अन्तर्गत, अधिभार निर्धारित दरों पर आरोपित किया जाना है ।चार क्षेत्रीय कार्यालयों[7] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अगस्त 2000 से मार्च 2001 के मध्य चार व्यापारियों के वर्ष 1997–98 से सम्बंधित कर निर्धारण के प्रकरण में 21.74 लाख रूपये की राशि आरोपित नहीं की गई या कम आरोपित की गई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा निर्धारण प्राधिकारी, सतना ने फरवरी 2002 में 12.93 लाख रूपये की मांग सृजित की । अन्य निर्धारण प्राधिकारियों ने लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया । लेकिन अंतिम कार्रवाई के सम्बंध में सूचित नहीं किया गया (जून 2004) ।

प्रकरण मार्च 2002 तथा जून 2002 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

2.6 कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

अधिनियम, 1994 की धारा 26(4) के अन्तर्गत, यदि कोई व्यापारी बिना किसी पर्याप्त कारण के उसके द्वारा देय कर राशि को समय पर जमा करने में विफल रहता है तो वह देय कर के भुगतान की तिथि से 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज के भुगतान के लिए दायी होगा ।

क्षेत्रीय कार्यालय, गुना के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सितम्बर 2000 को किये गये कर निर्धारण में एक व्यापारी के अवधि 1997–98 से सम्बंधित कर प्रकरण में, कर के रूप में देय 1.20 करोड़ रूपये की राशि उसके द्वारा 14 माह के विलम्ब से जमा कराई गई जिस पर 33.52 लाख रूपये का

7 भोपाल, छिन्दवाड़ा, इन्दौर तथा सतना

ब्याज आरोपणीय था लेकिन निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उक्त ब्याज राशि आरोपित नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप 33.52 लाख रूपये के ब्याज का अनारोपण हुआ ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा निर्धारण प्राधिकारी ने अप्रैल 2002 में बताया कि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान अग्रिम/अधिक भुगतानों के विरूद्ध विलंबित धन वापसी के लिए व्यापारी को ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था अतः उस वर्ष के दौरान व्यापारी द्वारा किए गए विलंबित भुगतानों पर ब्याज आरोपित नहीं किया गया था । चूंकि कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज आरोपणीय है तथा अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध कार्रवाई को न्यायोचित नही माना जा सकता है अतः निर्धारण प्राधिकारी का तर्क मान्य नहीं है ।

प्रकरण जुलाई 2002 में शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004)।

2.7 क्रय कर का अनारोपण

मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958, (म.प्र.सा.वि.क.अधिनियम) अधिनियम, 1994 तथा उसके अंतर्गत नियमों में प्रावधान है कि यदि बिना कर चुकाये क्रय किए कच्चे माल का उपयोग तैयार वस्तुओं के विनिर्माण में किया जाता है, तो ऐसी वस्तुओं के क्रय पर कर आरोपणीय होगा । यदि विनिर्मित उत्पाद या इस प्रकार क्रय की गई वस्तुओं को बिना कर का भुगतान किए राज्य के बाहर स्थानांतरित किया जाता है, तो क्रय कर आरोपणीय है ।

2.7.1 क्षेत्रीय कार्यालय, मुरैना के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि मार्च 2001 को किये गये कर निर्धारण में एक व्यापारी के अवधि 1997–98 से सम्बंधित कर निर्धारण प्रकरण में, बिना कर का भुगतान किए 6.34 करोड़ रूपये मूल्य का कच्चा माल क्रय कर उसका उपयोग अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में किया गया । व्यापारी 19.34 लाख रूपये के क्रय कर का भुगतान करने के लिए दायी था जो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 19.34 लाख रूपये के क्रय कर का अनारोपण हुआ ।

2.7.2 क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर तथा खरगौन में दो व्यापारियों ने बिना कर का भुगतान किए 2.08 करोड़ रूपये की रूई तथा बिनौला खरीदा । व्यापारी द्वारा क्रय की गई रूई परेषण आधार पर दूसरे राज्य को स्थानांतरित की गई । कर–मुक्त रूप में क्रय किए गए बिनौले से विनिर्मित बिनौले का तेल तथा वितेलीयकृत केक भी बिना कर का भुगतान किए परेषण आधार पर दूसरे राज्य को स्थानांतरित किया गया । परिणामस्वरूप, व्यापारी 12.32 लाख रूपये के क्रय कर का भुगतान करने के लिए दायी थे । लेकिन जून 1998 तथा जनवरी 2001 में कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारी क्रय कर आरोपित करने में विफल रहे । इसके परिणामस्वरूप 12.32 लाख रूपये के क्रय कर का अनारोपण हुआ ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा निर्धारण प्राधिकारी, मुरैना ने लेखा परीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया कि अभिलेखों के आगामी सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी । अंतिम कार्रवाई के सम्बंध में सूचित नहीं किया गया । अन्य प्रकरणों में भी अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

फरवरी 2001 तथा जून 2002 के मध्य प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

2.8 गलत ढंग से कर मुक्त मानी गई विक्रियों पर कर का अनारोपण

2.8.1 अधिनियम, 1994 तथा उसके अन्तर्गत नियमों एवं जारी की गई अधिसूचनाओं के अन्तर्गत, अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई दरों पर वाणिज्यिक कर आरोपणीय है । अनुसूची II के अनुसार वर्ष 1999 तक पॉली विनाइल क्लोराइड (पी.व्ही.सी.) पाईप्स पर 6 प्रतिशत की दर से तथा इसके पश्चात 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है ।

इन्दौर में वृत कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 1999 तथा जुलाई 2000 के मध्य नौ व्यापारियों के कर निर्धारण प्रकरणों में 1.94 करोड़ रूपये मूल्य के पी.व्ही.सी. पाईपों की विक्री को कर मुक्त मानते हुए उस पर कर आरोपित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 14.37 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि अधिनियम के अन्तर्गत पी.व्ही.सी. पाईप कर के भुगतान से मुक्त थे । विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत पो.व्ही.सी. पाईप कर योग्य हैं तथा पी.व्ही.सी. पाईपों के विक्रय पर कर भुगतान की कोई छूट प्रदान नहीं की गई है ।

2.8.2 इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा तथा जबलपुर के सात व्यापारियों के अप्रैल 1994 से मार्च 1999 तक की अवधि से सम्बंधित अगस्त 1998 तथा फरवरी 2002 के मध्य निर्धारित किए गए कर निर्धारण प्रकरणों में 9.87 करोड़ रूपये मूल्य की विक्री को कर मुक्त मानते हुए, जिसमें 89.48 लाख रूपये का कर प्रभाव अन्तर्निहित था, उसकी कटौती करने की गलत ढंग से छूट प्रदान की गई थी जिसका विवरण निम्नानुसार है :

इकाई का नाम	*कर निर्धारण की अवधि/आदेश दिनांक*	*व्यापार की वस्तु*	*कर की दर (प्रतिशत में)*	*कटौती की राशि (लाख रूपयों में)*	*अंतर्निहित कर की राशि (लाख रूपयों में)*
क्षेत्रीय सहायक आयुक्त (क्षे.स. आ.), इन्दौर	1997–98 अक्टूबर 2002	संयंत्र तथा मशीनरी	4	23.53	0.94
अभ्युक्ति : पंजीकृत विक्रेताओं से क्रय किए गए संयंत्र तथा मशीनरी के विक्रय को गलत ढंग से कर मुक्त माना गया जबकि अधिनियम के अन्तर्गत इस पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है ।					
वृत अधिकारी (वा.क.आ.)–I जबलपुर	1996–97 अगस्त तथा नवम्बर 1999	सिंघाड़ा	4/10 राज्य/केन्द्रीय	68.96	5.99
अभ्युक्ति : सिंघाड़े की विक्री को कर मुक्त माना गया जबकि अधिनियम के अन्तर्गत किराना वस्तुओं के रूप में यह कर योग्य है ।					
क्षे.स.आ., इन्दौर	1997–98 फरवरी 2001	केरोसिन विक स्टोव	8/10 राज्य/केन्द्रीय	700.00	63.00
अभ्युक्ति : केरोसिन विक स्टोव को कर मुक्त माना गया जबकि अधिनियम के अन्तर्गत यह कर योग्य है ।					
वा.क.का.–I भोपाल	1998–99 फरवरी 2002	ग्लास फाइबर क्लॉथ टेप	8/10 राज्य/केन्द्रीय	132.78	12.78
अभ्युक्ति : ग्लास फाइबर क्लॉथ टेप की विक्री पर, यद्यपि यह कर योग्य है, गलत ढंग से छूट प्रदान की गई थी ।					
वा.क.का.–I ग्वालियर	1994–95 1997–98 अगस्त 1998 सितम्बर 2000	काली मेंहदी	15+ अधिभार	18.22	2.74
अभ्युक्ति : काली मेंहदी हेअर डाई है तथा कर योग्य है लेकिन इस पर गलत ढंग से कर की छूट प्रदान की गई है ।					
वा.क.आ. विदिशा	1997–98 जुलाई 2001	बैटरी का पानी	8	43.78	4.03
अभ्युक्ति : बैटरी का पानी कर योग्य है लेकिन इस पर गलत ढंग से कर की छूट प्रदान की गई थी ।					

प्रकरण दिसम्बर 2001 तथा अप्रैल 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

2.9 प्रवेश कर/निकाय कर का अनारोपण/कम आरोपण

मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976, *निकाय कर अधिनियम, 1997* तथा उसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अन्तर्गत, कच्चे माल, आनुषंगिक वस्तु या संवेष्ठन सामग्री के रूप में विक्रय, उपयोग या खपत के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर विनिर्दिष्ट दरों पर प्रवेश कर आरोपणीय है ।

छः क्षेत्रीय कार्यालयों[8] तथा दो वृत्त कार्यालयों[9] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दिसम्बर 1997 तथा फरवरी 2002 के मध्य निर्धारित/पुनर्निर्धारित किए गए अप्रैल 1994 से मार्च 2000 तक की अवधि से सम्बंधित 17 व्यापारियों के 19 प्रकरणों में 25.74 करोड़ रूपये मूल्य की वस्तुओं के प्रवेश पर प्रवेश कर/निकाय कर या तो आरोपित ही नहीं किया गया या गलत दर से आरोपित किया गया । इसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर/निकाय कर के रूप में 31.71 लाख रूपये की राशि का कम आरोपण/अनारोपण हुआ ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित करने पर निर्धारण प्राधिकारी ने 12 व्यापारियों के 12 प्रकरणों में लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया । लेकिन राशि की वसूली के लिए की गई कार्रवाई के सम्बंध में सूचित नहीं किया गया। शेष प्रकरणों में अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

प्रकरण फरवरी 2001 तथा मार्च 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किये गये उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

2.10 कर की गलत दर का लागू किया जाना

मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 तथा अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वाणिज्यिक कर की दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

नौ क्षेत्रीय कार्यालयों[10] तथा ग्यारह वृत कार्यालयों[11] में अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि फरवरी 1996 तथा मार्च 2002 के मध्य निर्धारित/पुनर्निधारित 20 व्यापारियों के 29 प्रकरणों में टाइल्स/मोजाइक टाइल्स, आसंजक टेपों, मुद्रकों (प्रिंटर्स), रबर उत्पादों आदि की 23.36 करोड़ रूपये की विक्रय राशि पर गलत दरों पर कर आरोपित किया गया । इसके परिणामस्वरूप 82.01 लाख रूपये के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ ।

8 भोपाल (3), इन्दौर (2) तथा गुना

9 रतलाम तथा शहडोल

10 भोपाल (2), छिन्दवाड़ा, इन्दौर (4), जबलपुर तथा मुरैना

11 भोपाल (2), ग्वालियर, इन्दौर (6), जबलपुर तथा रीवा

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा निर्धारण प्राधिकारियों ने 13 व्यापारियों के 13 प्रकरणों में लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया । लेकिन राशि की वसूली करने के लिए की गई कार्रवाई के सम्बंध में सूचित नहीं किया गया था । शेष प्रकरणों में अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

प्रकरण जून 2000 से मार्च 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

2.11 बन्द इकाई से कर की वसूली न होना

मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 तथा उसके अधीन जारी अधिसूचना के अन्तर्गत, म.प्र. कर आस्थागन नियम, 1983 के साथ सहपठित कर मुक्ति योजना, 1986 के अन्तर्गत कर आस्थगन का लाभ ले रही औद्योगिक इकाइयों को आस्थगन अवधि तथा आस्थगन अवधि की समाप्ति के दिनांक से आगामी पांच वर्षो की अवधि तक इकाइयों को चालू रखना होगा, इसमें असफल होने पर इकाई द्वारा प्राप्त की गई कर मुक्ति की राशि की वसूली सहित पात्रता प्रमाण–पत्र निरस्त करने योग्य होगा ।

क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि एक औद्योगिक इकाई को 25 मार्च 1993 से 24 मार्च 2000 तक की अवधि के लिये आस्थगन नियम, 1983 के अन्तर्गत कर आस्थगन का लाभ लेने की अनुमति दी गई । व्यापारी द्वारा अवधि 1993–94 से 1998–99 के दौरान 15.98 करोड़ रूपये के कर के आस्थगन का लाभ उठाया । हांलाकि इकाई निर्धारित अवधि से पूर्व 3 सितम्बर 2001 को बंद हो गई तथा उसी दिनांक से उसका पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया । यद्यपि कर आस्थगन की राशि 15.98 करोड़ रूपये ब्याज सहित वसूली योग्य थी, फिर भी उसकी वसूली न किए जाने के परिणामस्वरूप उक्त राशि के शासकीय राजस्व की कम वसूली हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि निर्धारण अवधि के दौरान उद्योग विभाग द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया अतः वसूलियां नहीं की जा सकी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त करवाने तथा कर की आस्थगित रशि की ब्याज सहित वसूली करने के सम्बंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी ।

प्रकरण दिसम्बर 2002 तथा अप्रैल 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

2.12 नए उद्योगों को कर के भुगतान से छूट की अनियमित स्वीकृति

कर मुक्ति योजना, 1981 के अन्तर्गत, किसी औद्योगिक इकाई को कर में छूट केवल उस स्थिति में प्रदान की जा सकती है जब इकाई 1 अप्रैल 1992 से व्यापारिक उत्पादन प्रारंभ कर देती है ।

मार्च 2002 में, भोपाल के एक व्यापारी के अवधि 1998–99 से सम्बंधित निर्धारित किए प्रकरण की नमूना जांच में पता चला कि पेपर तथा पेपर बोर्ड के विनिर्माण में संलग्न एक औद्योगिक इकाई ने 20 मार्च 1995 से उत्पादन शुरू किया था तथा उसे योजना 1981 के अन्तर्गत 20 मार्च 1995 से 19 मार्च 2002 तक की अवधि के लिए अनियमित रूप से कर में छूट प्रदान की गई थी जो केवल उन इकायों के लिए लागू थी जिन्होंने अपना उत्पादन 1 अप्रैल 1992 से पूर्व में प्रारंभ कर दिया था । इस प्रकार इकाई को दी गई छूट अनियमित थी जिसके परिणामस्वरूप अवधि 1997–98 तथा 1998–99 से सम्बंधित 3.99 करोड़ रूपये के विक्रय मूल्य पर राजस्व के रूप में 18.95 लाख की हानि हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि उद्योग विभाग द्वारा जारी किए गए पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर छूट प्रदान की गई थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उद्योग विभाग को प्रकरण प्रेषित करने तथा पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त करवाने के सम्बंध में कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई ।

प्रकरण मार्च 2001 तथा मार्च 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किये गये थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

2.13 कर भुगतान से आस्थगन की अनियमित स्वीकृति

मध्य प्रदेश कर भुगतान आस्थगन नियम, 1994 के अन्तर्गत कर के भुगतान से आस्थगन की सुविधा केवल उन औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध है जिनके पास उद्योग विभाग द्वारा जारी किए गए पात्रता प्रमाण पत्र हैं ।

क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि नवम्बर 2000 तथा मार्च 2002 में निर्धारित एक व्यापारी के अवधि 1997–98 तथा 1998–99 से सम्बंधित प्रकरण में मार्च 1998 में जारी किए गए अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर, जो केवल 12 माह के लिए वैध था, 97.62 लाख रूपये के कर भुगतान के आस्थगन की गलत ढंग से अनुमति दी गई । चूंकि स्थायी पात्रता प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया गया था, अतः इकाई आस्थगन के लिए पात्र नहीं थी ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया था तथा निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जून 2003 में ब्याज सहित 1.21 करोड़ रूपये की मांग सृजित की गई ।

प्रकरणों अगस्त 2002 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

2.14 *निर्यात बिक्री/विक्रय के लिए गलत छूट*

अधिनियम, 1994 सहपठित केन्द्रीय बिक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, एक पंजीकृत व्यापारी भारत के बाहर निर्यात की गई किन्ही भी वस्तुओं के विक्रय के सम्बंध में अपनी कुल विक्रय राशि में कटौती का दावा कर सकता है । निर्यातक एजेंसी द्वारा ऐसी वस्तुओं का विक्रय उसी रूप में किया जाना चाहिए ।

वृत कार्यालय, इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दो व्यापारियों के वर्ष 1997–98 की अवधि हेतु जनवरी 2001 में निर्धारित प्रकरणों में 66.26 लाख रूपये मूल्य की *"कच्ची खाल"* चेन्नई के एक व्यापारी को बेची गई जिसने उससे ग्लेज्ड क्रोम लाइनिंग लैदर का विनिर्माण कर उसका निर्यात किया । चूंकि वस्तुएं उसी रूप में नहीं बेची गई थीं, अतः 66.26 लाख रूपये की निर्यात बिक्री पर दी गई छूट सही नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप 5.30 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा निर्धारण अधिकारी ने लेखा परीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया । लेकिन राशि की वसूली के सम्बंध में की गई कार्रवाई के सम्बंध में सूचित नहीं किया गया (जून 2004) ।

प्रकरण अप्रैल 2002 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

अध्याय – 3
राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–2003 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क के अभिलेखों की नमूना जांच में 15,154 प्रकरणों में 160.36 करोड़ रूपये के राजस्व का अनिर्धारण, अवनिर्धारण, राजस्व हानियॉं एवं शास्तियों का अनारोपण प्रकाश में आया, जो निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1	***समीक्षा***: असंग्रहीत उत्पाद शुल्क	01	45.57
2	अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन पर शास्ति का अनारोपण	132	0.49
3	अनुज्ञप्ति शुल्क/नीलाम राशि के बकाया का संचयन	231	23.03
4	अल्कोहल के कम उत्पादन के कारण राजस्व की हानि	13	6.43
5	मध्य प्रदेश में विदेशी मदिरा व्यापार में हानि	605	0.93
6	अधिक छीजन पर उत्पाद शुल्क का अनारोपण/वसूली न होना	4,473	6.24
7	निम्न नीलामी बोलियां/निविदा दरें स्वीकार किए जाने के कारण शासन को राजस्व हानि	373	19.46
8	अन्य	9,326	58.21
	योग	***15,154***	***160.36***

असंग्रहीत उत्पाद शुल्क पर समीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों, जिनमें 54.08 करोड़ रूपये की **राशि** अंतर्निहित है, की विवेचना अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है ।

3.2 समीक्षा : असंग्रहीत उत्पाद शुल्क राजस्व

प्रमुख विशेषताएं

- 14 प्रकरणों में, जिनमें 3.12 करोड़ रूपये का शासकीय राजस्व अन्तर्निहित था, चूककर्ताओं की सम्पत्ति के विवरणों के अभाव में वसूली नहीं की जा सकी ।

(कंडिका 3.2.6)

- 11.29 करोड़ रूपये की राशि/राजस्व से अन्तर्निहित राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्रकरणों में, चूककर्ताओं के पते जाली होने के कारण मांग नोटिस तामील नहीं किए जा सके ।

(कंडिका 3.2.7)

- 3.60 करोड़ रूपये के राजस्व से अन्तर्निहित 38 प्रकरणों में मांग नोटिस जारी न किए जाने के परिणामस्वरूप शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 3.2.8)

- मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम से वसूली योग्य सेवा प्रभार की राशि 1.36 करोड़ रूपये की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 3.2.11)

प्रस्तावना

3.2.1 प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारक, जिसके पास अल्कोहल के उत्पादन, मदिरा के विनिर्माण तथा उत्पाद शुल्क योग्य मादक द्रव्यों की थोक या फुटकर बिक्री की अनुज्ञप्ति है, मध्य प्रदेश उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद शुल्क तथा लाइसेंस फीस एवं अन्य फीसों के भुगतान के लिए उत्तरदायी है । फुटकर विक्रेताओं द्वारा उत्पाद शुल्क योग्य मादक द्रव्यों के बिक्रय हेतु अनुज्ञप्तियां नीलामी द्वारा तथा थोक विक्रेताओं को अनुज्ञप्तियां निर्धारित लाइसेंस फीस पर प्रदान की जाती है जिनका प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जाता है ।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

3.2.2 निम्नलिखित बिंदुओं के सम्बंध में कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कार्यालय आबकारी आयुक्त तथा 45 कार्यालयों में से 13 कार्यालयों के 1997–98 से 2002–03 तक की अवधि से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच की गई :

- उत्पाद शुल्क राजस्व की त्वरित वसूली तथा शासकीय खाते में इसका प्रेषण
- विभागीय प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम, नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन
- असंग्रहीत उत्पाद शुल्क राजस्व की वसूली में आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता

संगठनात्मक संरचना

3.2.3 शासन स्तर पर वाणिज्यिक कर विभाग का प्रधान सचिव, विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है । आबकारी आयुक्त (ई.सी.) विभाग प्रमुख है जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय ग्वालियर में दो अपर आबकारी आयुक्त (एडी.ई.सी.), एक आबकारी उपायुक्त (डी.ई.सी.), एक सहायक आबकारी आयुक्त (ए.ई.सी.) तथा दो जिला आबकारी अधिकारी (डी.ई. ओ.) होते हैं । राज्य में सात संभाग है जिनमें से प्रत्येक का प्रमुख डी.ई.सी. होता है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक संभाग का एक उड़नदस्ता है जो डी.ई.सी. के अधीन कार्यरत होता है । राज्य स्तर पर भी एक उड़नदस्ता होता है जिसका सम्पूर्ण नियंत्रण आबकारी आयुक्त के अधीन होता है । जिले में कलेक्टर आबकारी प्रशासन का प्रमुख है तथा संभाग/जिले स्तर पर उसकी सहायता के लिए ए.ईसी./डी.ई.ओ. होते हैं ।

आबकारी राजस्व के बकाया की स्थिति

3.2.4 आयुक्त स्तर पर असंग्रहीत आबकारी राजस्व की स्थिति पर निगरानी, डी.ई.ओ. द्वारा प्रस्तुत विवरणियों द्वारा रखी जाती है । 31 मार्च 2003 को असंग्रहीत आबकारी राजस्व के रूप में 51.99 करोड़ रूपये की राशि बकाया थी जिसका वर्ष वार तथा आयु वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

- *वर्षवार ब्यौरा :*

क्रम संख्या	*वर्ष*	*राशि (करोड़ रूपयों में)*
1	1997–98 तक	33.98[1]
2	1998–99	1.25
3	1999–2000	1.31
4	2000–2001	3.53
5	2001–2002	11.92
	योग	***51.99***

- *आयुवार ब्यौरा :*

क्रम संख्या	*आयुवार अवधि*	*राशि (करोड़ रूपयों में)*
1	10 वर्षों से अधिक	20.66
2	4 से 10 वर्षों के मध्य	13.32
3	3 से 4 वर्षों के मध्य	1.25
4	1 से 3 वर्षों के मध्य	16.76
5	1 वर्ष से कम	निरंक
	योग	***51.99***

उपरोक्त विवरण से पाया कि 40 प्रतिशत राजस्व 10 वर्षों से अधिक समय तक असंग्रहीत रहा जिसमें से 14.58 करोड़ रूपये की राशि दिवालिया घोषित किए चूककर्ताओं के विरूद्ध बकाया थी । ऐसे चूककर्ताओं के विवरण लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए ।

आबकारी राजस्व की वसूली न होना

3.2.5 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 में प्रावधान है कि चूककर्ताओं द्वारा शासन को भुगतान न की गई सभी देय राशियों की वसूली मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकती है । भू–राजस्व के बकाया के रूप में असंग्रहीत आबकारी राजस्व की वसूली से सम्बंधित शक्तियां ए.ईसी./डी.ई.ओ. को प्रत्यायोजित की गई हैं । लेकिन, चूककर्ताओं के प्रकरणों को राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्रकरणों के रूप में मानने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

[1] प्रारंभिक शेष, वर्ष के दौरान वृद्धि आदि से सम्बंधित विवरण विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए ।

सहायक आयुक्त आबकारी, ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि अवधि 1988–99 तथा 1993–94 से सम्बंधित 8 प्रकरणों को, जिनमें 97.67 लाख रूपये का आबकारी राजस्व अन्तर्निहित था, समय–समय पर भू–राजस्व के बकाया के रूप में माना गया लेकिन किसी भी प्रकरण में वसूली नहीं की गई । भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु प्रकरणों को मई 2000 में तहसीलदार, ग्वालियर को स्थानांतरित कर दिया गया । तहसीलदार द्वारा भी राशि की वसूली नहीं की गई । चूंकि सहायक आयुक्त आबकारी (ए.ई.सी.) को भी भू–राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली सम्बंधी शक्तियां प्रदत्त की गई थीं अतः प्रकरणों को तहसीलदार को स्थानांतरित करना अनुचित था । इस प्रकार विभाग की ओर से की गई अनुचित कार्रवाई के परिणामस्वरूप राजस्व के रूप में उक्त राशि की वसूली नहीं हुई ।

सम्पत्ति का विवरण प्राप्त करने के लिए प्रावधानों का अभाव

3.2.6 वर्ष 1991–92 से अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के लिए शोधक्षम प्रतिभूति के लेने सम्बंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था । इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्ति स्वीकृत करते समय सम्पत्तियों का विवरण प्राप्त करने के सम्बंध में कोई प्रावधान नहीं था ।

पांच जिलों[2] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 14 प्रकरणों में, विभाग के पास सम्पत्तियों का विवरण उपलब्ध न होने के कारण 1991–92 से 2001–02 तक की अवधि से सम्बंधित 3.12 करोड़ रूपये के आबकारी राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी । इन विवरणों के अभाव में, भू–राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के सम्बंध में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जा सकी ।

3.2.7 पांच जिलों[3] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के 70 प्रकरणों में 1975–76 से 1997–98 तक की अवधि से सम्बंधित आबकारी राजस्व के रूप में कुल 11.29 करोड़ रूपये की राशि की वसूली हेतु मांग नोटिस जारी किए गए थे । लेकिन चूककर्ताओं के पते जाली पाए जाने की वजह से नोटिस तामील नहीं किए जा सके । इससे विदित हुआ कि अनुज्ञप्ति स्वीकृत करते समय अनुज्ञप्तिधारकों के पूर्व वृत्त का विभाग द्वारा सत्यापन न किए जाने के कारण शासकीय राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी ।

2 भोपाल, धार, जबलपुर, खरगोन तथा सागर

3 भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, खरगोन तथा रीवा

प्रमाण पत्र प्रकरणों में मांग कायम न करना

3.2.8 मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) नियम 1988 में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर चूककर्ताओं को मांग नोटिस जारी किए जाने का प्रावधान है । यदि चूककर्ता मांग नोटिस में उल्लिखित की गई राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में विफल रहता है तो कुर्की वारंट जारी कर दिए जाते हैं । चूककर्ता प्रकरणों को भू–राजस्व के बकाया के रूप में माने जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

- सात जिलों[4] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 38 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्रकरणों में, जिनमें 1991–92 से 2001–02 तक की अवधि से सम्बंधित 3.60 करोड़ रूपये का आबकारी राजस्व अन्तर्निहित था, वसूली हेतु मांग जारी न किए जाने के परिणामस्वरूप शासकीय राजस्व के रूप में उक्त राशि की वसूली नहीं हुई ।

 - पांच प्रकरणों में, जिनमें वर्ष 1999–2000 तथा 2001–2002 से सम्बंधित आबकारी राजस्व के रूप में 1.74 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित थीं, ए.सी.ई./डी.ई.ओ. द्वारा नवम्बर 2002 में अनुज्ञप्तिधारकों को मांग नोटिस जारी किए जा चुके थे । विभाग द्वारा वसूली के लिए बाद में कोई कार्रवाहई नहीं की गई तथा 20 माह के बाद भी राशि असंग्रहीत रही (जून 2004) ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा सभी जिला आबकारी अधिकारियों ने बताया कि भू–राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली करने के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

स्थगन आदेशों को निरस्त करवाने के लिए कार्रवाई न करना

3.2.9 जबलपुर जिले के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दो प्रकरणों में आबकारी आयुक्त द्वारा आरोपित की गई 4.11 लाख रूपये की शास्ति उच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 1993 में स्थगित कर दी गई थी । एक अन्य प्रकरण में खरगोन जिले में आबकारी आयुक्त द्वारा आरोपित की गई 36.04 लाख रूपये की शास्ति के रूप में शासकीय बकाया देय राशि की वसूली राजस्व बोर्ड द्वारा मई 2001 में स्थगित कर दी गई । 25 से 118 माह के पश्चात् भी न तो प्रकरणों के सम्बंध में कोई निर्णय हुआ था और न ही स्थगन आदेशों को निरस्त करवाने के सम्बंध में कोई कार्रवाहई की गई । इसके परिणामस्वरूप शासकीय राजस्व के रूप में उक्त राशि अवरूद्ध हुई ।

[4] भोपाल, छतरपुर, धार, जबलपुर, खरगोन, सागर तथा उज्जैन

प्रक्रिया व्यय की मांग कायम न करना

3.2.10 मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार, राजस्व वसूली प्रमाण पत्र के प्रकरणों में चूककर्ता को जारी किए जाने वाले मांग नोटिस में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मूल राशि के तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय सम्मिलित किया जाएगा ।

आठ जिलों में,[5] 156 प्रकरणों में यह देखा गया कि 1988–89 से 2002–03 से सम्बंधित 21.53 करोड़ रूपये की मूल बकाया राशि के सम्बंध में चूककर्ताओं को जारी किए गए सम्बंधित मांग नोटिसों में प्रक्रिया व्यय के रूप में 64.60 लाख रूपये की राशि सम्मिलित नहीं की गई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा छः जिला आबकारी[6] अधिकारियों ने बताया कि पुनरीक्षित मांग पत्र जारी किए जाएंगे । अन्य दो जिला आबकारी अधिकारियों से अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

सेवा प्रभार का अंश जमा न किया जाना

3.2.11 2001–2002 के दौरान मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, इन्दौर संभाग के लिए विदेशी मदिरा का थोक वितरक था । निगम द्वारा 10 प्रतिशत सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर उसका 50 प्रतिशत शासकीय खाते में जमा कराया जाना वांछित था ।

सहायक आयुक्त आबकारी (ए.ई.सी.) इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 2001–2002 के दौरान म.प्र. कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा 27.11 करोड़ रूपये मूल्य की विदेशी मदिरा की बिक्री पर सेवा प्रभार के रूप में 2.71 करोड़ रूपये की राशि वसूल की गई जिसमें से सेवा प्रभार का 50 प्रतिशत अर्थात 1.36 करोड़ रूपये की राशि शासकीय खाते में जमा कराई जानी थी। निगम द्वारा न तो उक्त राशि जमा की गई और ना ही विभाग द्वारा इसकी वसूली के लिए कोई कार्रवाहई की गई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा सहायक आयुक्त आबकारी, इन्दौर ने सम्पूर्ण राशि की वसूली करना स्वीकार किया। लेकिन आगामी कार्रवाहई के सम्बंध में सूचित नहीं किया गया (जून 2004) ।

5 सही दिनांक उपलब्ध नहीं
भोपाल, धार, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खरगोन, सागर तथा उज्जैन

6 ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खरगोन, सागर तथा उज्जैन

शासकीय स्थापना पर किए गए व्यय की वसूली न होना

3.2.12 मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995 में प्रावधान है कि यदि किसी आसवनी में, राज्य सरकार की स्थापना पर किया गया व्यय, उससे निर्गमित स्प्रिट पर निर्यात फीस या कोई अन्य उद्ग्रहण से उपार्जित राजस्व के पाचं प्रतिशत से अधिक होता है तो उपर्युक्त पांच प्रतिशत से अधिक व्यय राशि को आसवक से वसूल किया जाएगा ।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 1997–98 से 2001–2002 की अवधि के दौरान नौ आसवनियों[7] में शासकीय स्थापना पर किया गया व्यय 0.86 करोड़ रूपये तथा शासन द्वारा अर्जित राजस्व 3.06 करोड़ था । परिणामस्वरूप अर्जित राजस्व के 5 प्रतिशत से अधिक किए गए व्यय की राशि 70.47 लाख रूपये आसवकों से वसूल की जानी थी ।विभाग द्वारा उक्त राशि को वसूल करने के लिए कोई कार्रवाहई नहीं की गई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा सभी जिला आबकारी अधिकारियों ने लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि उक्त राशि को वसूल करने के लिए कार्रवाहई की जा रही थी (जून 2004)।

निर्यात की गई विदेशी मदिरा पर शुल्क की वसूली न होना

3.2.13 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अनुसार, 'निर्यात' से तात्पर्य राज्य के बाहर विदेशी मदिरा के निर्यात से है । म.प्र. विदेशी मदिरा नियम, 1996 में प्रावधान है कि निर्यात की स्थिति में निर्यातकों से 21 दिन के भीतर आबकारी सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना चाहिए जिसमें विफल रहने पर आरोपणीय शुल्क की वसूली की जाएगी ।

7 (i) मै. एसोसियेटिड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज, बड़वाह, खरगोन
(ii) मै. अग्रवाल ब्रेवरीज, बड़वाह, खरगोन
(iii) मै. ग्वालियर डिस्टलर्स, ग्वालियर
(iv) मै. रायरू डिस्टलरी रायरू, ग्वालियर
(v) कॉक्स इंडिया, छतरपुर
(vi) ओएसिस डिस्टलरीज, धार
(vii) केडिया ग्रेट गेलिएन, धार
(viii) सोम डिस्टलरी सेहतगंज, रायसेन
(ix) सोम डिस्टलरी एण्ड ब्रेवरीज, रायसेन

- नौ जिलों[8] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जून 2001 से फरवरी 2003 के दौरान निर्यातकों द्वारा 305 अनुज्ञा पत्रों पर 7.75 लाख प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा तथा 5.75 लाख बल्क लीटर बीयर कई अन्य राज्यों को निर्यात की गई । लेकिन एक से पैंतीस माह तक व्यतीत जाने के बाद भी निर्यातकों से आबकारी सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया । परिणामस्वरूप 5.22 करोड़ रूपये का आबकारी शुल्क वसूल किया जाना था, लेकिन उक्त राशि की वसूली करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

- यह भी पाया गया कि दिसम्बर 2001 तथा नवम्बर 2002 के मध्य जारी किए 18 अनुज्ञा पत्रों में 39 से 270 दिन तक की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद आबकारी सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हुए। चूंकि आबकारी सत्यापन प्रतिवेदन 21 दिन के भीतर प्राप्त नहीं हुए, थे अतः विभाग द्वारा निर्यात्कों से 27.80 लाख रूपये की राशि आबकारी शुल्क के रूप में वसूल की जानी थी लेकिन उक्त राशि वसूल नहीं की गई ।

विदेशी मदिरा के शेष स्टॉक का निर्वर्तन न किए जाने के कारण राजस्व हानि

3.2.14 मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में प्रावधान है कि अनुज्ञप्ति की समाप्ति या उसके निरस्तीकरण किए जाने पर, अनुज्ञप्तिधारक मदिरा का अपना पूरा स्टॉक जिला आबकारी अधिकारी के नियंत्रणाधीन रखेगा । हालांकि अनुज्ञप्ति की समाप्ति या निरस्तीकरण के 30 दिन के भीतर उसे शेष बचे स्टॉक को किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारक को निवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, जिसमें विफल होने पर आबकारी आयुक्त राज्य के किसी अन्य पात्र अनुज्ञप्तिधारक को ऐसे स्टॉक को खरीदने के लिए कह सकता है या स्टॉक के निवर्तन के लिए आवश्यक अनुदेश दे सकता है ।

सहायक आयुक्त आबकारी, ग्वालियर, इन्दौर तथा उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 1995 तथा अप्रैल 2002 के मध्य समाप्त हुये आठ अनुज्ञप्तियों में उनकी समाप्ति के दिनांक को 26,813 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा तथा 10,952 बल्क लीटर बीयर स्टॉक में थी । 4 से लेकर 84 माह तक की अवधि के पश्चात भी इस स्टॉक का निवर्तन न किए जाने के परिणामस्वरूप इसमें अन्तर्निहित 17.18 लाख रूपये के आबकारी शुल्क के रूप में शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा सहायक आबकारी आयुक्तों, ने जुलाई तथा दिसम्बर 2002 में बताया कि निवर्तन के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

[8] भोपाल, छतरपुर, धार, ग्वालियर, इन्दौर, खरगोन, रतलाम, रायसेन तथा उज्जैन

परिवहित की गई स्प्रिट/विदेशी मदिरा/माल्ट की मात्रा पर शुल्क की वसूली न होना

3.2.15 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी आसवनी, ब्रेवरी, वेयरहाउस के अन्य स्थान से कोई भी मादक द्रव्य शुल्क का भुगतान किए बगैर या भुगतान के लिए बंधक पत्र निष्पादित किए बिना परिवहित नहीं किया जाएगा ।

10 जिला कार्यालयों[9] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मई 1999 से मार्च 2003 की अवधि के दौरान 1,003 अनुज्ञा पत्रों पर 4.60 लाख प्रूफ लीटर एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.), 14.42 लाख प्रूफ लीटर देशी शराब, 12.55 लाख प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा तथा 23.06 लाख बल्क लीटर बीयर, जिसमें 16.06 करोड़ रूपये का आबकारी शुल्क अन्तर्निहित था, शुल्क का भुगतान किए वगैर या बंधक पत्र निष्पादित किये बिना परिवहित की गई । उपरोक्त में से खरगोन की आसवनी से 19,968 प्रूफ लीटर परिशोधित स्प्रिट जिसमें 4.79 लाख रूपये का उत्पाद शुल्क अन्तर्निहित था, ले जा रहा एक टेंकर नवम्बर 2001 में अपने गंतव्य तक पहुंचने से पूर्व ही लूट लिया गया । चूंकि आबकारी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था और न ही कोई बंधक पत्र निष्पादित किया गया था, अतः विभाग द्वारा राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा अक्टूबर 2002 तथा अप्रैल 2003 के मध्य सभी जिला अधिकारियों ने बताया कि मदिरा के परिवहन किए जाने पर बंधक पत्र के निष्पादन के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए थे अतः बंधक पत्र निष्पादित नहीं किया गया, अथवा अग्रिम शुल्क की वसूली नहीं की गई थी । चूंकि बंधक पत्र के निष्पादन के अन्तर्गत अथवा शुल्क के भुगतान पर मादक द्रव्य के परिवहन सम्बंधी प्रावधान पूर्व से ही अधिनियम में विद्यमान है, अतः उत्तर मान्य नहीं है ।

सिफारिशें

3.2.16 अधिनियम/नियमों में समाहित प्रावधानों के कमजोर विन्दुओं/पहलुओं के माध्यम से बचने पर रोक लगाने तथा शासकीय राजस्व की सुरक्षा के लिए शासन निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार कर सकता है :

- चूककर्ता के प्रकरणों को भू–राजस्व के बकाया के रूप में माने जाने के लिए समयावधि निर्धारित करना
- शासकीय राजस्व की सुरक्षा करने/हानि को रोकने के लिए अनुज्ञप्तिधारक की शोधन क्षमता प्रमाण पत्र तथा उसकी सम्पत्ति के विवरण की प्राप्ति को सुनिश्चित करना ।

9 भोपाल, छतरपुर, धार, ग्वालियर, इन्दौर, खरगोन, राजगढ़, रतलाम, रायसेन तथा सागर

उपरोक्त बिन्दुओं को जून 2002 तथा अप्रैल 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

3.3 निविदा स्वीकार न किए जाने के कारण राजस्व की हानि

मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी दिनांक 22 अप्रैल 2001 के परिपत्र के अनुसार, यदि देशी तथा विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन के लिए बोली/निविदा राशि आरक्षित मूल्य से कम तथा आरक्षित मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक है तो बोली/निविदा की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आबकारी आयुक्त (ई.सी.), ग्वालियर के माध्यम से शासन को भेजा जाना चाहिए ।

जिला आबकारी अधिकारी (डी.ई.ओ.), होशंगाबाद के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 1 मई 2001 से 31 मार्च 2002 तक की अवधि से सम्बंधित 20 देशी तथा 8 विदेशी मदिरा की दुकानों के एक समूह हेतु एक निविदा 2 मई 2001 को 10.67 करोड़ रूपये के आरक्षित मूल्य के विरूद्ध 9.13 करोड़ रूपये में प्राप्त की गई थी । चूंकि निविदा आरक्षित मूल्य से 14.5 प्रतिशत कम थी, अतः आबकारी आयुक्त द्वारा मई 2001 में जारी आरक्षित मूल्य से 10 प्रतिशत से कम से अधिक प्रस्तावों को अस्वीकार करने सम्बंधी अनुदेशों को दृष्टिगत रखते हुए उसे जिला आबकारी अधिकारी (डी.ई.ओ.) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया । आबकारी आयुक्त द्वारा जारी अनुदेश शासन के 22 अप्रैल 2001 के परिपत्र के अनुरूप नहीं थे । इनमें से 6 देशी तथा 5 विदेशी मदिरा की दुकानें मई 2001 तथा मार्च 2002 के मध्य 3 माह से 10 माह तक की अवधियों के लिए 4.07 करोड़ रूपये में नीलाम की गई । शेष दुकानों को विभाग द्वारा संचालित किया गया तथा 1.08 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया गया । इस प्रकार निविदा पर विचार न किए जाने तथा उसे स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 3.98 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा जिला आबकारी अधिकारी, होशंगाबाद ने अगस्त 2002 में बताया कि आबकारी आयुक्त को मई 2001 में प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा जारी अनुदेशों की प्राप्ति होने पर अस्वीकार कर दिया गया । उत्तर मान्य नहीं था चूंकि 22 अप्रैल 2001 के परिपत्र में समाहित शासन के विशिष्ट आदेश निविदा पर प्राप्त नहीं किए गए थे । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004)

प्रकरण जनवरी तथा मई 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

3.4 शीरे से भिन्न मूलों (बेसेज) से अल्कोहल का कम उत्पादन

राज्य सरकार द्वारा शीरे से भिन्न मूलों (बेसेज) से अल्कोहल उत्पादन के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं, तथापि टैक्नीकल एक्साइज मैन्युअल में प्रति क्विंटल (भारतीय)* 40.03 प्रूफ लीटर अल्कोहल के उत्पादन का प्रावधान है ।

धार की एक आसवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अक्टूबर 2000 तथा दिसम्बर 2002 के मध्य 1,76,150 क्विंटल खाद्यान्न (भारतीय) से 70.51 लाख प्रूफ लीटर अपेक्षित उत्पादन के विरूद्ध 59.80 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन किया गया । इस प्रकार अल्कोहल के उत्पादन में 10.71 लाख प्रूफ लीटर की कमी हुई जिसमें 2.57 करोड़ रूपये के आबकारी शुल्क की संभाव्य हानि अन्तर्निहित थी ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) धार ने जनवरी 2003 में बताया कि शीरे से भिन्न मूलों (बेसेज) से अल्कोहल उत्पादन हेतु मानक का नियमों में उल्लेख नहीं है । यद्यपि आबकारी आयुक्त द्वारा जून 1997 में शीरे से भिन्न मूलों (बेसेज) से उत्पादन सम्बंधी नियमों को निर्मित करने के सम्बंध में प्रतिबद्धता व्यक्त करने के बावजूद भी अभी तक इस सम्बंध में कोई नियम नहीं बनाए गए हैं इसको दृष्टिगत रखते हुए टैक्नीकल एक्साइज मैन्युअल (तकनीकी आबकारी नियमावली) में समाविष्ट अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए था ।

प्रकरण अप्रैल 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

3.5 सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा की बिक्रय दरों का गलत निर्धारण

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित देशी मदिरा की दुकानों का संचालन विभाग द्वारा किया जाता है । विभिन्न आकार (मात्रा) की सीलबंद देशी मदिरा की बोतलों की बिक्रय दरों का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है । बिक्रय दरों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि खाली बोतलों की कीमत तथा उनको सीलबंद करने में हुए व्यय के अतिरिक्त बिक्रय की गई मदिरा की किसी विशिष्ट मात्रात्मक इकाई के बदले में प्राप्त मूल्य प्रत्येक आकार की बोतल के लिए एकसमान हो ।

सहायक आयुक्त आबकारी, उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कलेक्टर द्वारा विभिन्न आकार अर्थात 180 मिली., 375 मिली. तथा 750 मिली. की बोतलों में देशी मदिरा के प्रति बल्क लीटर का बिक्रय मूल्य का निर्धारण करते समय उसमें खाली बोतलों का मूल्य तथा उनको सील बंद

* भारतीय से तात्पर्य ज्वार एवं मक्का से है

करने में हुआ व्यय भी सम्मिलित किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 375 मिली. तथा 180 मिली. के आकार की बोतलों के लिए देशी मदिरा के मूल्य का क्रमशः 4 रूपये तथा 8.89 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से गलत निर्धारण हुआ । इसके परिणामस्वरूप 2001–02 के दौरान 5 लाख बल्क लीटर देशी मदिरा के बिक्रय पर 37.39 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा सहायक आयुक्त आबकारी, उज्जैन ने अक्टूबर 2002 में बताया कि देशी मदिरा की बिक्रय दरों/मूल्य का निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया गया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिक्रय दरों का निर्धारण, जून 1999 में जारी शासकीय अनुदेशों के अनुसार, बोतलों का मूल्य तथा उनको सीलबंद करने में हुए व्यय को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए था ।

प्रकरण जनवरी तथा मई 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

3.6 शीरे की हानि की अनियमित छूट

मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995 में प्रावधान है कि शीरे में विद्यमान किण्वन योग्य शर्करा के प्रति प्रत्येक क्विंटल से 91.8 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए । भण्डारण के दौरान या अन्यथा शीरे में हानि की किसी छूट का प्रावधान नियमों में नहीं है ।

जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी), रतलाम के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 3,965.59 क्विंटल शीरे को, जिसमें विद्यमान 1,482.73 क्विंटल किण्वन योग्य शर्करा से 1.36 लाख प्रूफ लीटर स्प्रिट का नवम्बर 2001 तथा अक्टूबर 2002 के मध्य छीजन के रूप में दर्शाया गया । इसके परिणामस्वरूप आबकारी राजस्व/शुल्क के रूप में 32.64 लाख रूपये की संभाव्य हानि हुई ।

प्रकरण मई 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

3.7 पुर्नआसवन में स्प्रिट की गलत छूट

मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995 में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) के विनिर्माण के लिए पुर्नआसवन के दौरान परिशोधित स्प्रिट की छीजन के लिए छूट का कोई प्रावधान नहीं है ।

धार जिले की दो आसवनियों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अक्टूबर 2000 तथा दिसम्बर 2002 के मध्य ई.एन.ए. का उत्पादन करने के लिए 68.26 लाख प्रूफ लीटर परिशोधित स्प्रिट का पुनर्आसवन किया गया तथा 0.22 लाख प्रूफ लीटर परिशोधित स्प्रिट की छीजन की छूट प्रदान की

गई । यह स्वीकार नहीं था, अतः परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क के रूप में 5.28 लाख रूपये की हानि हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) ने जनवरी 2002 तथा जनवरी 2003 में बताया कि पुर्नआसवन आबकारी आयुक्त के आदेशों के अन्तर्गत किया गया था तथा छीजन निर्धारित सीमा में थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ई.एन.ए. के विनिर्माण के लिए पुर्नआसवन के दौरान परिशोधित स्प्रिट की किसी छीजन की छूट के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2003); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

3.8 शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995 के अनुसार, आसवकों द्वारा किण्वन तथा आसवन दक्षताओं का प्रतिशत क्रमशः 84 तथा 97 प्रतिशत बनाए रखना आवश्यक है । शीरे में विद्यमान किण्वन योग्य शर्करा के प्रत्येक क्विंटल से कम से कम 91.8 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए । कमी की स्थिति में आबकारी आयुक्त अधिनियमों तथा नियमों के अन्तर्गत शास्ति आरोपित कर सकता है ।

धार तथा खरगोन जिले की तीन आसवनियों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अक्टूबर 2000 से दिसम्बर 2002 के दौरान आसवकों द्वारा प्रयुक्त किए गए 1,32,845 क्विंटल शीरे से, जिसमें 47,135 क्विंटल किण्वन योग्य शर्करा थी, 43.27 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल के अपेक्षित उत्पादन के विरूद्ध 42.57 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन हुआ । विभाग 0.70 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल की कमी पर आरोपणीय 21 लाख रूपये की शास्ति आरोपित करने में विफल रहा ।

प्रकरण जनवरी तथा मई 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

3.9 आसवनी में स्प्रिट के न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किया जाना

मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आसवनी पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्टॉक का संधारण किया जाना अपेक्षित है । न्यूनतम स्टॉक संधारित करने में विफल रहने की स्थिति में आबकारी आयुक्त निर्धारित न्यूनतम स्टॉक से कम पाई गई मात्रा पर 5 रूपये प्रति प्रूफ लीटर से अनधिक की दर से शास्ति आरोपित कर सकेगा ।

धार जिले में एक आसवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि यद्यपि आसवनी में दिसम्बर 2001 तथा दिसम्बर 2002 के मध्य 13 अवसरों पर स्प्रिट का निर्धारित न्यूनतम स्टॉक संधारित नहीं

किया गया, फिर भी निर्धारित न्यूनतम स्टॉक से कम पाई 19.97 लाख प्रूफ लीटर स्प्रिट पर 99.84 लाख रूपये की शास्ति आरोपित नहीं की गई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा डी.ई.ओ. (आसवनी) ने जनवरी 2003 में बताया कि शीरे की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार आसवक द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किए जाने की स्थिति में शास्ति आरोपणीय थी । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जून 2004) ।

प्रकरण अप्रैल 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004)

अध्याय – 4
वाहनों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–2003 के दौरान वाहनों पर कर से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 15,571 प्रकरणों में 60.45 करोड़ रूपये के कर के अनिर्धारण, अवनिर्धारण तथा राजस्व की हानि प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1	समीक्षा : पारस्परिक परिवहन करारों का क्रियान्वयन	1	37.14
2	लोकसेवा वाहनों पर वाहन कर, शास्ति एवं संयोजन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	2,889	17.03
3	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,408	4.99
4	अन्य	11,273	1.29
	योग	***15,571***	***60.45***

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों तथा 'पारस्परिक परिवहन करारों के क्रियान्वयन' की एक समीक्षा के निष्कर्षों का उल्लेख, जिनमें 48.51 करोड़ रूपये का राजस्व अन्तर्निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है :

4.2 समीक्षा : पारस्परिक परिवहन करार का क्रियान्वयन

विशेषताएं :

- अंतर्राज्यीय मार्गों पर चलाए जा रहे अन्य राज्यों के लोक सेवा यानों पर वाहन कर तथा शास्ति के रूप में 68.98 लाख रूपये की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 4.2.4)

- अंतर्राज्यीय मार्गों पर संचालित किए जा रहे मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व के लोक सेवा यानों से वाहन कर 11.51 करोड़ रूपये तथा शास्ति 23.02 करोड़ रूपये की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 4.2.5)

- प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञा पत्रों पर मध्य प्रदेश में संचालित किए जा रहे अन्य राज्यों के मालयानों पर वाहन कर 44.04 लाख रूपये तथा शास्ति 88.07 लाख रूपये की वसूली नहीं होने के फलस्वरूप राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 4.2.6)

- अंतर्राज्यीय मार्गों पर संचालित लोक सेवा यानों पर वाहन कर 18.04 लाख रूपये का कम आरोपण एवं शास्ति 36.07 लाख रूपये का आरोपण नहीं किया गया ।

(कंडिका 4.2.7)

प्रस्तावना

4.2.1 मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88, अन्तर्राज्यीय परिवहन/यातायात के विनियमन हेतु राज्यों के बीच करार के निष्पादन से सम्बंधित है । विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शास्ति प्रदेशों के मध्य हुए पारस्परिक परिवहन करार के अन्तर्गत अन्य राज्य सरकारों द्वारा तथा संघ सरकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र गृह राज्य में वैध माने जायेंगे बशर्ते कि अनुज्ञा पत्र राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये गये हों । राज्य में उपयोग में लाये गये या उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (अधिनियम 1991) तथा कराधान नियम, 1991 (नियम 1991) के प्रावधानों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है ।

संगठनात्मक संरचना

4.2.2 राज्य स्तर पर परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव के अधीन होता है । वाहनों पर कर/शुल्क/ शास्ति/शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण की समस्त प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण राज्य परिवहन आयुक्त, ग्वालियर द्वारा नौ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आर.टी.ओ.), 11 अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (ए.आर.टी.ओ.) तथा 19 जिला परिवहन अधिकारियों (डी.टी.ओ.) की सहायता से किया जाता है । मध्य प्रदेश राज्य में संचालित वाहनों के सम्बंध में अन्य राज्यों द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा पत्रों को राज्य परिवहन प्राधिकारी (एस.टी.ए.) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाता है तथा वाहन स्वामियों द्वारा कर का भुगतान नामित क्षेत्रीय/जिला परिवहन प्राधिकारी को किया जाता है ।

लेखा परीक्षा का उददेश्य

4.2.3 पारस्परिक करार के अन्तर्गत संचालित होने वाले वाहनों से निर्धारित कर एवं शुल्क इत्यादि के संग्रहण की जांच करने की दृष्टि से अप्रैल 2002 तथा मई 2003 के मध्य परिवहन आयुक्त कार्यालय,आठ आर.टी.ओ.[1], चार ए.आर.टी.ओ.[2] तथा जिला परिवहन कार्यालय, टीकमगढ़ के 1998–99 से 2001–2002 तक की अवधि से सम्बंधित अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा की गई ।

अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित लोक सेवा यानों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

4.2.4 अधिनियम एवं नियम, 1991 के अनुसार अन्य राज्य के किसी मोटरयान को पारस्परिक करार के अन्तर्गत राज्य में संचालित करने की अनुमति नामित प्राधिकारी को निर्धारित दर पर कर के भुगतान करने पर दी जाती है । यदि देय कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो वाहन स्वामी देय कर के एक तिहाई की दर से किन्तु कर की देय रकम के दुगुने से अनधिक शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा । यदि वाहन स्वामी कर अथवा शास्ति अथवा दोनो का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में कराधान प्राधिकारी द्वारा देय राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकती है ।

1 भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर एवं उज्जैन

2 छतरपुर, छिन्दवाड़ा, मन्दसौर एवं सतना

तीन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[3] एवं तीन अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[4] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 1998 से मार्च 2002 तक की अवधि के दौरान पारस्परिक करार के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित किए जा रहे राजस्थान, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश से सम्बंधित 48 लोक सेवा वाहनों के सम्बंध में 22.99 लाख रूपये के वाहन कर का न तो वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारी द्वारा इसकी वसूली की गई । विभाग भी शास्ति के आरोपण में असफल रहा । इसके परिणामस्वरूप 68.98 लाख रूपये के वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण हुआ ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्बंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने जून 2002 एवं मई 2003 के मध्य बताया कि वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है । आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जून 2004) ।

4.2.5 कार्यालय परिवहन आयुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम (म.प्र.रा.प.नि.) को उसके लोक सेवा वाहनों को अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित करने के लिए अप्रैल 1998 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान 219 अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा पत्र स्वीकृत/जारी किए गए थे । निगम द्वारा न तो वाहन कर का भुगतान किया गया न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गई । इसके परिणामस्वरूप 11.51 करोड़ रूपये के वाहन कर एवं 23.02 करोड़ रूपये की शास्ति की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर परिवहन आयुक्त ने फरवरी 2003 में बताया कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम से बकाया देय कर के समायोजन की कार्रवाई शासन स्तर पर की जा रही है ।

अन्य राज्यों के मालयानों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

4.2.6 अधिनियम एवं नियम, 1991 के अनुसार, अन्य राज्यों के मालयानों को मध्य प्रदेश राज्य में पारस्परिक करार के अन्तर्गत संचालित करने पर प्रत्येक माल यान पर कर का आरोपण अधिनियम में विनिर्दिष्ट दर 85 प्रतिशत की दर से किया जाएगा । यदि देय कर का भुगतान नामित प्राधिकारी को नहीं किया जाता है तो वाहन स्वामी देय कर के एक तिहाई की दर से किन्तु कर की देय रकम के दुगुने से अनधिक शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा ।

[3] ग्वालियर, जबलपुर एवं सागर

[4] छतरपुर, छिन्दवाड़ा एवं मन्दसौर

परिवहन आयुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रीवा एवं तीन अतिरिक्त परिवहन कार्यालयों[5] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 1998 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान राजस्थान, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश से सम्बंधित 316 माल यानों को पारस्परिक करार के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में संचालित करने पर वाहन कर 44.04 लाख रूपये एवं शास्ति 88.07 लाख रूपये का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही इसे कराधान प्राधिकारियों द्वारा आरोपित/वसूल किया गया । इसके परिणामस्वरूप शास्ति सहित 1.32 करोड़ रूपये के वाहन कर का आरोपण/वसूली नहीं की गई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर परिवहन आयुक्त ने जुलाई 2002 में बताया कि सम्बंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को चूककर्ताओं से कर की वसूली किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित लोक सेवा यानों से वाहन कर की कम वसूली एवं शास्ति का अनारोपण

4.2.7 अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अनुसार पारस्परिक आधार पर संचालित किए जाने वाले लोकसेवा वाहनों पर वाहन कर की गणना एक दिन में वाहन द्वारा ले जाए गए अनुमत्य यात्रियों की संख्या तथा वाहन द्वारा तय की गई कुल अनुमत्य दूरी के आधार पर अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से की जाएगी ।

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, छिन्दवाड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अप्रैल 1998 तथा मार्च 2002 की अवधि के दौरान अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित गृह राज्य के 3 लोक सेवा यानों के सम्बंध में कर की गलत दर लागू किए जाने के कारण वाहन कर का कम भुगतान किया गया । विभाग इसकी वसूली करने में असफल रहा । इसके परिणामस्वरूप 8.04 लाख रूपये के वाहन कर की कम वसूली तथा 16.08 लाख रूपये की शास्ति का अनारोपण हुआ ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, छिन्दवाड़ा ने मार्च 2003 में बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

[5] छतरपुर, मन्दसौर एवं सतना

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर एवं सागर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 1998 तथा नवम्बर 2001 की अवधि के मध्य अन्य राज्यों के तीन लोकसेवा यानों के स्वामियों द्वारा गणना में त्रुटि होने के कारण वाहन कर का कम भुगतान किया गया । परिणामस्वरूप 5.81 लाख रूपये के वाहन कर की कम वसूली हुई । इसके अतिरिक्त ये वाहन स्वामी 11.62 लाख रूपये की शास्ति के भुगतान के लिए दायी थे ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ग्वालियर ने फरवरी 2003 में बताया कि मांग सृजित की गई थी । क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर ने मई 2003 में बताया कि अभिलेखों की संवीक्षा के पश्चात् वसूली की कार्रवाई की जाएगी । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सागर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 1998 एवं मार्च 2002 की अवधि के मध्य पारस्परिक करार के अन्तर्गत संचालित अन्य राज्यों से सम्बंधित तीन लोक सेवायानों के वाहन स्वामियों द्वारा फेरों की संख्या कम स्वीकार किए जाने के कारण वाहन कर का कम भुगतान किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 4.19 लाख रूपये के वाहन कर का कम आरोपण एवं 8.37 लाख रूपये की शास्ति का अनारोपण हुआ ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर ने मई 2003 में बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

करार के अनुसार मार्गों की दूरी न अपनाए जाने के कारण राजस्व की हानि

4.2.8 अधिनियम, 1991 के अनुसार प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए कर का आरोपण स्लेब के अनुसार विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा । परिवहन आयुक्त द्वारा जुलाई 1994 में जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा पत्रों पर कर आरोपण तथा संग्रहण हेतु पारस्परिक परिवहन करार के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मार्ग की दूरी को अपनाया जाएगा ।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सागर तथा अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, छतरपुर एवं मन्दसौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि पारस्परिक करार के अन्तर्गत चालित 30 लोक सेवा यानों के सम्बंध में कर के भुगतान हेतु अपनाए गए मार्गों की दूरियां करारों में उल्लिखित दूरियों से कम थीं ।

इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1998 तथा मार्च 2002 तक की अवधि से सम्बंधित 5.89 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्बंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने जून 2002 एवं मई 2003 के मध्य बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

सिफारिशें

4.2.9 उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर शासन द्वारा निम्नलिखित विन्दुओं के सम्बंध में विचार किया जा सकता है :

- पारस्परिक करार में उल्लिखित पूर्ण कोटे का उपयोग करना ।
- चूककर्ताओं से निर्धारित दरों पर कर की वसूली हेतु प्रभावी कार्रवाई करना ।
- प्रवर्तन शाखा को बिना करों के भुगतान किये प्रचालित की जा रही वाहनों को पकड़ने हेतु सशक्त करना एवं उपयुक्त दाण्डिक कार्रवाई करना

प्रकरण मार्च 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004)

4.3 वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/वसूली न होना।

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (अधिनियम, 1991) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम, 1991 के अन्तर्गत, राज्य में उपयोग में लाए गए या उपयोग हेतु रखे गए प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से किया जाएगा । यदि वाहन स्वामी कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो यान स्वामी देय कर के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए कर की असंदत्त रकम के एक तिहाई की दर से किन्तु कर की असंदत्त रकम के दुगुने से अनधिक शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा ।

4.3.1 लोक सेवा यान/मालयान

14 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (क्षे.प.का.)[6]/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (अ.क्षे.प.का.) तथा 4 जिला परिवहन कार्यालयों (जि.प.का.)[7] में जुलाई 1999 एवं मार्च 2002 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए 1261 लोक सेवायानों तथा मालयानों के स्वामियों से 3.23 करोड़ रूपये का देय कर विभाग द्वारा आरोपित तथा वसूल नहीं किया गया । वाहन स्वामी 6.46 करोड़ रूपये की शास्ति के भुगतान के लिए भी दायी थे ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर क्षे.प.अ., जबलपुर ने फरवरी 2003 में बताया कि 114 प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे । अन्य क्षे.प.अ./जि.प.अ. ने अप्रैल 2002 तथा मार्च 2003 के मध्य बताया कि दोषी वाहन स्वामियों से राशि को वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

4.3.2 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा पत्रों पर संचालित वाहन

3 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[8] में अवधि अप्रैल 2000 एवं मार्च 2002 के मध्य अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा पत्रों पर प्रचालित किए जा रहे आठ लोक सेवा यानों पर 19.18 लाख रूपये के वाहन कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया । कर के अतिरिक्त 38.36 लाख रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी । इसके परिणामस्वरूप 57.54 लाख रूपये के कर एवं शास्ति की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित करने पर और क्षे.प.अ., ग्वालियर ने जनवरी 2003 में बताया कि 41.48 लाख रूपये के मांग पत्र जारी किए गए थे । क्षे.प.अ., भोपाल तथा सागर ने अगस्त 2002 में बताया कि प्रकरणों की संवीक्षा उपरांत राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

6 क्षे.प.का. भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर, उज्जैन तथा अ.क्षे.प.का. छतरपुर, छिन्दवाड़ा, खरगोन, मन्दसौर, सतना तथा सिवनी

7 जि.प.का. दमोह, रायसेन, रतलाम तथा टीकमगढ़

8 भोपाल, ग्वालियर तथा सागर

4.3.3 ओमनी बस

4 क्षे.प.का.[9] तथा 5 अ.क्षे.प.का.[10] में अवधि अप्रैल 2000 तथा मार्च 2002 के मध्य 202 ओमनी बसों पर 13.47 लाख रूपये के वाहन कर का न तो वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारी द्वारा इसकी वसूली की गई । कर के अतिरिक्त वाहन स्वामी 26.94 लाख रूपये की शास्ति के भुगतान के लिए भी दायी थे । इसके परिणामस्वरूप 40.41 लाख रूपये की अदायगी नहीं हुई ।

इसे लेख परीक्षा में इंगित किए जाने पर सम्बंधित क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ. ने अप्रैल 2002 तथा मार्च 2003 के मध्य बताया कि अभिलेखों की संवीक्षा के उपरांत राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

4.3.4 निजी सेवा वाहन

6 क्षे.प.आ./अति.क्षे.प.आ.[11] में 21 निजी सेवा वाहनों से अप्रैल 1999 तथा मार्च 2002 तक की अवधि से सम्बंधित वाहन कर 11.15 लाख रूपये तथा शास्ति 22.29 लाख रूपये का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारी द्वारा इसकी मांग की गई । इसके परिणामस्वरूप 33.44 लाख रूपये की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित करने पर क्षे.प.अ., ग्वालियर ने जनवरी 2003 में बताया कि 16.96 लाख रूपये की मांग सृजित की गई थी । अन्य प्रकरणों में क्षे.प.अ. ने अप्रैल 2002 तथा मार्च 2003 के मध्य बताया कि अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत वसूली की कार्रवाई की जाएगी । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

प्रकरण अप्रैल 2002 तथा अप्रैल 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

9 ग्वालियर, इन्दौर, मुरैना तथा रीवा

10 छतरपुर, छिन्दवाड़ा, खरगोन, मन्दसौर तथा सतना

11 भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना तथा छिन्दवाड़ा

4.4 बिना अनुज्ञा पत्र या अनुज्ञा पत्र की शर्तों के विरूद्ध संचालित वाहनों पर कर की वसूली न होना

मोटरयान अधिनियम, 1988 के अनुसार बिना अनुज्ञा पत्र या अनुज्ञा पत्रों उपयुक्तता प्रमाण पत्र/बीमा/ लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) आदि की शर्तों का उल्लंघन कर वाहनों का संचालन अपराध है । इस अपराध पर कराधान प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर प्रत्येक अपराध के लिए निर्धारित समझौता शुल्क/शमन शुल्क आरोपित किया जा सकता है । अधिनियम, 1991 के अनुसार यदि राज्य में किसी मोटरयान का संचालन बिना अनुज्ञा पत्र के किया जाता है तो ऐसे यानों के वाहन स्वामियों से निर्धारित दर से वाहन कर वसूल किया जाएगा ।

चार क्षे.प.आ.[12] तथा तीन अति.क्षे.प.आ.[13] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अवधि मई 1999 तथा मार्च 2002 के मध्य विभाग द्वारा 113 लोक सेवा वाहनों को बिना अनुज्ञा पत्रों/उपयुक्तता प्रमाण पत्र/बीमा/चालक अनुज्ञप्ति एवं परिचालक अनुज्ञप्ति के संचालित होते हुए पकड़ा गया लेकिन बिना अनुज्ञा पत्र के संचालित किए जा रहे इन वाहनों पर विभाग द्वारा न तो किसी वाहन कर की वसूली की गई और न ही इन अपराधों के लिए कोई शमन शुल्क आरोपित किया गया । इसके परिणामस्वरूप 17. 05 लाख रूपये के कर तथा 1.19 लाख रूपये के शमन शुल्क की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरण जुलाई 2001 तथा अप्रैल 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जून 2004) ।

4.5 वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि

मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए अधिनियम, 1991 एवं नियम, 1991 के अनुसार ड्राईवर के अतिरिक्त 6 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले निजी सेवा वाहनों के सम्बंध में, जो सामान्यतः वाहन स्वामी द्वारा किराए/भाड़े या पारितोषिक/प्रतिफल को छोड़कर अपने व्यापार या व्यवसाय के सम्बंध में उपयोग में लाए जाते हैं, वाहन कर का भुगतान किया जाएगा ।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि एक वाणिज्यिक संगठन द्वारा खरीदे गए पांच मोटर वाहनों को जुलाई 1999 में निजी सेवा वाहनों की बजाय स्कूल बसों के रूप में पंजीकृत किये गये थे, वाहनों के गलत पंजीकरण के परिणामस्वरूप अवधि जुलाई 1999 से मार्च 2002 तक 7.62 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

12 ग्वालियर, इन्दौर, सागर तथा उज्जैन

13 छतरपुर, छिन्दवाड़ा तथा सिवनी

इसे इंगित किए जाने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, इन्दौर ने जनवरी 2003 में बताया कि प्रकरणों के जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी ।

प्रकरण मार्च तथा अप्रैल 2003 में शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

4.6 वाहन कर एवं शास्ति की कम वसूली

अधिनियम, 1991 की धारा 3(1) तथा नियम, 1991 के अनुसार, प्रत्येक सार्वजनिक सेवा वाहन पर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर कर आरोपित किया जाएगा । कर का भुगतान न किए जाने की स्थिति में वाहन स्वामी देय कर के भुगतान के अतिरिक्त, निर्धारित दरों पर शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा शासन द्वारा जुलाई 2000 में जारी अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त वाहनों के सम्बंध में कर की दर पुनरीक्षित की गई थी ।

क्षे.प.अ., मुरैना, अति.क्षे.प.का., छिन्दवाड़ा तथा जिला परिवहन कार्यालयों, दमोह और रायसेन के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अवधि जुलाई 2000 तथा मार्च 2001 के मध्य 91 अतिरिक्त वाहनों के वाहन स्वामियों द्वारा संशोधन पूर्व दरों पर कर का भुगतान किया गया । इसके परिणामस्वरूप 3.83 लाख रूपये की कम वसूली हुई । इसके अतिरिक्त 7.67 लाख रूपये की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई । परिणामस्वरूप 11.50 लाख रूपये के राजस्व का कम आरोपण/वसूली हुई ।

इसे इंगित किए जाने पर सम्बंधित क्षे.प.अ./जि.प.अ. ने मई 2002 तथा मार्च 2003 में बताया कि प्रकरणों की जांच के उपरांत वसूली की कार्रवाई की जाएगी । की गई कार्रवाई की प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जून 2004) ।

प्रकरण सितम्बर 2002 तथा अप्रैल 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जून 2004) ।

अध्याय – 5

भू–राजस्व

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–2003 के दौरान भू–राजस्व के निर्धारण और संग्रहण से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 1,62,669 प्रकरणों में 212.02 करोड़ रूपये के राजस्व के अनिर्धारण, अवनिर्धारण तथा मांग सृजित न करने सम्बंधी प्रकरण प्रकाश में आए, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1	राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों के माध्यम से राजस्व संग्रहण में विलम्ब	45,225	89.80
2	नजूल भूमि का संगठन, संस्थाओं, मण्डलों एवं स्थानीय निगमों को आवंटन	4,394	53.97
3	व्यपवर्तन लगान व प्रव्याजि का अनिर्धारण/कम निर्धारण तथा पुनरीक्षण न होना	7,192	24.00
4	पंचायत उपकर का अनारोपण तथा अर्थदण्ड व शास्तियों की वसूली न होना	29,352	10.30
5	अन्य	76,506	33.95
	योग	***1,62,669***	***212.02***

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों की चर्चा, जिनमें 1.29 करोड़ रूपये का राजस्व अन्तर्निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

5.2 व्यपवर्तन लगान, प्रव्याजि तथा अर्थदण्ड की मांग सृजित न करना

मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार, राजस्व प्राधिकारी कृषि से भिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग की गई व्यपवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारित भू–भाटक की मांग तथा परिवर्तन को तहसील के अभिलेखों में समाविष्ट करने के सम्बंध में सम्बंधित तहसीलदार को सूचित करेगा । इसके अतिरिक्त भू–राजस्व संहिता तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र के दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपित की गई प्रब्याजि तथा अर्थदण्ड की मांग का उल्लेख वसूली करने के पूर्व तहसील की मांग तथा संग्रहण पंजी में भी किया जाना है ।

5.2.1 11 तहसीलों[1] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 161 गांवों के 1997–98 से 2001–2002 तक की अवधि से सम्बंधित व्यपवर्तन लग्गान, प्रव्याजि व शास्तियों की सम्मिलित राशि 87.97 लाख रूपये का निर्धारण सम्बंधित उप संभागीय अधिकारी द्वारा निर्धारण किये जाने के बाद भी इसको तहसील की मांग व संग्रहण पंजी में दर्ज नहीं किया गया था । परिणामस्वरूप 87.97 लाख रूपये के राजस्व की मांग सृजित नहीं हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा सम्बंधित तहसीलदारों ने अवधि नवम्बर 2001 से जनवरी 2003 के मध्य मे बताया कि वसूली को पंजियों में दर्ज किया जाएगा तथा मांग सृजित करने के पश्चात वसूली प्रारंभ की जाएगी । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

प्रकरण फरवरी 2002 तथा अप्रैल 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

5.2.2 दो तहसीलों[2] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अवधि 1999–2000 तथा 2000–2001 से सम्बंधित 1,269 प्रकरणों में नजूल भाटक, प्रव्याजि, अर्थदण्ड तथा शास्तियों के सम्बंध में राजस्व प्राधिकारी द्वारा निर्धारित 10.68 लाख रूपये की मांग सम्बंधित तहसीलदारों द्वारा सृजित नहीं की गई थी ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा सम्बंधित तहसीलदारों ने अप्रैल 2002 तथा सितम्बर 2002 के मध्य बताया कि मांगों का सृजन किया जाएगा । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

प्रकरण जून 2002 तथा अप्रैल 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

1 बडनगर, बुधनी, जावरा, जौरा, जीरापुर, मनाशा, मुंगावली, नागदा, नसरूल्लागंज, सिंगरौली तथा सैलाना

2 जावद (रतलाम) तथा विजयपुर (श्योपुर)

5.3 कुर्क सम्पत्ति का निर्वर्तन न किए जाने के कारण हानि

मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959, के प्रावधानों के अनुसार सरकार को भुगतान योग्य भू–राजस्व की बकाया राशि की वसूली तहसीलदार द्वारा चल व अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा की जाएगी । कुर्क सम्पत्ति के शीघ्र निर्वर्तन के लिए कार्रवाहई करने के उद्देश्य से, तहसीलदार द्वारा कुर्क सम्पत्ति की पंजी की त्रैमासिक समीक्षा की जानी वांछित है ।

तहसील सीतामऊ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 33 प्रकरणों में शासन को देय 14.20 लाख रूपये की वसूली हेतु 1996–97 से 1999–2000 तक की अवधि के दौरान चल तथा अचल सम्पत्ति कुर्क की गई थी, लेकिन कुर्क की सम्पत्ति के निवर्तन द्वारा देय राशि को वसूल करने के सम्बंध में कोई कार्रवाहई नहीं की गई । परिणामस्वरूप शासन को देय राशि के रूप में 14.20 लाख रूपये की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा तहसीलदार सीतामऊ ने नवम्बर 2001 में बताया कि न्यायालय द्वारा कुर्की वारंट जारी किए जा चुके हैं तथा वसूली की स्थिति के सम्बंध में अवगत कराया जाएगा । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

प्रकरण फरवरी 2002 तथा मार्च 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

5.4 व्यपवर्तन लगान पर पंचायत उपकर का अनिर्धारण

मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1981 में ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक साविधिक तथा शासकीय पट्टाधारक द्वारा धारित भूमि के सम्बंध में प्रत्येक राजस्व वर्ष के लिए भू–राजस्व या निर्धारित भाटक पर 50 पैसे प्रति रूपये की दर से उपकर के आरोपण तथा वसूली का प्रावधान है । चूंकि व्यपवर्तन लगान[3] भी भू–राजस्व है अतः इस पर पंचायत उपकर भी आरोपणीय है ।

पांच तहसीलों[4] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 84 ग्रामों में ग्राम पंचायत क्षेत्रों से सम्बंधित भूमि के सम्बंध में 31.34 लाख रूपये के व्यपवर्तन लगान पर 1998–99 तथा 2001–2002 के मध्य राजस्व वर्षों के लिए 15.67 लाख रूपये के पंचायत उपकर का निर्धारण नहीं किया गया ।

3 व्यपवर्तन लगान – जब किसी एक उद्देश्य/उपयोग निर्धारित भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है तो ऐसी भूमि पर देय भू–राजस्व, उस अवधि के समाप्त न होने की स्थिति में भी, जिसके लिए निर्धारण नियत किया गया है, परिवर्तित उद्देश्य के अनुसार परिवर्तित तथा निर्धारित नहीं किया जाएगा ।

4 भिण्ड, बुदनी, जावरा, राघोगढ़ तथा सैलाना

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा मई 2002 तथा जनवरी 2003 के मध्य सम्बंधित तहसीलदार वसूली करने पर सहमत हुए । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

प्रकरण मई 2002 तथा अप्रैल 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004)।

अध्याय – 6

अन्य कर प्राप्तियाँ

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, मनोरंजन शुल्क एवं विद्युत शुल्क से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2002–2003 के दौरान की गयी नमूना जॉच में 10,031 प्रकरणों में 57.72 करोड़ रूपये की राशि के राजस्व का अनिर्धारण, अवनिर्धारण तथा अन्य हानियां प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
	मुद्रांक शुल्क एवं पंजयीन फीस		
1	मुद्रांक शुल्क के आरोपण के उद्देश्य से सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण	01	15.57
2	प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब	4,369	7.70
3	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान में गलत छूट	1,350	0.94
4	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली	586	1.59
5	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण हानि	794	1.56
6	अन्य अनियमितताऐं	1,547	10.64
	योग	*8,647*	*38.00*
	मनोरंजन शुल्क		
1	मनोरंजन शुल्क की वसूली न होना	108	0.42
2	टिकिटों का लेखांकन न करने के कारण मनोरंजन शुल्क का अपवंचन	1	0.03
3	वी.सी.आर. तथा वी.सी.पी. (वीडिओ कैसेट प्लेयर) के स्वामियों द्वारा मनोरंजन शुल्क कम जमा किया जाना/जमा न किया जाना	135	0.09
4	अन्य अनियमितताऐं	991	0.40
	योग	*1,235*	*0.94*
	विद्युत शुल्क		
1	विद्युत उपकर का अवनिर्धारण	21	2.35
2	विद्युत उपकर तथा ब्याज की वसूली न होना	34	0.57
3	विद्युत उपकर में अनियमित छूट	20	0.11
4	विद्युत उपकर का अवैध समायोजन	64	14.76
5	अन्य अनियमितताऐं	10	0.99
	योग	*149*	*18.78*
	कुल योग	*10031*	*57.22*

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 18.57 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है, की विवेचना अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है ।

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

6.2 मुद्रांक शुल्क के उद्ग्रहण के उद्देश्य से सम्पत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण

6.2.1 मध्य प्रदेश में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्राप्तियाँ, राज्य में यथा प्रयोज्य भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, पंजीयन अधिनियम, 1908 एवं इनके अधीन विरचित नियमों तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के अधीन विनियमित होती हैं ।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम (आई.एस.ए.) की धारा 47 क के अंतर्गत यदि पंजीयन अधिकारी को किसी विलेख के पंजीयन के समय यह विश्वास करने का कारण हो कि विलेख में किसी सम्पत्ति का दर्शाया गया मूल्य गाइडलाइन्स[1] में दिये गये बाजार मूल्य से कम है तो ऐसे विलेख को, पंजीयन के पूर्व सम्पत्ति के बाजार मूल्य के सही निर्धारण हेतु कलेक्टर (संग्राहक) के पास विचारार्थ प्रेषित कया जाना चाहिए।

बाजार मूल्य का गलत निर्धारण

6.2.2 10 उप–पंजीयक कार्यालयों[2] में अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि जून 2000 से फरवरी 2002 के मध्य पंजीकृत किये गये 46 विलेखों में 8.17 करोड़ रूपये के पंजीकृत मूल्य के विरूद्ध सम्पत्ति का बाजार मूल्य 23.19 करोड़ रूपये था। इसके परिणामस्वरूप बाजार मूल्य का 15.02 करोड़ रूपये का कम निर्धारण हुआ । उप–पंजीयकों द्वारा इन प्रकरणों को सम्पत्तियों के सही मूल्य तथा उन पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण हेतु संबंधित कलेक्टर को प्रेषित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 1.35 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा 0.12 करोड़ रूपये की पंजीयन फीस की कम वसूली हुयी। कुछ उदाहणात्मक प्रकरण निम्न तालिका में दिये गये है :

1 किसी जिले की प्रत्येक तहसील, निगम तथा स्थानीय निकाय में स्थित भूमि तथा भवन की औसत दरों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

2 बड़वानी, भोपाल, देवास, इटारसी (होशंगाबाद) इंदौर, जबलपुर, खण्डवा, सौसर (छिंदबाड़ा) सिवनी तथा उज्जैन

(लाख रूपये में)

क्रमांक	*उप–पंजीयक का नाम*	*विलेख क्रमांक पंजीयन का माह*	*विलेख के अनुसार बाजार मूल्य मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस (आरोपित की गयी)*	*गाइडलाइन के बाजार मूल्य के अनुसार मूल्यांकन मुद्रांक शुल्क पंजीयन फीस (आरोपणीय)*	*मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण*
1.	सौसर (छिंदबाड़ा)	1 अक्टूबर 2001	70.74 7.56	156.43 16.11	8.55
गाइडलाइन्स के अनुसार, शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि के छोटे टुकड़े / भू भाग के बाजार मूल्य पर निर्धारित दरों से छूट का प्रावधान है। लेकिन व्यवसायिक भूमि पर यह छूट स्वीकार्य नहीं है। फिर भी उप–पंजीयक द्वारा व्यवसायिक भूमि पर छूट प्रदान की गयी। व्यवसायिक भूमि का मूल्यांकन आवासीय दरों के अनुसार किया गया जो व्यवसायिक दरों से कम थीं। इसके परिणामस्वरूप बाजार मूल्य 85.69 लाख रूपये कम निर्धारित किया गया। इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा उप–पंजीयक ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा अक्टूबर 2002 में बताया कि प्रकरण कलेक्टर (संग्राहक) को प्रेषित किया जायेगा ।					
2.	जबलपुर	2 सितम्बर 2001	210.87 19.34	281.43 25.41	6.07
ऐक चालू होटल का आंशिक रूप से आवासीय दरों पर मूल्यांकन किया गया जबकि पूरे भवन का मूल्यांकन व्यवसायिक दरों पर किया जाना था, परिणामतः बाजार मूल्य का 70.56 लाख रूपये का कम निर्धारण हुआ । इसे अक्टूबर 2002 में उप–पंजीयक को इंगित किये जाने पर उन्होंने बताया कि विलेख के पंजीयन के पूर्व मूल्यांकन प्रतिवेदन कलेक्टर (संग्राहक) द्वारा अनुमोदित किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निष्पादकों द्वारा कलेक्टर (संग्राहक) को औपचारिक निवेदन के बिना भारतीय मुद्रांक अधिनियम में नियम में कलेक्टर द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन के ऐसे किसी पूर्व निर्धारण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।					
3.	उज्जैन	2 अक्टूबर 2001	12.20 1.31	71.22 8.03	6.72
गाइडलाइन्स की दरों के स्थान पर गलत दरें लागू किये जाने के कारण भू माप 0.050 हेक्टेयर तथा 0.200 हेक्टेयर भूमि का गलत मूल्यांकन किया गया जिसके परिणामस्वरूप बाजार मूल्य का 59.02 लाख रूपये का कम निर्धारण हुआ । जून 2002 में इसे उप–पंजीयक को इंगित किये जाने पर उन्होंने बताया कि मामला गाइडलाइन्स से संबंधित है तथा उप–पंजीयक इसके लिये सक्षम नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि मामला गाइडलाइन्स में निर्धारित दरों के अनुप्रयोग से संबंधित था।					
4.	इटारसी (होशंगाबाद)	2 मार्च 2001	26.83 2.77	64.68 6.91	4.14
7,025 वर्ग फीट के दो भू–खण्डों के व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित होने के बाद भी उनका मूल्यांकन व्यवसायिक दरों के बजाय आवासीय दरों पर किया गया जिसके परिणामस्वरूप बाजार मूल्य का 37.85 लाख रूपये कम निर्धारण हुआ । अक्टूबर 2002 में इसे उप–पंजीयक को इंगित किये जाने पर उन्होंने बताया कि चूंकि भू–खण्ड खाली पड़े हुये थे अतः इनका मूल्यांकन व्यवसायिक मानकर नहीं किया जा सका । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूमि व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण उसका मूल्यांकन व्यवसायिक दरों पर किया जाना चाहिए था।					
5.	देवास	1 जून 2000	118.60 12.22	238.97 24.61	12.39
आयकर विभाग के अभिलेखों के अनुसार फैक्टरी का मूल्य 238.97 लाख रूपये था, जबकि पंजीयन के समय इसका मूल्य 118.60 लाख रूपये माना गया था। जुलाई 2001 में इसे उप–पंजीयक को इंगित कये जाने पर उन्होंने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि प्रकरण पर पुनर्मूल्यांकन के संबंध में पुनः विचार किया जा रहा था।					

सहकारी गृह निर्माण समितियों के पक्ष में निष्पादित विलेखों में कम मूल्यांकन

6.2.3 भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के प्रावधान के अनुसार किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य जो सहकारी गृह निर्माण समिति (समिति) द्वारा हस्तांतरण की विषय वस्तु है, वही होगा जो विलेखों में दर्शाया गया हो। फिर भी विभाग के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार 15 नवम्बर 1997 से पंजीकृत सम्पत्ति का मूल्यांकन उस मूल्य पर किया जायेगा जो कलेक्टर (संग्राहक) या अपीलीय प्राधिकारी की राय में, जैसी भी स्थिति हो, बाजार में उस सम्पत्ति को बिक्रय किये जाने की स्थिति में प्राप्त हुआ होता ।

भोपाल तथा इंदौर के दो उप–पंजीयक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि सहकारी समितियों द्वारा 15 नवम्बर 1997 के बाद 328 भू–खण्ड बेचे गये थें । लेकिन इन विलेखों को अप्रैल 2000 तथा मार्च 2001 के मध्य उस समय प्रचलित लागू बाजार दरों से कम दरों पर पंजीकृत किया गया था । बाजार मूल्य के सही निर्धारण हेतु प्रकरणों को कलेक्टर (संग्राहक) को प्रेषित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 28.95 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा 2.36 लाख रूपये की पंजीयन फीस की कम वसूली हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्बंधित पंजीयकों ने जून 2002 तथा मार्च 2003 के मध्य बताया कि 302 प्रकरणों में बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु कार्रवाहई की जायेगी/पूर्व में ही कार्रवाहई की जा चुकी है । अन्य प्रकरणों के सम्बंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

कलेक्टर (संग्राहक) को प्रेषित प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब

6.2.4 भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अंतर्गत मुद्रांक संग्राहक (कलेक्टर आफ स्टाम्प) को संबंधित उप–पंजीयक द्वारा उसकों प्रेषित अवमूल्यांकन के प्रकरणों में सम्पत्ति के बाजार मूल्य तथा उस पर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क की राशि का निर्धारण करने के लिये प्राधिकृत किया गया है । पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा उसको प्रेषित प्रकरणों के निराकरण हेतु 9 माह की अधिकतम अवधि निर्धारित की गयी है ।

32 उप–पंजीयकों कार्यालयों[3] के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु अप्रैल 1987 तथा दिसम्बर 2001 के मध्य कलेक्टर (संग्राहक) को प्रेषित 4,217 विलेखों का फरवरी 2001 तथा अक्टूबर 2002 के मध्य निराकरण नहीं किय गया था, यद्यपि 9 माह की

3 अशोक नगर (गुना), आगर (शाजापुर), बड़नगर (उज्जैन), बेगमगंज (रायसेन),बैरसिया (भोपाल), बडवानी, बुरहानपुर (खण्डवा),भोपाल, छिंदबाड़ा, दतिया, देवरी (सागर), धार, गंजबासौदा (विदिशा),गुना,हरदा, इटारसी (होशंगाबाद), जबलपुर, कटनी, कटंगी (बालाघाट), खण्डवा, पवई (पन्ना), राजपुर (खरगोन), रतलाम, रीवा, सीहोर, सेंधवा (बडवानी), शाजापुर, शुजालपुर (शाजापुर), सुसनेर (शाजापुर), शिवपुरी, उज्जैन तथा वारासिवनी (बालाघाट)

अवधि पूर्व में ही समाप्त हो चुकी थी। उप–पंजीयकों द्वारा प्रस्तावित बाजार मूल्य पर आधारित इन विलेखों पर वसूली योगय मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का अंतर 12.20 करोड़ रूपये आंकलित किया गया । इस प्रकार इन प्रकरणें का निराकरण न किये जाने के कारण शासकीय राजस्व के रूप में उक्त राशि अवरूद्ध हुई।

परिवद्ध विलेखों के निराकरण में विलम्ब

6.2.5 उप–पंजीयक के समक्ष उसके कार्यो के निष्पादन के दौरान प्रस्तुत किसी विलेख को जिस पर शुल्क प्रभार्य है, उसके द्वारा परिवद्ध किया जा सकेगा यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि विलेख सम्यक रूप से मुद्रांकित नहीं है । शुल्क एवं शास्ति के आरोपण हेतु ऐसे विलेख को मुद्रांक संग्राहक को प्रेषित किया जाना वांछित है । ऐसे प्रकरणों के निराकरण पर निगरानी रखने के लिये उप–पंजीयक द्वारा प्रारूप 18 में एक पंजी का संधारण कियाा जाना वांछित था ।

विभागीय अनुदेशों में यह भी प्रावधान था कि प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु उप–पंजीयकों द्वारा कलेक्टर को आवधिक रूप से स्मरण पत्र प्रेषित किये जाने चाहियें । हालांकि ऐसे प्रकरणों के निराकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी ।

8 उप–पंजीयक कार्यालयों[4] के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया कि मार्च 1991 तथा मार्च 2003 के मध्य मुद्रांक संग्राहक को परिवद्ध कर प्रेषित किये गये 434 विलेखो का निराकरण नहीं किया गया था । इसमें से 124 प्रकरणों में उप–पंजीयकों द्वारा सम्पत्ति का मूल्य आरोपणीय मुद्रांक शुल्क आदि से संबंधित आवश्यक विवरणों को पंजी में अभिलेखित नहीं किया गया । शेष 310 प्रकरणों का जिनमें 1.13 करोड़ रूपये का राजस्व अंतर्निहित था, निराकरण नहीं किया गया । परिणामस्वरूप शासकीय राजस्व के रूप में उक्त राशि की वसूली नहीं हुई । यह भी देखा गया कि प्रकरणों के निराकरण हेतु उप–पंजीयकों द्वारा कलेक्टर (संग्राहक) को आवधिक रूप से स्मरण पत्र प्रेषित नहीं किये गये थे ।

उपरोक्त बिंदुओं को 2002 तथा मार्च 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

6.3 गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अंतर्गत विलेखों पर उनके वर्गीकरण के अनुसार अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर या समयं समय पर शासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है।

4 भोपाल,इंदौर, खण्डवा, नागदा (उज्जैन), नीमच, सांवेर (इंदौर), शिवपुरी तथा उज्जैन

15 उप–पंजीयक कार्यालयों[5] के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया कि अप्रैल 1999 तथा मार्च 2002 के मध्य पंजीकृत किये गये 10.23 करोड़ रूपये मूल्य के 355 विलेखों का गलत वर्गीकरण किये जाने के परिणामस्वरूप 60.97 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा 5.90 लाख रूपये की पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ । कुछ उदाहरण नीचे दिये गये है –

(लाख रूपये में)

क्रमांक	*उप–पंजीयक कार्यालय का नाम*	*दस्तावेजों/विलेखों की संख्या प्रतिफल/ऋण राशि (करोड़ रू. में)*	*अभ्युक्ति की प्रकृति*	*मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस*	
				आरोपणीय/ आरोपित	*कम आरोपित*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	उज्जैन	225 रू. 21.76	बंधक विलेखों को अधिकार विलेखों के जमा के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया	10.88 3.51	7.37
2.	इंदौर, जबलपुर, खाचरोद (उज्जैन) सांवेर (इंदौर) तथा उज्जैन	11 रू. 1.34	निर्मुक्ति विलेखों को सहमति विलेख माना गया	6.48 0.02	6.46
3.	भोपाल, डिंडोरी इंदौर, मंडला तथा शहडोल	19 रू. 1.09	कब्जा सहित बिक्रय अनुबंध को कब्जा रहित मानकर गलत वर्गीकरण किया	8.73 0.64	8.09
4.	उज्जैन तथा सिवनी	3 रू. 0.52	न्यास सह उपकर की घोषणा को न्यास के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया	5.59 0.33	5.26
5.	भोपाल, शिवपुरी	17 रू. 90.66	उपहार विलेखों को व्यवस्थापन विलेख माना गया	8.62 3.59	5.03
6.	भोपाल	1 रू. 21.91	उपहार विलेखों को बंटवारा विलेख माना गया	2.28 0.35	1.93

[5] भोपाल, बडवानी,डिंडोरी, इंदौर, इटारसी (होशंगाबाद), जबलपुर, खचरोद (उज्जैन), मंडला, नीमच, पिपरिया (होशंगाबाद), सांवेर (इंदौर), शहडोल, सिवनी, शिवुपरी तथा उज्जैन

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा 6 विलेखों के संबंध में उप–पंजीयक भोपाल तथा शहडोल ने बताया कि वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाहई की जायेगी । 15 प्रकरणों में उप–पंजीयक भोपाल ने बताया कि कलेक्टर से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात् कार्रवाहई की जावेगी । शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

प्रकरण मार्च 2002 तथा मई 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित कर दिया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

6.4 सहकारी गृह निर्माण समितियों के पक्ष में निष्पादित विलेखों द्वारा राजस्व की हानि

शासन द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर 1980 को जारी अधिसूचना के अनुसार गृह निर्माण प्रयोजन के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु समितियों के पक्ष में निष्पादित विलेख मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त किये गये थे ।

उप–पंजीयक कार्यालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर तथा उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान समितियों द्वारा/के पक्ष में निष्पादित सितम्बर 1985 तथ मार्च 2002 के मध्य पंजीकृत 75 विलखों में निम्नानुसार कुल 1.09 करोड़ रूपये की राजस्व हानि पायी गयी ।

37 हस्तांतरण विलेखों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि समितियों द्वारा मई 2000 से मार्च 2002 के मध्य क्रय की गयी 8.91 करोड़ रूपये मूल्य की भूमि समिति के सदस्यों के गृह निर्माण प्रयोजन के लिये थी। फिर भी भूमि के क्रय का प्रयोजन गृह निर्माण मानते हुये इन विलेखों पर गलत ढंग से 83.31 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान की छूट प्रदान की गयी ।

38 हस्तांतरण विलेखों में गृह निर्माण प्रयोजन के लिये क्रय की गयी भूमि पर सितम्बर 1985 तथा मई 2001 के मध्य मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से छूट प्रदान की गयी । बाद में उसी भूमि को जून 2001 तथा मार्च 2002 के मध्य पंजीकृत 24 विक्रय विलेखों के माध्यम से गृहनिर्माण प्रयोजन से भिन्न व्यवसायिक प्रयोजनों के लिये विक्रय किया गया/ उपयोग में लाया गया । माफ की गयी 25.91 लाख रूपये की राशि की वसूली के लिये विभाग द्वारा कोई कार्रवाहई नहीं की गयी ।

प्रकरण अक्टूबर 2002 तथा मई 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

6.5 मुद्रांक शुल्क की गलत छूट

शासन द्वारा सितम्बर 1978 एवं मार्च 1982 में जारी अधिसूचनाओं द्वारा (i) अनुसूचित जातियों/जन जातियों के भूमि स्वामी/पट्टेदारों (ii) अन्य भूमि स्वामी/पट्टेदारों जो दस हैक्टेयर से अनधिक भूमि धारित करते है, के द्वारा कृषि प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट बैंको से ऋण प्राप्त करने के लिये निष्पादित बंधक के विलेखों को मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त किया गया था । विभागीय अनुदेशों (अगस्त 1989) के अनुसार छूट प्राप्त करने के लिये विशिष्ट कृषि प्रयोजन जैसे कि विद्युत पम्प, ट्रैक्टर की खरीदी तथा कुंआ खोदना आदि, जिसके लिये ऋण लिया गया है, का विलेखों में उल्लेख किया जाना अपेक्षित है । विशिष्ट प्रयोजन के अभाव में मुद्रांक शुल्क में छूट स्वीकार्य नहीं थी ।

9 उप–पंजीयक कार्यालयों[6] के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि जून 1999 तथा मार्च 2003 के मध्य 2.58 करोड़ रूपये राशि के ऋण के लिये 259 बंधक विलेख निष्पादित किये गये इन विलेखों पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गयी थी यद्यपि इन विलेखों में इस प्रयोजन का कोई उल्लेख नहीं था जिसके लिये छूट प्रदान की गयी थी अथवा उल्लिखित प्रयोजन कृषि से सम्बंधित नहीं था, अतः कोई छूट स्वीकार्य नहीं थी । इसके परिणामस्वरूप 12.91 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क की हानि हुयी ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर उप–पंजीयक भेंसदेही, भोपाल दमोह, कुरवाई, शहडोल तथा सीहोर ने मार्च तथा अक्टूबर 2002 के मध्य बताया कि सम्बंधित बैंकों से पूछताछ के पश्चात् आवश्यक कार्रवाहई की जायेगी । शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

प्रकरण जून 2002 तथा मई 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

6.6 निर्मुक्ति विलेखों पर मुद्रांक शुल्क का अवनिर्धारण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार निर्मुक्ति विलेख पर सम्पूर्ण सम्पत्ति, जिस पर दावे का त्याग किया गया, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, के 4 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है ।

3 उप–पंजीयक कार्यालय के अभिलेखों[7] की नमूना जॉच में पता चला कि मई 2000 तथा मार्च 2002 के मध्य पंजीकृत 38 निर्मुक्ति विलेखों में मुद्रांक शुल्क का आरोपण निष्पादक के सम्पत्ति के हिस्से के मूल्य पर किया गया न कि सम्पूर्ण सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर, जिस पर दावे का त्याग किया गया । इसके परिणामस्वरूप 9.40 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की हानि हुई ।

6 भोपाल, बैतूल, भेंसदेही (बैतूल), दमोह, इंदौर, खुरवई (विदिशा), सीहोर (जबलपुर), शहडोल तथा उज्जैन

7 भोपाल, इंदौर तथा उज्जैन

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर उप–पंजीयक भोपाल ने बताया कि उच्च प्राधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरांत आवश्यक कार्यवाई की जावेगी । शेष उप–पंजीयकों द्वारा की गयी अंतिम कार्रवाई के सम्बंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

प्रकरण जून 2002 तथा मई 2003 के मध्य पंजीयन महानिरीक्षक तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

6.7 पट्टा विलेखों का पंजीयन न होना

पंजीयन अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के पट्टा विलेखों का अनिवार्य रूप से पंजीयन किया जाना है । पंजीयन फीस के अतिरिक्त इन विलेखों पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क भी प्रभार्य है । राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार, यदि पट्टाधारक उचित समयावधि में पट्टा विलेख निष्पादित करने में असफल रहता है, तो शासन पट्टाधारक को न्यायालय में पट्टे के निष्पादन हेतु बाध्य कर सकता है ।

कलेक्टर (नजूल शाखा) रतलाम तथा तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया कि 1997–98 तथा 2000–2001 के मध्य 30 वर्षों के लिये स्वीकृत किये गये 8 पट्टों के सम्बंध में पट्टा विलेखों का न तो निष्पादन किया गया और न ही उन्हें पंजीकृत किया गया । इसके परिणामस्वरूप 7.76 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर नजूल अधिकारी रतलाम ने अक्टूबर 2001 में बताया कि 7 प्रकरणों में पट्टा विलेखों के निष्पादन हेतु कार्रवाहई की जा रही है । शेष प्रकरण में तहसीलदार, मल्हारगढ़ ने अक्टूबर 2001 में बताया कि पट्टों के स्वीकृति आदेश में इस सम्बंध में कोई शर्त न होने के कारण विलेखों को पंजीकृत नहीं कराया गया था । चूंकि ये पट्टा विलेख एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये थे तथा पंजीयन अधिनियम 1908 के प्रावधान तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार, पट्टा विलेखों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित था।

प्रकरण फरवरी 2002 तथा मार्च 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

मनोरंजन शुल्क

6.8 केबल संचालकों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम 1936 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराने वाला केबल टेलीविजन नेटवर्क तथा होटल या लॉज का प्रत्येक मालिक निर्धारित दरों से मनोरंजन शुल्क का भुगतान करेगा।

6 जिला आबकारी कार्यालयों (जि.आ.का.)[8] के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया कि केबल सेवा के माध्यम से अप्रैल 1999 से सितम्बर 2002 की अवधि के दौरान मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले 410 केबल संचालकों तथा 17 होटलों या लॉजिंग हाउस के मालिकों से 16.14 लाख रूपये का मनोरंजन शुल्क वसूल नहीं किया गया । इसके परिणास्वरूप 16.14 लाख रूपये के मनोरंजन शुल्क की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारियों ने सितम्बर 2001 तथा नवम्बर 2002 के मध्य बताया कि वसूली हेतु कार्रवाहई की जायेगी, आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

प्रकरण अक्टूबर 2001 तथा मई 2003 के मध्य आबकारी आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

6.9 विज्ञापन कर का अनारोपण / वसूली न होना

अधिनियम में प्रावधान है कि मनोरंजन का प्रत्येक संचालक मनोरंजन के दौरान दिखाये जाने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर 50 रूपये प्रति माह से अनधिक की दर से विज्ञापन कर का भुगतान करेगा ।

दो जिला आबकारी अधिकारियों[9] के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि 428 केबल संचालकों द्वारा मई 1999 से सितम्बर 2002 तक की अवधि से सम्बंधित विज्ञापन कर का न तो भुगतान किया गया और न ही उनसे वसूली की गयी । इसके परिणामस्वरूप 8 लाख रूपये के विज्ञापन कर का अनारोपण हुआ ।

8 छतरपुर, कटनी, राजगढ़, सागर, सीधी तथा उज्जैन

9 भोपाल तथा उज्जैन

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर दोनों जिला आबकारी अधिकारियों ने जून तथा अक्टूबर 2002 के मध्य बताया कि उच्च प्राधिकारियों से अनुदेश प्राप्त करने के पश्चात् कार्रवाई की जायेगी । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कर के आरोपण सम्बंधी प्रावधान पूर्व से ही अधिनियम में सन्निहित है । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

प्रकरण सितम्बर 2002 तथा मई 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

6.10 मनोरंजन शुल्क का अनारोपण

अधिनियम, (1999 में संशोधित) में प्रावधान है कि जिले का कलेक्टर सिनेमा मालिक को सिनेमा घर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिये एक रूपया प्रति टिकट से अनधिक वसूल करने के लिये अवधारित कर सकेगा जिस पर मनोरंजन शुल्क देय नहीं होगा । अगर कलेक्टर उपलब्ध कराई गयी सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है तो वह सुविधाओं के लिये मान्य की गयी राशि पर शुल्क वसूल कर सकेगा ।

सहायक आबकारी आयुक्त (मनोरंजन) भोपाल तथा उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि 24 सिनेमा घर के मालिकों ने कलेक्टर से अवधारित कराये बिना मई 1999 तथा अगस्त 2002 के मध्य सिनेमा घर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों से सुविधाऐं उपलब कराने के लिये 69.43 लाख रूपये वसूल किये । सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिये संग्रहीत की गयी राशि पर आरोपणीय मनोरंजन शुल्क भी आरोपित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 31.25 लाख रूपये के मनोरंजन शुल्क का अनारोपण हुआ ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर सहायक आबकारी आयुक्त, भोपाल तथा उज्जैन ने जून तथा अक्टूबर 2002 के मध्य बताया कि सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिये वसूली योग्य राशि के कलेक्टर द्वारा अवधारण के पश्चात् कार्रवाई की जायेगी । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

प्रकरण सितम्बर 2002 तथा मई 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

विद्युत शुल्क

6.11 विकास उपकर की कम वसूली

मध्य प्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 में प्रावधान है कि विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक किसी उपभोक्ता को बिक्रय या प्रदाय की गयी या स्वंय उसके द्वारा या उसके स्टाफ के द्वारा उपभोग की गयी विद्युत ऊर्जा के लिये 15 नवम्बर 2001 से प्रभावी 10 पैसे प्रति यूनिट की पुनरीक्षित दर से शासन को विद्युत विकास उपकर का भुगतान करेगा ।

अधीक्षण यंत्री (विद्युत एवं सुरक्षा) (ई एण्ड एस) इंदौर के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यपालन यंत्री प्रचालन एवं संधारण (ओ. एण्ड एम) संभाग, मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल, इंदौर (पश्चिम) ने नवम्बर 2001 तथा जनवरी 2002 के मध्य बिक्रय/उपभोग की गयी 6,31,73,652 यूनिट विद्युत पर संशोधन पूर्व दरों से उपकर जमा किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 56.86 लाख रूपये के उपकर की कम वसूली हुयी ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर अधीक्षण यंत्री (विद्युत एवं सुरक्षा) इंदौर ने दिसम्बर 2002 में बताया कि प्रकरण के परीक्षण के उपरांत वसूली की जावेगी । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004)।

प्रकरण मार्च 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

6.12 विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण न किये जाने के कारण हानि

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण के लिये उनकी श्रेणियों के अनुसार निर्धारित दरों पर फीस आरोपणीय हैं । मध्यम वोल्टेज की विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण तीन वर्ष में एक बार तथा अन्य प्रकरणों में यह वर्ष में एक बार किया जाता है ।

कार्यपालन यंत्री (ई.ई.)(विद्युत सुरक्षा) खण्डवा तथा अधीक्षण यंत्री (एस.ई.) (ई. एण्ड एस.) इंदौर के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 1997–98 से 2001–2002 की अवधि के दौरान 5,793 उच्च वोल्टेज तथा 45,912 मध्यम वोल्टेज विद्युत संस्थापनों का निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप निरीक्षण फीस के रूप में 26.90 लाख रूपये की हानि हुयी ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर कार्यपालन यंत्री, खण्डवा ने दिसम्बर 2002 में बताया कि तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार निरीक्षण नहीं किये जा सके । अधीक्षण यंत्री (विद्युत एवं सुरक्षा) इंदौर ने दिसम्बर 2002 में बताया कि शासकीय आदेशों के अनुसार निरीक्षण न करने के कारण दो चूककर्ता उप यंत्रियों के विरूद्ध विभागीय जॉच प्रारम्भ की गयी थी । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

प्रकरण जनवरी तथा मई 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

अध्याय – 7 :
वन प्राप्तियां

7.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–2003 के दौरान वन प्राप्तियों से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 233 प्रकरणों में वसूली न होने/कम वसूली होने से सम्बंधित 271.10 करोड़ रूपये की राजस्व हानि का पता चला जिसे मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1	मध्य प्रदेश में वन अपराधों पर समीक्षा	01	18.83
2	बांस/इमारती लकड़ी के कूपों का विदोहन न किये जाने के कारण वसूली न होना	21	53.80
3	अवरोध मूल्य से कम पर विक्रय करने के कारण कम वसूली	24	21.92
4	वनोपज की गुणवत्ता में ह्रास/कमी के कारण वसूली न होना	16	26.27
5	इमारती लकड़ी के पुनर्मापन के कारण कम वसूली	9	1.55
6	वनोपज का लेखांकन न किये जाने के कारण कम वसूली	8	0.64
7	इमारती लकड़ी एवं बांस का अनुमानित उत्पादन से कम उत्पादन के कारण कम वसूली	8	2.07
8	अन्य अनियमितातायें	146	146.02
	योग	*233*	*271.10*

मध्य प्रदेश में वन अपराधों पर एक समीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों, जिनमें 23.69 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित है, की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

7.2 मध्य प्रदेश में वन अपराधों पर समीक्षा

प्रमुख विशेषतायें

- वास्तविक प्राप्तियॉ 1998–99 में 507.60 करोड़ रूपये से 2001–02 में घटकर 306.45 करोड़ रूपये रह जाने से 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई ।

(कंडिका 7.2.4)

- वनों को पहुँचाई गई क्षति के मूल्य की वसूली हेतु सामयिक कार्रवाई न करने के कारण शास्ति सहित 13.15 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली न होना ।

(कंडिका 7.2.7)

- वन अपराधों की सूचना देने, जांच का निराकरण करने एवं अपराध के अभियोजन में एक माह से 17 वर्ष तक का विलम्ब ।

(कंडिका 7.2.8)

- विभाग द्वारा नियत समय पर कार्रवाई न करने के कारण कालातीत हो चुके 86,358 अपराध प्रकरणों से सम्बंधित 3.06 करोड़ रूपये के राजस्व से शासन का वंचित होना ।

(कंडिका 7.2.10)

- जब्त की गई इमारती लकड़ी के अनिवर्तित पड़े रहने से उसकी गुणवत्ता में ह्रास होने के कारण उसके मूल्य में 4.27 करोड़ रूपये की कमी होना ।

(कंडिका 7.2.12)

प्रस्तावना

7.2.1 भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2001 के अनुसार नवम्बर 2000 में मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 95,221 वर्ग किमी था जिसमें से सघन वनाच्छादित क्षेत्र 44,384 वर्ग कि.मी. था । विदोहन एवं वनारोपण से सम्बंधित विभाग की कार्यप्रणाली केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार प्रशासित होती है । भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत लापरवाही से या जानबूझकर हानि पहुँचाने वाला कोई कार्य जैसे किसी पेड़ को काटना, इमारती लकड़ी ले जाना, पशुओं को चराना, घास काटना, पत्थरों का खनन, अतिक्रमण करना, वन्य प्राणियों का शिकार करना/वन्य जीव को हानि पहुँचाना आदि एक अपराध है जिसके लिए पहुँचाये गए नुकसान की क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त न्यायालय के निर्णयानुसार कारावास तथा/या आर्थिक दण्ड का प्रावधान है । जैसे ही अपराध का पता लगता है, बीट/वन रक्षक निर्धारित प्रपत्र में प्रारंभिक अपराध प्रतिवेदन तैयार कर 48 घंटे के अन्दर परिक्षेत्र अधिकारी को भेजेगा । परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा 30 दिन के अन्दर जॉंच पूर्ण की जाना अपेक्षित है ।

संगठनात्मक संरचना

7.2.2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल प्रशासन का समग्र रूप से प्रभारी होता है । उसकी सहायता के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) होते हैं जो क्रमशः वन अपराधों तथा वन्य जीवन अपराधों के नियंत्रण तथा निर्देशन से सम्बंधित दायित्वों का निर्वहन करते हैं । किसी मण्डल में वन का क्षेत्रफल परिक्षेत्रों/उप परिक्षेत्रों तथा बीटों में विभाजित होता है । बीट/वन रक्षक, जो बीट का प्रभारी होता है, अवैध कटाई अथवा अन्य दूसरे प्रकार के वन अपराधों को रोकने के लिए उत्तरदायी है । वन अपराधों की रोकथाम के कार्य का पर्यवेक्षण वनपाल/उप परिक्षेत्र अधिकारी/परिक्षेत्र अधिकारी/उप वनमण्डल अधिकारी और वनमण्डल अधिकारी द्वारा किया जाता है ।

लेखा परीक्षा का उद्देश्य

7.2.3

- विभाग द्वारा निर्मित नियमों एवं प्रक्रियाओं की प्रभावोत्पादकता
- अपराध प्रकरणों की सूचना देने तथा निराकरण करने में त्वरित कार्रवाई
- अधिनियम में निहित प्रक्रिया, नियमों एवं प्रावधानों का अनुपालन तथा
- विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता

को सुनिश्चित करने की दृष्टि से 60 क्षेत्रीय/सामान्य वनमण्डलों[1] में से 20, 9 वन्य जीवन मण्डलों[2] (राष्ट्रीय पार्क) में से 2 की तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) के कार्यालयों के 1998–99 से 2002–2003 तक की अवधि से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच की गई ।

1 बड़वाह, बड़वानी, बुरहानपुर, पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण छिन्दवाड़ा, धार, डिन्डोरी, जबलपुर, इन्दौर, कटनी, खण्डवा, खरगौन, पूर्व, पश्चिम एवं बफरजोन मण्डला, नरसिंहपुर, सेंधवा, उत्तर एवं दक्षिण सिवनी

2 राष्ट्रीय उद्यान कान्हा तथा पेंच (टाइगर प्रोजेक्ट)

7.2.4 राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्ति	31 मार्च को लंबित अपराध प्रकरणों की संख्या	1998–99 की तुलना में राजस्व में कमी का प्रतिशत	1998–99 की तुलना में वन अपराधों में वृद्धि का प्रतिशत
	(रूपये करोड़ में)				
1998–1999	617.00	507.60	58,688	–	–
1999–2000	500.00	315.28	66,834	38	14
2000–2001	522.00	372.56	64,881	27	11
2001–2002	323.00	306.45	62,592	40	7

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वास्तविक राजस्व प्राप्तियॉं वर्ष 1998–99 में 507.60 करोड़ रूपये से वर्ष 2001–02 में घटकर 306.45 करोड़ रूपये रह जाने के परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई । विभाग ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण पातन नहीं किया गया ।

मॉनीटरिंग एवं आंतरिक नियंत्रण का अभाव

7.2.5 वन अपराध प्रकरणों के अभिलेखों/लेखाओं के औचित्यपूर्ण संधारण हेतु मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) ने एक प्रारंभिक अपराध प्रविवेदन पंजी निर्धारित की है । वनमण्डल अधिकारी द्वारा वन संरक्षक के माध्यम से एक त्रैमासिक प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) को भेजा जाना आवश्यक है ।

यह देखा गया कि प्रारंभिक अपराध प्रतिवेदन पंजी का औचित्यपूर्ण ढंग से संधारण नहीं किया गया है तथा नमूना जॉंच किए गए सभी मण्डलों में कई स्तम्भों में प्रविष्टियां नहीं की गई थीं । इसके अतिरिक्त वनमण्डल अधिकारी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया जिसमें शीर्ष स्तर पर प्रभावी मॉनीटरिंग का अभाव परिलक्षित होता है ।

अपराध प्रकरणों की स्थिति

7.2.6 विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पंजीबद्ध अपराध प्रकरणों, प्रशमन किये गये प्रकरणों, न्यायालय द्वारा निर्णीत एवं एवं निर्णय हेतु लंबित प्रकरणों की वर्ष 1998–99 से 2002–03 की स्थिति निम्नानुसार थीं :

वर्ष	*पूर्व शेष*	*वृद्धि*	*योग*	*प्रशमन आदि के माध्यम से निराकृत*	*शेष*	*निराकरण का प्रतिशत*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1998–99	4,23,140	58,688	4,81,828	36,679	4,45,149	8
1999–00	4,45,149	66,834	5,11,983	32,515	4,79,468	6
2000–01	4,79,468	64,881	5,44,349	32,313	5,12,036	6
2001–02	5,12,036	62,592	5,74,628	28,942	5,45,686	5
2002–03	5,45,686	43,578	5,89,264	13,224	5,76,040	2

प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत 2 से 8 के मध्य रहा जो कि अत्यंत कम था । विभाग ने बताया कि कर्मचारियों पर वानिकी कार्य के बढ़ते हुए दबाब के कारण निराकरण का प्रतिशत अत्यंत कम रहा ।

क्षतिपूर्ति एवं शास्ति की राशि की वसूली न होना

7.2.7 म.प्र. वन नियमावली के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार वन विभाग के अधिकारी पहुँचाये गये नुकसान की क्षतिपूर्ति या शास्ति अथवा दोनों जैसाकि सम्बंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, की वसूली करने के उपरांत वन अपराध का प्रशमन करने के लिए प्राधिकृत हैं । यदि अपराध का प्रशमन नहीं किया जाता है तो अपराधी को न्यायालय में अभियोजन हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभाग ने वर्ष के दौरान प्रशमन किये गये प्रकरणों में निर्धारित क्षतिपूर्ति एवं जुर्माने की वर्षवार स्थिति दर्शाने वाला कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था । फिर भी उनके द्वारा एकत्रित एवं प्रदत्त जानकारी के अनुसार अप्रैल 1999 से मई 2002 की अवधि के दौरान 6.88 करोड़[3] रूपये की वसूली निर्धारित की गई थी । इस राशि में से शास्ति 2.40 करोड़ रूपये थी जबकि पहुँचाये गए नुकसान की क्षतिपूर्ति की राशि 4.48 करोड़ रूपयें थी । दिसम्बर 2002 तक केवल 2.91 करोड़ रूपये की राशि की वसूली की गई थी ।

3 प्रकरणों की संख्या उपलब्ध नहीं कराई गई

शेष राशि 3.97 करोड़ रूपये की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई । इसके अतिरिक्त 1998–99 से पूर्व की अवधि से सम्बंधित शास्ति एवं क्षतिपूर्ति की राशि 9.18 करोड़ रूपये वसूली हेतु अभी तक बकाया थी ।

इस प्रकार, क्षतिपूर्ति एवं शास्ति की राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा सामयिक कार्रवाई करने में असफल रहने के कारण शासन को 13.15 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित रहना पड़ा ।

इसके अतिरिक्त अप्रैल 2003 में मध्य प्रदेश शासन (वन विभाग) ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत जून 2002 से पूर्व पंजीकृत किए सभी वन अपराध प्रकरणों को बंद करने तथा अपराध प्रकरणों में अन्तर्निहित बकाया राशि की वसूली रोकने के भी आदेश जारी किए । शासन के इस निर्णय से न केवल राजस्व की हानि हुई बल्कि इससे अपराधकर्ताओं को भी प्रोत्साहन मिला ।

अपराध प्रकरणों की सूचना देने में असाधारण विलम्ब

7.2.8 मध्य प्रदेश वन नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार, वन अपराध का पता लगने पर बीट/वन रक्षक द्वारा इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर वन परिक्षेत्र अधिकारी को आवश्यक रूप से देनी चाहिए जो ऐसे प्रकरणों की जॉच करने के लिए प्राधिकृत है ।

लेकिन 3 वनमण्डलों के अभिलेखों से यह पता चला कि 525 अपराध प्रकरणों की सूचना परिक्षेत्र कार्यालयों को देने में नीचे दिये गये विवरणानुसार 1 माह से 17 वर्ष की अवधि का असाधारण विलम्ब हुआ :

वृत्त का नाम	*संभाग का नाम*	*प्राथमिक अपराध प्रतिवेदन की संख्या*	*विलम्ब की अवधि*				
			1 माह से 3 माह	*3 माह से 5 माह*	*5 माह से 1 वर्ष*	*1 वर्ष से 5 वर्ष*	*5 वर्ष से अधिक एवं 17 वर्षों तक*
सिवनी	दक्षिण सिवनी	36	27	04	01	02	02
इन्दौर	इन्दौर	17	11	01	01	04	–
	धार	472	442	13	10	07	–
	योग	***525***	***480***	***18***	***12***	***13***	***02***

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर वनमण्डल अधिकारी दक्षिण सिवनी ने जून 2003 में बताया कि उत्तरदायी अधिकारियों से विलम्ब का स्पष्टीकरण पूछा गया है । वनमण्डल अधिकारी, धार ने अगस्त 2002 में बताया कि परिक्षेत्र अधिकारियों को भविष्य में सावधानी बरतने हेतु निर्देशित किया गया है । वनमण्डल अधिकारी, इन्दौर ने कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया ।

जांच करने में असाधारण विलम्ब

7.2.9 मध्य प्रदेश वन नियमावली में निहित प्रावधानों के साथ पठित मध्य प्रदेश शासन के निर्देश (मार्च 1995) के अनुसार वन अपराध प्रकरणों की जॉच, यदि परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा जॉच की जा रही है तो अपराध का पता लगने के 30 दिन के अन्दर और यदि सहायक परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा की जा रही है तो 15 दिन के अन्दर पूर्ण की जाएगीं ।

यह देखा गया कि 17 वनमण्डलों एवं 2 राष्ट्रीय उद्यानों में वर्ष 2002–03 तक पंजीबद्ध किये गये 3.39 लाख प्रकरणों में से नीचे दिए गए विवरणानुसार 91,539 प्रकरण निर्धारित समयावधि के बाद भी निराकरण हेतु लंबित थे :

वृत्त का नाम	*वनमण्डलों की संख्या*	*जॉच हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या*	*31.3.2003 की स्थिति में जॉच निराकरण में विलम्ब की अवधि*				
			1 माह से 6 माह	*6 माह से 1 वर्ष*	*1 वर्ष से 3 वर्ष*	*3 वर्ष से 5 वर्ष*	*5 वर्ष से अधिक*
छिन्दवाड़ा	03	6,372	846	1,268	1,068	1,234	1,956
जबलपुर	06	28,006	1,955	894	5,454	7,628	12,075
खण्डवा	06	42,641	3,679	4,607	18,722	2,925	12,708
सिवनी	02	13,609	750	617	986	1,540	9,716
राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा	01	556	97	105	58	62	234
राष्ट्रीय उद्यान, पेंच	01	355	–	53	133	119	50
योग	*19*	*91,539*	*7,327*	*7,544*	*26,421*	*13,508*	*36,739*

जॉच में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप प्रकरणों का प्रशमन नहीं हुआ तथा न्यायालयीन अभियोजन में विलम्ब भी हुआ जिससे शासन को हानि उठानी पड़ी ।

न्यायालयीन अभियोजन हेतु कालातीत प्रकरण

7.2.10 भारतीय दण्ड संहिता में प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय ऐसे किसी अपराध प्रकरण पर विचार नहीं करेगा जिसे न्यायालय में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो । किए गए अपराध की प्रकृति के अनुसार न्यायालय में प्रकरणों के अभियोजन की अवधि 6 माह से 3 वर्ष है ।

18 वनमण्डलों[4] द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विभिन्न श्रेणियों से सम्बंधित 86,358 अपराध प्रकरण, जिनमें 3.06 करोड़ रूपये का राजस्व अन्तर्निहित था, न्यायालय में निर्धारित अवधि के अन्दर अभियोजन हेतु प्रस्तुत न करने के कारण मार्च 2003 के अन्त में कालातीत हो गये । इस प्रकार, समय पर कार्रवाई प्रारंभ न करने से शासन को राशि 3.06 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित रहना पड़ा ।

प्रकरणों के प्रशमन में विलम्ब

7.2.11 13 वनमण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि यद्यपि प्रारंभिक जॉच प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिया जा चुका था किन्तु ऐसे प्रकरणों का प्रशमन करने हेतु विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई । प्रशमन करने में 3 वर्ष से 20 वर्ष हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है :

वृत्त का नाम	*संभाग का नाम*	*प्रशमन किए गए प्रकरणों की सं.*	*प्रशमन में विलम्ब की अवधि*			
			3 वर्ष से 5 वर्ष	*5 वर्ष से 10 वर्ष*	*10 वर्ष से 20 वर्ष*	*20 वर्ष से अधिक*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
इन्दौर	इन्दौर	3,132	1,272	1,484	376	–
	धार	934	–	301	316	317
जबलपुर	जबलपुर	301	–	90	100	111
	डिन्डोरी	224	–	151	57	16
	पश्चिम मण्डला	705	–	470	219	16
	पूर्व मण्डला	656	–	300	198	158
	बफरजोन	138	–	120	17	01
	कटनी	1,410	–	641	416	353
खण्डवा	खण्डवा	4,572	2,877	1,666	29	–
	खरगौन	4,142	1,130	2,670	245	97
	बड़वानी	545	537	05	03	–
	सेन्धवा	1,239	1,222	11	–	06
	बुरहानपुर	2,132	1,641	381	110	–
योग	*13 संभाग*	*20,130*	*8,679*	*8,290*	*2,086*	*1,075*

[4] बड़वाहा, बड़वानी, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा (पूर्व), (पश्चिम) तथा (दक्षिण), डिन्डोरी, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, खरगौन, मण्डला (पूर्व), (पश्चिम) तथा (बफरजोन), नरसिंहपुर, सेंधवा, उत्तर सिवनी तथा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा (टाइगर प्रोजेक्ट)

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर, वनमण्डलाधिकारियों ने बताया कि जॉच में विलम्ब के कारण प्रशमन में विलम्ब हुआ । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जॉच प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात विलम्ब हुआ था । उपरोक्त तथ्यों से यह इंगित होता है कि वन अपराधों की रोकथाम से सम्बंधित विभागीय कार्यप्रणाली कमजोर एवं निष्प्रभावी है । इससे सामयिक पर्यवेक्षण एवं प्रभावी मॉनीटरिंग का अभाव भी परिलक्षित होता है ।

जप्त वनोपज की गुणवत्ता में ह्रास के कारण राजस्व हानि

7.2.12 मध्य प्रदेश वन नियमावली के अनुसार कटी हुई इमारती लकड़ी एवं जलाऊ लकड़ी का उपयोग जीवन 5 वर्ष एवं बांस का 2 वर्ष माना जायेगा । अन्य वस्तुओं के लिए उसकी उपयोगिता की समय सीमा उस वस्तु की प्रकृति पर निर्भर रहेगी । इमारती व जलाऊ लकड़ी का मूल्यांकन करते समय उसकी मूल कीमत में प्रति वर्ष 1/5 भाग के मूल्य की कमी की जा सकती है, जो हानि घटित होने व सामग्री के पातन/परिवर्तित करने की तिथियों के बीच में होती है ।

18 वनमण्डलों में यह देखा गया कि वर्ष 1998–99 से 2002–03 के दौरान 4.27 करोड़ रूपये मूल्य की 12,997 घन मीटर इमारती लकड़ी, 2,33,923 वल्लियां एवं 31,527 जलाऊ चट्टे जप्त किये गये थे । वनोपज का न तो विक्रय हेतु आगारों में परिवहन किया गया और न ही नीलाम/विक्रय द्वारा उसका निवर्तन किया गया, परिणामस्वरूप 4.27 करोड़ रूपये के शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर सम्बंधित प्राधिकारियों ने हानि को स्वीकार किया और बताया कि इमारती लकड़ी को विक्रय आगारों में भेजना विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासकीय राजस्व की हानि को रोकने के लिए इमारती लकड़ी की स्थान पर ही नीलामी की जा सकती थी/विक्रय किया जा सकता था या इसे विक्रय आगारों को भेजने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकते थे ।

अवैध कटाई से राजस्व हानि

7.2.13 वन क्षेत्र से बिना वैध अधिकारिता के वनोपज को काटना/हटाना एक दण्डनीय अपराध है जिसके लिए वनोपज को जब्त करने के साथ जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है । अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से विभाग ने कई वन अधिकारियों द्वारा बीटों के निरीक्षण का कार्य किया जाना निर्धारित किया ।

वनमण्डल कार्यालय, खण्डवा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल से जुलाई 2002 के दौरान 7 बीटों के 14 उपखण्डों में विभिन्न गोलाई/मोटाई के 7,299 वृक्षों का अवैध पातन हुआ । वृक्षों का अनुमानित मूल्य 1.56 करोड़ रूपये था । विभाग ने 31 प्रारंभिक/प्राथमिक अपराध प्रतिवेदन प्रकरण

दर्ज किए तथा 14.65 लाख रूपये मूल्य की 108.524 घन मीटर इमारती लकड़ी जब्त की गई । 1.41 करोड़ रूपये मूल्य का शेष वनोपज शरारती तत्वों द्वारा स्थल से हटा लिया गया । इस प्रकार, वनों की सुरक्षा करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप 1.41 करोड़ रूपये की हानि हुई ।

बीट निरीक्षण में अत्यधिक कमी

7.2.14 वनों की अवैध कटाई पर नियंत्रण की दृष्टि से शासन ने अक्टूबर 1995 में विभिन्न वन अधिकारियों द्वारा बीटों का निरीक्षण किया जाना निर्धारित किया था । इसके अनुसार, परिक्षेत्र सहायक अपने अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक बीट का माह में 2 बार जबकि परिक्षेत्र अधिकारी, उप वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल अधिकारी माह में क्रमशः 4 बार, 3 बार व 2 बार बीट का निरीक्षण करेंगे ।

14 वनमण्डलों में वर्ष 1998–99 से 2002–03 के दौरान किये गये बीट निरीक्षण की स्थिति निम्नानुसार थीं :

अनु. क्र.सं.	*वनमण्डल का नाम*	*अधिकारियों का पदनाम*	*वर्ष 98–99 से 2002–03 के दौरान वांछित निरीक्षण*	*वास्तव में किये गये निरीक्षण*	*कमी*	*कमी का प्रतिशत*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	उत्तर सिवनी	व.मं.अ.	48	22	26	54
		उ.व.मं.अ.	221	109	112	50
		परि.अधि.	1,296	552	744	57
		उप परि.अधि.	5,976	1,631	4,345	72
2	दक्षिण सिवनी	व.मं.अ.	48	26	22	45
3	जबलपुर	व.मं.अ.	70	30	40	57
		उ.व.मं.अ.	72	42	30	41
4	डिन्डोरी	व.मं.अ.	48	9	39	81
		उ.व.मं.अ.	466	164	302	65
		परि.अधि.	2,080	888	1,192	57
		उप परि.अधि/ परि.सहा.	3,848	1,678	2,170	56
5	प. मण्डला	व.मं.अ.	72	43	29	40
6	पूर्व मण्डला	व.मं.अ.	96	37	59	61
		उ.व.मं.अ.	216	48	168	78
		परि.अधि.	920	415	505	55
7	बफरजोन मण्डला	परि.अधि.	1,200	443	757	63
		परि.सहा./उप परि.अधि.	1,680	697	983	58

8	कटनी	व.मं.अ.	108	50	58	54
		उ.व.मं.अ.	108	45	63	58
		परि.अधि.	144	73	71	49
9	पूर्व छिंदवाड़ा	व.मं.अ.	24	14	10	42
10	खरगौन	व.मं.अ.	72	33	39	54
		उ.व.मं.अ.	72	27	45	62
11	बड़वानी	व.मं.अ.	120	31	69	57
		उ.व.मं.अ.	112	43	69	61
		परि.अधि.	707	131	576	81
		परि.सहा./उप परि.अधि.	1,782	802	980	55
12	बड़वाहा	व.मं.अ.	48	25	23	47
		उ.व.मं.अ.	108	52	56	52
		परि.अधि.	288	119	169	58
		उप परि.अधि.	864	364	500	58
13	बुरहानपुर	व.मं.अ.	120	51	69	57
		उ.व.मं.अ.	540	197	343	63
		परि.अधि.	1,344	509	835	62
		उप परि.अधि.	3,360	1,622	1,738	52
14	सेन्धवा	व.मं.अ.	115	52	63	55
		उ.व.मं.अ.	162	75	87	54
		परि.अधि.	637	331	306	48

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1998–99 तथा 2002–03 के मध्य बीट निरीक्षण में 40 से 81 प्रतिशत की कमी रही । उपरोक्त तथ्य इंगित करते हैं कि विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण की मॉनीटरिंग/सतत् मूल्यांकन करने के लिए विभाग का आंतरिक नियंत्रण कमजोर था ।

वन भूमि पर अतिक्रमण

7.2.15 भारतीय वन अधिनियम, 1927 कृषि या किसी अन्य उद्देश्य के लिए वन भूमि में वृक्षों की कटाई/सफाई को प्रतिबंधित करता है । अधिनियम में यह भी निर्धारित किया गया है कि अप्राधिकृत रूप से किसी वन भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकता है । अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली आदेश जारी करने के लिए वन अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है ।

दिसम्बर 2001 में वन भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति निम्नानुसार थीं :

	प्रकरण	*क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)*
कुल अतिक्रमण	22,048	110053.723
प्रकरणों की संख्या जिनमें बेदखल कराने हेतु नोटिस जारी किये गये	16,672	89003.387
बेदखल प्रकरणों की संख्या	4,108	26120.111

इस प्रकार अतिक्रमण हटाने की प्रगति बहुत ही दयनीय थी । विभाग द्वारा शेष 5,376 प्रकरणों में, जिनमें वन भूमि का 21,050.336 हेक्टेयर क्षेत्र अन्तर्निहित था, कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई । वर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया ।

7.2.16 वन्य प्राणी अपराध

किसी भी वन्य प्राणी का शिकार करना/मारना एक अपराध है एवं पहुँचाये गये नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त कारावास तथा/या जुर्माने के साथ, जैसाकि न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाये, दण्डनीय है । 16 वनमण्डलों व 2 राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य प्राणी अपराध प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार थीं :

वर्ष	*पंजीबद्ध प्रकरण*	*विलोपित प्रकरण*	*निराकृत प्रकरण*	*लंबित प्रकरण*	
				न्यायालय में	*विभाग में*
मार्च 1998 तक	381	99	56	212	14
1998–1999	77	10	13	44	10
1999–2000	105	12	19	51	23
2000–2001	111	09	22	61	19
2001–2002	116	21	15	57	23
2002–2003	93	24	02	50	17
योग	*883*	*175*	*127*	*475*	*106*

उपरोक्त से ज्ञात होता है कि अवधि के दौरान प्रकरणों के निराकरण की स्थिति बहुत दयनीय थी । प्रत्येक वर्ष पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या उस वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरणों से कहीं अधिक थी ।

अनुशंसायें

7.2.17 उपरोक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि उचित पर्यवेक्षण तथा क्षेत्रीय संरचना पर प्रभावी नियंत्रण के अभाव के कारण वन अपराधों को प्रभावी ढंग से नहीं रोका जा सका । शासकीय राजस्व की हानि को रोकने/वनाच्छादित क्षेत्र का संरक्षण करने के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है :

- शीर्ष स्तर पर प्रकरणों के निराकरण सम्बंधी प्रतिवेदन का गहन एवं सतत् मूल्यांकन
- विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना ताकि शीर्ष स्तर से जारी अनुदेशों का क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जा सके ।

उपरोक्त बिन्दुओं को अगस्त 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2004) ।

7.3 इमारती लकड़ी के अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन में अत्यधिक अंतर के कारण राजस्व हानि

प्रत्येक वनमण्डल की कार्य योजना में वर्ष वार विदोहन किए जाने वाले कूपों की संख्या एवं कूपों से प्राप्त अनुमानित उत्पादन को विनिर्दिष्ट किया जाता है । वृक्षों को चिन्हांकित करने के पश्चात, कूपों को विदोहन हेतु उत्पादन वनमण्डल के सुपुर्द कर दिया जाता है । अनुमानित उत्पादन तथा वास्तविक उत्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए ।

दो वनमण्डलों में, जिनमें अभिलेखों की नमूना जॉच दिसम्बर 2001 तथा अगस्त 2002 के मध्य की गई थी, वर्ष 2000–01 तथा 2001–02 के दौरान अनुमानित उत्पादन, वास्तविक उत्पादन तथा कमी एवं इमारती लकड़ी एवं जलाऊ लकड़ी में कमी के प्रतिशत से सम्बंधित आंकड़ों में वास्तविक उत्पादन तथा अनुमानित उत्पादन में निम्नानुसार अत्यधिक भिन्नताएं पाई गई :

क्र. सं.	*वनमण्डल*	*वर्ष*	*विवरण*	*अनुमानित मात्रा*	*वास्तविक उत्पादन*	*कमी*	*कमी का प्रतिशत*
1	वनमंडल अधिकारी (उत्पादन) डिन्डोरी	2000–01	इमारती लकड़ी	2350 घ.मी.	1441.998 घ.मी.	908.002 घ.मी.	39%
			जलाऊ लकड़ी	590 चट्टे	234 चट्टे	356 चट्टे	60%
2	वनमंडल अधिकारी (सामान्य) कटनी	2000–01	इमारती लकड़ी	88 घ.मी.	28.641 घ.मी.	59.359 घ.मी.	67%
		2001–02	इमारती लकड़ी	120.795 घ.मी.	15.358 घ.मी.	105.437 घ.मी.	87%
			जलाऊ लकड़ी	951 चट्टे	593 चट्टे	358 चट्टे	38%
		योग	*इमारती लकड़ी*	*2558.795 घ.मी*	*1485.997 घ.मी.*	*1072.798 घ.मी.*	*42%*
			जलाऊ लकड़ी	*1541 चट्टे*	*827 चट्टे*	*714 चट्टे*	*46%*

इमारती लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी के वास्तविक उत्पादन में 38 से 87 प्रतिशत तक कमी रही । कमी के कारणों की जांच नहीं की गई । इस प्रकार इमारती लकड़ी के उत्पादन में 965.518 घन मीटर एवं जलाऊ लकड़ी में 643 चट्टे की कमी होने से विदोहन व्यय के रूप में 11.20 लाख रूपये के समायोजन के बाद 30.91 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर वनमण्डल अधिकारी (उत्पादन) डिन्डोरी ने दिसम्बर 2001 में बताया कि काटे गये वृक्ष साल बोरर प्रभावित थे जिनसे अनुमानित मात्रा के अनुसार वास्तविक उत्पादन प्राप्त करना संभव नहीं था । वनमण्डल अधिकारी, कटनी ने अगस्त 2002 में बताया कि जिन कूपों में विदोहन कार्य किया गया था वे कार्य योजना के अनुसार मिश्रित वन विकास श्रेणी एवं साल वन विकास श्रेणी में वर्गीकृत थे । इस श्रेणी में मृत एवं बीमार वृक्ष कटाई हेतु चिन्हित किये गये थे, जिनसे इमारती लकड़ी एवं जलाऊ लकड़ी के उत्पादन का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वृक्षों का चिन्हांकन एवं उत्पादन का आंकलन उपरोक्त सभी कारकों को ध्यान में रखकर ही किया गया था ।

प्रकरण अप्रैल 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

7.4 औद्योगिक बांस के निवर्तन में राजस्व हानि

7.4.1. वनमण्डल कार्यालय (उत्पादन), बैतूल के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान काटे गए 8,618.736 विक्रय इकाई (एस.यू.) औद्योगिक बांस को 23 अप्रैल 2001 तथा 22 सितम्बर 2001 की नीलामी में मै. ओ.पी.एम. को 1.27 करोड़ रूपये के अवरोध मूल्य के विरूद्ध 49.05 लाख रूपये में बेचा गया । इसके परिणामस्वरूप 77.46 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

शासन ने, जिसको कि प्रकरण सूचित किया गया था, तथ्यों को स्वीकार किया तथा नवम्बर 2003 में वनमण्डल अधिकारी के उत्तर को पृष्ठांकित कर बताया कि बांस के निवर्तन के लिए जुलाई 1999 एवं जुलाई 2000 से बार–बार प्रयास किया गया, परन्तु उन्हें अप्रैल एवं सितम्बर 2001 में बेचा जा सका ।

7.4.2 वनमण्डल अधिकारी (उत्पादन), बैतूल के अभिलेखों की नमूना जॉच में पुनः देखा गया कि 2000–01 में काटे गये औद्योगिक बांसों के 4,849.571 नोशनल टन के 11 लॉट्स का 22 सितम्बर 2001 एवं 26 दिसम्बर 2001 को नीलाम में रखने के बावजूद भी सितम्बर 2002 तक निवर्तन नहीं किया जा सका जबकि अवरोध मूल्य 75.02 लाख रूपये के विरूद्ध क्रमशः 43.56 लाख रूपये एवं 43.97 लाख रूपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । वन संरक्षक, बैतूल द्वारा विक्रय को मंजूरी नहीं दी गई क्योंकि बोली 30 प्रतिशत से अधिक कम थी, जो कि वन संरक्षक को प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत नहीं थीं । बोली के अनुमोदन हेतु प्रकरण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को प्रेषित नहीं किया गया ।

शासन ने, जिसको कि प्रकरण सूचित किया गया था, नवम्बर 2003 में वनमण्डल अधिकारी, बैतूल के उत्तर को पृष्ठांकित किया जिसमें बताया गया था कि उपरोक्त बांसों का निवर्तन 23 मार्च 2003 को रखे गये नीलाम में 21.95 लाख रूपये मूल्य में किया गया था । उत्तर से स्पष्ट है कि अवरोध मूल्य 75.02 लाख रूपये के विरूद्ध वास्तविक राजस्व केवल 21.95 लाख रूपये (29.25 प्रतिशत) प्राप्त हुआ था जो कि क्रमशः 43.56 लाख रूपये और 43.97 लाख रूपये के पूर्ववर्ती प्रस्तावों से भी कम था । दूसरी बोली में प्राप्त दरों अर्थात 43.97 लाख रूपये में बांसों का निवर्तन न किए जाने के परिणामस्वरूप 22.02 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

7.5 बांस कूपों में पातन कार्य न किए जाने के कारण [illegible] हानि

मुख्य वन संरक्षक (राष्ट्रीयकरण) द्वारा अक्टूबर, 1975 में जारी अनुदेशों के अनुसार, सभी बांस भिर्रों/ बांस झुण्डों में, चाहे वे कूप में कहीं भी स्थिति हों तथा उनकी उपज घनत्व कुछ भी हो, निरापवाद रूप से पातन कार्य किया जाना है एवं कूप में बांस का कोई भी क्षेत्र बिना पातन कार्य किए नहीं छोड़ा जाना है । अगस्त 2000 में मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) ने पुनः इस बात पर जोर दिया कि पातन कार्य हेतु नियत किए गए कूपों में किसी भी परिस्थिति में बांस का पातन (कटाई) रोका नहीं जाना चाहिए ।

वनमण्डल अधिकारी (उत्पादन) उत्तर बालाघाट के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि 2000–01 तथा 2001–02 के दौरान 9,778.108 हेक्टेयर कार्य योग्य क्षेत्रफल के 25 बांस कूपों में पातन कार्य किया जाना था । 7,147.212 नोशनल टन (व्यापारिक) तथा 9,217.551 नोशनल टन (औद्योगिक) बांस की अनुमानित मात्रा के आंकलन के साथ इन कूपों को पातन कार्य हेतु विधिवत सीमांकित करने के पश्चात 2000–01 तथा 2001–02 के दौरान उत्पादन मण्डल को सौंप दिया गया । लेकिन इन कूपों में अब तक पातन कार्य नहीं किया गया, परिणामस्वरूप 3.17 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

शासन ने, जिसको कि नवम्बर 2002 में प्रकरण प्रेषित किया गया था, उत्तर में बताया कि प्रकरण विचारार्थ एवं पातन (कटाई) हेतु टास्क फोर्स को प्रस्तुत किया गया था । नक्सलवादी गतिविधियों के कारण इन कूपों में पातन कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई तथा मजदूर एवं परिवहनकर्ता ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे । स्पष्ट रूप से शासन द्वारा राजस्व हित में इन चिरकालिक समस्यायों के समाधान के लिए गंभीर एवं प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ।

7.6 बांस के कम उत्पादन के कारण राजस्व हानि

विभागीय प्रक्रिया के अनुसार, क्षेत्रीय वनमण्डल द्वारा बांस की अनुमानित मात्रा का निर्धारण बांस के क्षेत्रफल में सर्वेक्षण, सीमांकन तथा नमूना भू–खण्ड तैयार कर किया जाता है । इसके बाद कूप को विदोहन हेतु उत्पादन मण्डल को सौंप दिया जाता है । मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा नवम्बर 1997 में जारी अनुदेशों के अनुसार सीमांकन के समय पातन करने योग्य एवं पातन न करने योग्य क्षेत्रफल का सही आंकलन किया जाना चाहिए तथा अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन में अन्तर से बचने के लिए सम्पूर्ण कूप के अनुमानित उत्पादन का आंकलन किया जाना चाहिए ।

वनमण्डल अधिकारी (उत्पादन), बालाघाट के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि 2000–01 तथा 2001–02 के दौरान 6 कूपों से 2,485 नोशनल टन व्यापारिक तथा 2,150 नोशनल टन औद्योगिक बांस के अनुमानित उत्पादन के विरूद्ध, मण्डल द्वारा केवल 1560 नोशनल टन व्यापारिक तथा 1,527 नोशनल टन औद्योगिक बांस का विदोहन किए जा सकने के परिणामस्वरूप 38.60 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर वनमण्डल अधिकारी ने अगस्त 2002 में बताया कि सम्पूर्ण क्षेत्र के एक बहुत छोटे हिस्से में तैयार किए गए नमूना भू–खण्ड के आधार पर अनुमानित मात्रा की संगणना करने के कारण उत्पादन कम हुआ जबकि विदोहन कूपों में बांस की वास्तविक उपलब्धता के आधार पर किया गया था । यह भी बताया कि कुछ कूपों का पहाड़ी तथा संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित होना तथा कूप में कुछ निश्चित स्थानों पर बांस की अल्प उपलब्धता के अतिरिक्त नक्सलवादी समस्या भी इसका मुख्य कारण थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य आयोजन में उल्लिखित सभी कारकों पर उचित विचार करने के बाद ही वनमण्डल अधिकारी द्वारा अनुमानित उत्पादन का आंकलन किया जाना अपेक्षित था ।

प्रकरण मार्च 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

अध्याय – 8

खनन प्राप्तियाँ

8.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–2003 के दौरान खनन प्राप्तियों के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 39.81 करोड़ रूपये की राशि के राज्यांश, अनिवार्य किराए का अनिर्धारण/कम निर्धारण, संविदा राशि, राज्यांश, खनिज क्षेत्र विकास उपकर की वसूली न होना तथा राज्यांश के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के अनारोपण आदि से संबंधित 1,280 प्रकरणों का पता चला, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपयेमें)

क्रम संख्या		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1	राज्यांश एवं अनिवार्य किराए का अनिर्धारण	149	4.37
2	खनिज क्षेत्र विकास उपकर एवं राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों के विरूद्ध राजस्व वसूली न करना/कम करना	754	1.65
3	राज्यांश के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण/ कम अनारोपण	60	4.65
4	गौण खनिजों पर राज्यांश एवं शास्ति का अनारोपण तथा संविदा राशि, मुद्राकं शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली न होना	55	6.74
5	अन्य	262	22.40
	योग	***1280***	***39.81***

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 120.86 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है, की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

8.2 अनिवार्य किराये का अनारोपण/कम आरोपण

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधानों तथा पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से उत्खनित किये गये खनिज पर राज्यांश या अनिवार्य किराए में से, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा । अनिवार्य किराए का अग्रिम भुगतान प्रत्येक वर्ष 20 जनवरी या उससे पूर्व किया जाना अपेक्षित है । यदि पट्टेदार निर्धारित अवधि के भीतर देय अनिवार्य किराए/राज्यांश का भुगतान करने में असफल रहता है, तो वह चूक अवधि के लिए 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए दायित्वाधीन होगा ।

8.2.1 9 खनन अधिकारियों[1] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 71 पट्टेदारों द्वारा माह मार्च 1997 एवं दिसम्बर 2002 की अवधि के मध्य प्रस्तुत विवरणियां या तो निरंक थीं अथवा उनके द्वारा जमा किये गये 2.36 लाख रूपये का राज्यांश उक्त अवधि के दौरान देय अनिवार्य किराए की राशि से कम था। पट्टेदार अनिवार्य किराए के रूप में 39.25 लाख रूपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन विभाग उक्त राशि की वसूली करने में असफल रहा । परिणामस्वरूप 36.89 लाख रूपये के अनिवार्य किराए की कम वसूली हुई । इसके अतिरिक्त 14.64 लाख रूपये का ब्याज भी प्रभारणीय था ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर खनन अधिकारी, मंदसौर ने सितम्बर 2002 में बताया कि वसूली हेतु मांग सूचना पत्र जारी किये जा चुके थे । अन्य प्रकरणों में उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 2004) ।

प्रकरण दिसम्बर 2002 एवं मार्च 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गयाय उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

8.2.2 खनन अधिकारी, छतरपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि मार्च 1998 में मध्य प्रदेश खनिज निगम को एक खनन पट्टा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया था । विभाग पट्टेदार से जुलाई 1998 से दिसम्बर 2002 तक की अवधि से सम्बंधित 4.24 लाख रूपये के अनिवार्य किराए की वसूली करने में असफल रहा । इसके अतिरिक्त पट्टेदार 1.90 लाख रूपये के ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी था । इसके परिणामस्वरूप 6.14 लाख रूपये के अनिवार्य किराए की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर खनन अधिकारी, छतरपुर ने मई 2003 में बताया कि मध्य प्रदेश खनिज निगम को राशि जमा करने हेतु कहा गया था ।

प्रकरण मार्च 2003 में शासन तथा संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

1 भोपाल, छतरपुर, धार, मन्दसौर, नीमच, पन्ना, सीधी, उमरिया एवं विदिशा

8.3 अवैध उत्खनन के प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होने से शासकीय राजस्व का निरूद्ध होना

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अधिनियम के अधीन प्रदान की गई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनिज पट्टे के बगैर किसी भी क्षेत्र में पूर्वेक्षण या खनन सम्बंधी कार्य प्रारंभ नहीं करेगा । खनिज रियायत नियम, 1960 के तहत खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन, पट्टा अवधि की समाप्ति के दिनांक से कम–से–कम 12 माह पूर्व प्रस्तुत करना होगा । इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो विधि सम्मत प्राधिकार के बिना किसी भी खान या खदान क्षेत्र से कोई उत्खनन करता है अथवा खनिज निष्कासित करता है तो वह इस प्रकार से उत्खनित अथवा निष्कासित खनिजों के बाजार मूल्य के दुगुने से अनधिक तक शास्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

खनन अधिकारी, छिन्दवाड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित नन्दन कोयला खदान का पट्टा 3 मई 1997 को समाप्त हो गया था । चूंकि पट्टे के नवीनीकरण हेतु आवेदन विहित समयावधि में नहीं किया गया था । विभाग द्वारा नवम्बर 1997 एवं सितम्बर 1999 की अवधि के मध्य 7 अवैध उत्खनन के प्रकरण पंजीकृत किये गये । 116.26 करोड़ रूपये की शास्ति के आरोपण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर, खनन अधिकारी, छिन्दवाड़ा ने दिसम्बर 2002 में बताया कि प्रकरण आगामी कार्रवाई हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किये जा चुके थे । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रकरणों में नक्शे, खसरा क्रमांक, गवाहों आदि से सम्बंधित विवरणों के न होने तथा प्रकरणों पर खनन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने के कारण कलेक्टर द्वारा सभी प्रकरण जुलाई 2002 में वापस कर दिये गये थे । प्रकरणों को पुनः प्रस्तुत करने के सम्बंध में खनन अधिकारी द्वारा दिसम्बर 2003 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

8.4 परिवर्तन गुणांक पर आधारित राज्यांश की कम वसूली

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 एवं इसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार, एक पट्टाधारी उत्खनित खनिज को पट्टा क्षेत्र परिसर से हटाये जाने के पूर्व निष्कासित खनिज को तौलने के प्रयोजन हेतु पट्टा क्षेत्र के मुहाने के पास एक तुलन मशीन स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है । राज्य शासन ने दिसम्बर 1992 में निर्देशित किया था कि यदि पट्टाधारी ने पट्टा क्षेत्र में तुलन मशीन स्थापित नहीं की तो पट्टेदार से सीमेन्ट निर्माण के लिए 1.6 टन चूना पत्थर से 1.0 टन सीमेन्ट निर्माण की दर से चूना पत्थर पर राज्यांश प्रभारित किया जाएगा ।

खनन अधिकारी, रीवा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक पट्टेदार ने वर्ष 2001–2002 में 42.24 मीट्रिक टन सीमेन्ट का निर्माण किया और 44.21 लाख मीट्रिक टन चूना पत्थर के निष्कासन पर 23.23 करोड़ रूपये के राज्यांश का भुगतान किया था । परिवर्तन गुणांक के अनुसार 42.24 लाख मीट्रिक टन सीमेन्ट के उत्पादन के लिए 67.59 लाख मीट्रिक टन चूना पत्थर आवश्यक था जिस पर 27.04 करोड़ रूपये का राज्यांश वसूली योग्य था । इसके परिणामस्वरूप 3.81 करोड़ रूपये के राजस्व की कम वसूली हुई ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर खनन अधिकारी, रीवा ने जनवरी 2003 में बताया कि आरोपणीय राज्यांश की गणना के लिए पट्टेदार से क्लिकर एवं सीमेन्ट उत्पादन से सम्बंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

प्रकरण जनवरी 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

8.5 राज्यांश की कम वसूली

खनिज रियायत नियम, 1960 के अनुसार पट्टाधारी माह के दौरान पट्टा क्षेत्र से हटाये गये/खपत किये गये खनिज पर निर्धारित दिनांक तक राज्यांश का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा । यदि पट्टाधारी नियत समयावधि में राज्यांश का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह चूक अवधि के लिए 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा ।

खनन अधिकारी, सीधी एवं भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 4 पट्टेदारों द्वारा जनवरी 1999 से जून 2002 की अवधि में 2,211.246 मीट्रिक टन बाक्साइट, 429.95 मीट्रिक टन फायर क्ले एवं 33,018.5 घन मीटर ब्लैक स्टोन पट्टा क्षेत्र से उत्खनिज, हटाया या खपत किया गया जिस पर देय राज्यांश 7.85 लाख रूपये के विरूद्ध पट्टाधारियेणें द्वारा केवल 1.79 लाख रूपये के राज्यांश का भुगतान किया गया । परिणामस्वरूप 5.88 लाख रूपये के राज्यांश की कम वसूली हुई । इसके अतिरिक्त 1.12 लाख रूपये का ब्याज भी प्रभारणीय था ।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर खनन अधिकारी, भोपाल ने नवम्बर 2002 में बताया कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरान्त कार्रवाई की जाएगी एवं खनन अधिकारी, सीधी ने मई 2003 में बताया कि पट्टेदारों को राज्यांश एवं उस पर देय ब्याज के भुगतान हेतु मांग सूचना पत्र जारी किए जा चुके थे ।

प्रकरण जनवरी एवं फरवरी 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

8.6 राज्यांश के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अनुसार यदि पट्टेदार विनिर्दिष्ट समयावधि में राज्यांश का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह भुगतान की नियत दिनांक की समाप्ति के दिनांक से 60वें दिन से 24 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा ।

खनन अधिकारी, रीवा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि चूना पत्थर के उत्खनन हेतु 4 खनन पट्टों के एक पट्टेदार द्वारा जनवरी 2001 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान राज्यांश का भुगतान 4 दिन से 92 दिन तक के विलम्ब से किया गया जिसके लिए 14.20 लाख रूपये का ब्याज आरोपित नहीं किया गया ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर खनन अधिकारी, रीवा ने जनवरी 2003 में बताया कि 14.20 लाख रूपये की ब्याज राशि के लिए मांग सूचना पत्र जारी किए जा चुके हैं । वसूली के सम्बंध में सूचित नहीं किया गया था (दिसम्बर 2003) ।

प्रकरण मार्च 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

अध्याय – 9

अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ

9.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002–2003 के दौरान लोक निर्माण, जल संसाधन तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 3,538 प्रकरणों में 39.37 करोड़ रूपये की राशि के राजस्व की कम वसूली एवं हानि प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
	लोक निर्माण विभाग		
1	दाण्डिक दर से लायसेंस फीस का आरोपण न करना	95	0.06
2	हानियों की वसूली न करना	10	0.32
3	तकनीकी कर्मचारियों का नियोजन न करने पर शास्ति का अनारोपण	88	0.06
4	अन्य	2,984	16.99
	जल संसाधन विभाग		
5	समुन्नति अंशदान का अनारोपण	88	4.36
6	तकनीकी कर्मचारियों के नियोजन न करने पर शास्ति का अनारोपण	13	0.01
7	विलंबित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण	1	0.14
8	अन्य	173	17.13
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग		
9	जब्त माल का निवर्तन न होना	51	0.06
10	अन्य	35	0.24
	योग	***3,538***	***39.37***

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 5.31 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है :

लोक निर्माण विभाग

9.2 पट्टा धन राशि की वसूली न करना

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली, 1983 के अनुसार, पुलों पर पथकर की वसूली करने का अधिकार पट्टे पर दिया जा सकता है । पथकर वसूली हेतु पट्टा विलेख के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, पट्टाधारी द्वारा पट्टा विलेख में उल्लिखित तिथियों पर पट्टा धन राशि की किस्तों का भुगतान किया जाना अपेक्षित है, जिसमें विफल रहने पर 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा । यदि पट्टेदार निरन्तर चूक करता है, तो पट्टा समाप्त किया जा सकता है एवं पट्टा अवधि के शेष भाग की पुनर्नीलामी मूल पट्टाधारी के जोखिम एवं लागत पर की जाएगी अथवा पथकर की वसूली विभागीय तौर पर की जा सकती है ।

सात लोक निर्माण (भवन एवं पथ) संभागों[1] में यह पाया गया कि अवधि 1997–98 से 2001–02 के दौरान पुलों के पथकर संग्रहण के लिये 32 पट्टों की नीलामी 1.62 करोड़ रूपये में की गई थी । इनमें से 22 पट्टेदारों द्वारा कुल पट्टा धन राशि 1.38 करोड़ रूपये के विरूद्ध 87 लाख रूपये, 1 से लेकर 319 दिन के विलम्ब से जमा किए गए तथा शेष राशि 51 लाख रूपये की वसूली नहीं हुई । विभाग द्वारा न तो 51 लाख रूपये की शेष राशि की वसूली की गई और न ही विलम्बित भुगतानों के लिए 6.52 लाख रूपये के ब्याज का आरोपण किया गया ।

शेष 10 प्रकरणों में, पट्टेदारों द्वारा किस्तों के भुगतान में चूक के कारण पट्टे समाप्त कर दिए गए थे । इनमें से एक प्रकरण में पट्टे की पुनर्नीलामी की गई तथा अन्य प्रकरणों में पथकर का संग्रहण विभागीय तौर पर किया गया । इसके परिणामस्वरूप कुल पट्टा धन राशि 24.40 लाख रूपये के विरूद्ध 13.61 लाख रूपये वसूल किए गए, 10.79 लाख रूपये की शेष राशि, जिसे चूककर्ताओं अर्थात मूल पट्टेदारों से वसूल किया जाना था, को वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप 68.31 लाख रूपये के शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरण अप्रैल 2002 तथा अप्रैल 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

1 धार, जबलपुर क्र. 2, कटनी, मण्डला क्र. 1, रीवा, सिवनी एवं सीधी

9.3 निजी व्यक्तियों/संस्थानों को किराये पर दिए गए शासकीय भवनों की लायसेंस फीस का अनारोपण / कम आरोपण

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली, 1983 के प्रावधानों के सहपठित शासन द्वारा नवम्बर 1985 एवं जनवरी 1986 में जारी स्पष्टीकरणों के अनुसार, निजी व्यक्ति, कम्पनी, क्लब, संघ, स्थानीय निकाय आदि को किराये पर दिए शासकीय भवन की लायसेंस फीस प्रति माह निर्धारित दर से अग्रिम रूप में वसूल की जानी चाहिये।

संपदा संचालक, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि निजी व्यक्तियों, स्थानीय निकायों, संघों आदि को किराये पर दिए गए 72 सार्वजनिक भवनों के सम्बंध में लायसेंस फीस या तो वसूल नहीं की गई अथवा गलत दर से वसूल की गई । इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1999 से जून 2002 तक की अवधि से सम्बंधित 52.25 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई ।

इसे जनवरी 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

9.4 शैक्षणिक संस्थाओं को आवंटित सार्वजनिक भवनों की लायसेंस फीस का अनारोपण/कम आरोपण

शासन द्वारा जनवरी, 1995 में निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक संस्थाओं को आवंटित शासकीय भवनों को चरणबद्ध तरीके से खाली कराया जाए तथा लायसेंस फीस बाजार दर से वसूल की जाए ।

संपदा संचालनालय, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि शैक्षणिक संस्थाओं के आधिपत्य में पॉच शासकीय आवासीय भवनों को न तो खाली कराया गया और न ही बाजार दर से लायसेंस फीस वसूल की गई । इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1999 से मार्च 2002 तक की अवधि से सम्बंधित 18.48 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा सितम्बर 2002 में संपदा संचालक, भोपाल ने बताया कि दो प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं । अन्य प्रकरणों में उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

प्रकरण जनवरी एवं अप्रैल 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गयाय उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

9.5 पत्रकारों एवं समाचार पत्रों को कार्यालय उपयोग हेतु आवंटित सार्वजनिक भवनों पर लायसेंस फीस का कम आरोपण

शासन द्वारा दिसम्बर 1990 में जारी अनुदेशों के अनुसार, यदि समाचार पत्र एजेन्सियों को शासकीय आवास कार्यालयीन उपयोग हेतु आवंटित किया जाता है तो लायसेंस फीस बाजार दर से वसूल की जाएगी । शासकीय भवनों की बाजार दरें, अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ), भोपाल द्वारा फरवरी 1991 में पुनरीक्षित की गई थीं जिन्हें शासन द्वारा जुलाई 2000 में पुनः पुनरीक्षित किया गया ।

संपदा संचालनालय, भोपाल में पाया गया कि अप्रैल 1960 से जून 2001 तक की अवधि में 14 सरकारी भवन पत्रकारों/समाचार पत्र एजेन्सियों को कार्यालयीन उपयोग हेतु आवंटित किए गए थे किन्तु इन भवनों की लायसेंस फीस पुनरीक्षित दरों से पूर्व की दरों पर वसूल की गई । इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1999 से मार्च 2002 तक की अवधि के दौरान 13.32 लाख रूपये की लायसेंस फीस की कम वसूली हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा सितम्बर 2002 में संपदा संचालक, भोपाल ने बताया कि पुनरीक्षित दरों से लायसेंस फीस की वसूली हेतु कदम उठाये जाएंगे । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

प्रकरण दिसम्बर 2002 एवं पुनः अप्रैल 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004)

9.6 उच्चतम बोली स्वीकार न किए जाने से राजस्व हानि

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली, 1983 के प्रावधानों के अनुसार, पुलों पर पथकर की वसूली या तो ठेकेदार को पट्टे पर देकर अथवा विभागीय तौर पर की जानी चाहिऐं।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण (भवन एवं पथ) रीवा एवं मण्डला संभागों के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि मण्डला संभाग में वर्ष 2000–01 के लिए तथा रीवा संभाग में वर्ष 2001–02 के लिए पुल पर पथकर की वसूली हेतु 2.62 लाख रूपये तथा 8.04 लाख रूपये की सरकारी बोली के विरूद्ध क्रमशः 2.20 लाख रूपये तथा 8.05 लाख रूपये की उच्चतम बोली प्राप्त हुई थी । बोलियॉं अस्वीकृत कर दी गई थीं, जिसके कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे । उत्तरवर्ती नीलामियों में कम बोलियॉं प्राप्त हुईं, अतः पथकर की वसूली विभागीय तौर पर की गई तथा 3.80 लाख रूपये के राजस्व की वसूली हुई । इस प्रकार इच्छुक पट्टेदारों द्वारा दिए गए बोलियों के प्रस्ताव स्वीकार न किए जाने के परिणामस्वरूप 6.45 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किया गया तथा अप्रैल 2002 में कार्यपालन यंत्री, रीवा संभाग ने बताया कि दी गई बोली एकल निविदा होने के कारण निरस्त की गई तथा उत्तरवर्ती नीलामियों में बोली कम होने से स्वीकार नहीं की जा सकती थी, अतः पथकर वसूली विभागीय तौर पर की गई । आरक्षित मूल्य से अधिक की उच्चतम बोली स्वीकार न किए जाने के कारण शासन को हुई हानि के कारण उत्तर मान्य नहीं है । अन्य प्रकरणों में उत्तर तथा इस सम्बंध में की गई आगामी कार्रवाई के सम्बंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई (जून 2004) ।

प्रकरण जून 2002 एवं अप्रैल 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गयाय उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जून 2004) ।

जल संसाधन विभाग

9.7 समुन्नति अंशदान का अनारोपण

नई नहर, जिसका निर्माण 1 अप्रैल 1951 के पश्चात किया गया हो (जिसके निर्माण की लागत 5 लाख रूपये या इससे अधिक हो अथवा जिसका सैंच्य क्षेत्र 1000 एकड़ या इससे अधिक हो) से लाभान्वित स्थायी भूमि धारकों से एक मुश्त भुगतान करने पर 140 रूपये प्रति एकड़ की दर से अथवा 20 वार्षिक किस्तों में भुगतान करने पर 224 रूपये प्रति एकड़ की दर से समुन्नति अंशदान के आरोपण एवं वसूली का मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 में प्रावधान है । अंशदान उस तिथि से वसूली योग्य है जो शासन द्वारा अधिसूचित की जाए, लेकिन यह तिथि नहर चालू होने की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की न हो ।

आठ जल संसाधन संभागों[2] के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 1980–81 एवं 1997–98 के मध्य 131.99 करोड़ रूपये की कुल लागत से 47 परियोजनाएं पूर्ण की गई । विभाग ने उन तिथियों को अधिसूचित नहीं किया था जिनसे समुन्नति अंशदान का आरोपण किया जाना था और न ही हितग्राहियों तथा सैंच्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया था । इसके परिणामस्वरूप 3.37 करोड़ रूपये के समुन्नति अंशदान का आरोपण नहीं हुआ (140 रूपये प्रति एकड़ की एक मुश्त दर से आंकलित) ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री, रीवा, डबरा, गंजबासौदा तथा झाबुआ ने बताया कि समुन्नति अंशदान की वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी । कार्यपालन यंत्री, सतना एवं सागर–1 ने बताया कि अधिसूचना जारी किए जाने हेतु प्रकरण शासन को भेजा जाएगा । अन्य प्रकरणों में उत्तर तथा प्रकरणों में हुई प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2004) ।

प्रकरण अप्रैल 2002 एवं अप्रैल 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

2 छिन्दवाड़ा, डबरा (ग्वालियर), गंजबासौदा (विदिशा), हरदा, झाबुआ, रीवा नं. 1, सागर एवं सतना

9.8 विलम्बित भुगतानों पर शास्ति का कम आरोपण/वसूली

सिंचाई नियमावली में जलकर के विलम्बित भुगतानों पर निर्धारित दर से शास्ति के आरोपण का प्रावधान है ।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग, डबरा (ग्वालियर) के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि 1998–99 से 2001–02 तक की अवधि के दौरान विभाग ने जलकर की बकाया राशि के रूप में 1.27 करोड़ रूपये वसूल किए थे । वसूली योग्य शास्ति 16.52 लाख रूपये के विरूद्ध विभाग द्वारा मात्र 2.48 लाख रूपये की वसूली की गई । इसके परिणामस्वरूप 14.04 लाख रूपये शास्ति की कम वसूली हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डबरा ने मई 2002 में बताया कि अभिलेखों की संवीक्षा के पश्चात वसूली की जाएगी । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2004) ।

प्रकरण अगस्त 2002 एवं अप्रैल 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

9.9 गोदाम की कीमत वसूल न होना

खाद्य विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त खाद्यान्न गोदामों के स्वामित्व का हस्तांतरण मध्य प्रदेश राज्य भण्डारगृह निगम को किया जाना शासन के विचाराधीन था । जून 1978 में शासन ने अंतिम निर्णय होने तक मध्य प्रदेश राज्य भण्डारगृह निगम को इन गोदामों का उपयोग करने की अनुमति दी । पुनः शासन ने दिसम्बर 1981 में कलेक्टरों को इन गोदामों का मूल्यांकन किए जाने हेतु एक समिति गठित करने के सम्बंध में अनुदेश जारी किए । अन्ततः शासन ने अक्टूबर 2000 में निर्णय लिया कि वर्तमान दिनांक में गोदामों तथा भूमि के मूल्य का निर्धारण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना था तथा यह राशि उपयोगकर्ताओं से वसूल की जानी थी ।

खाद्य अधिकारी दतिया के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि एक गोदाम, जिसका कुर्सी क्षेत्रफल 895.89 वर्ग मीटर था, नवम्बर 1978 से मध्य प्रदेश राज्य भण्डारगृह निगम के आधिपत्य में था । अक्टूबर 1981 में कलेक्टर, दतिया द्वारा गोदाम का मूल्य 1.30 लाख रूपये निर्धारित किया गया तथा निगम द्वारा उक्त राशि विलम्ब से मार्च 2001 में जमा की गयी । अक्टूबर 2000 के शासन के आदेशानुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा नवम्बर 2001 में गोदाम का मूल्य 22.47 लाख रूपये

निर्धारित किया गया । निगम को उक्त राशि जमा करने के लिए निर्देशित किया गया लेकिन राशि जमा नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप 21.17 लाख रूपये के राजस्व की कम वसूली हुई ।

प्रकरण जुलाई 2002 तथा अप्रैल 2003 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2004) ।

मीरा 2-12-04

(मीरा स्वरूप)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वितीय
मध्य प्रदेश

भोपाल
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ना. कौल

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

©

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

2004

मूल्य : रुपये 42.45 पैसे

मुद्रक : शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल

http://cagindia.org/states/madhyapradesh/2003